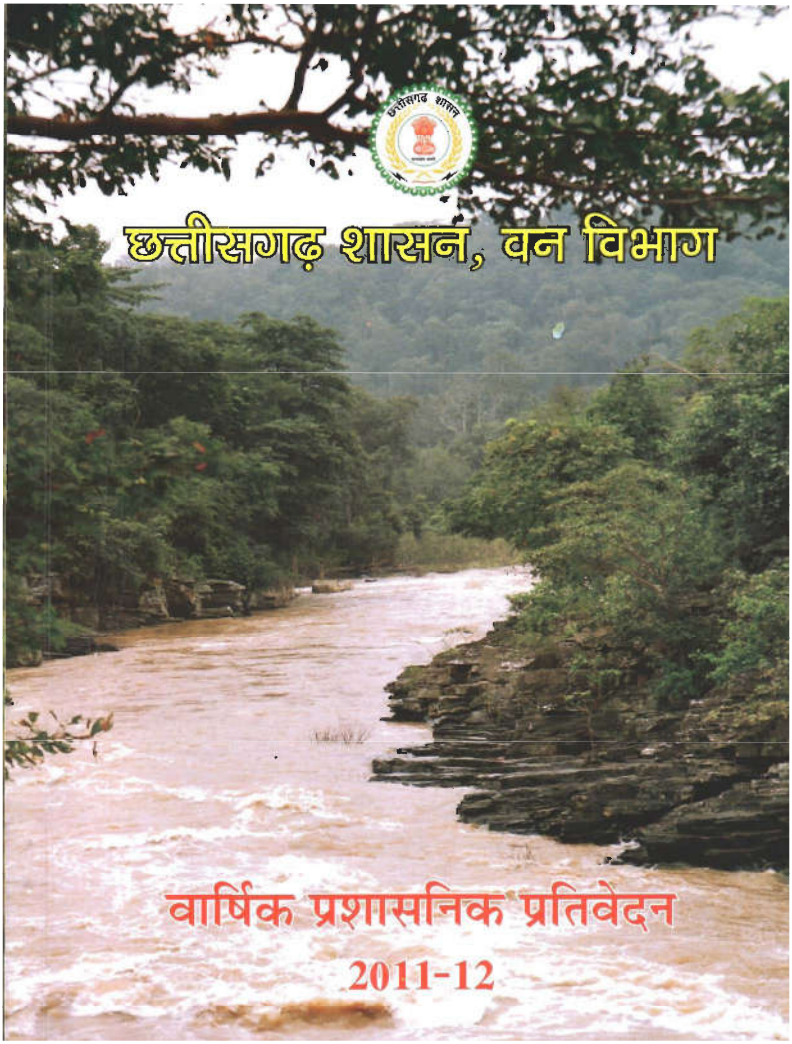
छत्तीसगढ़ शासन
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
2011-12

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

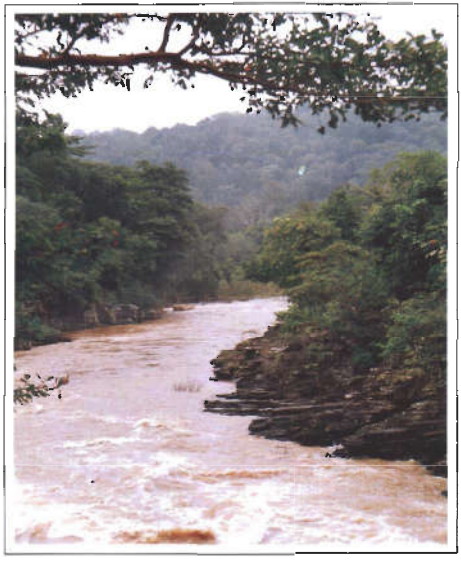

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

2011-12

छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

मंत्री	माननीय श्री विक्रम उसेण्डी
संसदीय सचिव	माननीय श्री भरत साय

सचिवालय

प्रमुख सचिव	श्री सुनील कुमार कुजूर
सचिव	डॉ. बी. एस. अनंत
विशेष सचिव	श्री एम.टी. नंदी
अवर सचिव	श्री एम. एल. ताम्रकार

विभागाध्यक्ष

प्रधान मुख्य वन संरक्षक	श्री धीरेन्द्र शर्मा
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी संरक्षण)	श्री रामप्रकाश

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मर्यादित

प्रबंध संचालक,	श्री आर.के. शर्मा

छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित

प्रबंध संचालक	श्री ए.के. सिंह

छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधीय पादप बोर्ड

मुख्य कार्यपालन अधिकारी	डॉ. ए. ए. बोआज

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2011--12

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	पृष्ठ क्र.
1	मंत्रालय / विभागाध्यक्ष कार्यालय की जानकारी	III
	भाग – एक	
2	विभागीय संरचना एवं अधीनस्थ कार्यालय	1-7
3	विभाग के दायित्व	8
4	विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी, विशेषताएं, महत्वपूर्ण सांख्यिकी एवं छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम – 2011	8-14
5	छत्तीसगढ़ राज्य की वन नीति - 2001	14-15
6	विकास योजनाएं	16-25
7	कैम्पा	26-29
8	बजट	29-31
9	संयुक्त वन प्रबंधन	32-40
10	कार्य आयोजना	40
11	भू-प्रबंध	41-45
12	संरक्षण	45-47
13	उत्पादन	48-50
14	बांस मिशन	50-53
15	अनुसंधान एवं विस्तार	54-55
16	राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	55-59
17	अनुश्रवण मूल्यांकन	60
18	मानव संसाधन विकास	61-62
19	सूचना प्रौद्योगिकी	63
	भाग – दो	
20	वन्यप्राणी संरक्षण	64-76
	भाग – तीन	
21	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मर्यादित	77-83
	भाग – चार	
22	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित	84-102
	भाग – पांच	
23	छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधीय पादप बोर्ड	103-104

भाग–1

1.1 विभागीय संरचना एवं अधीनस्थ कार्यालय

1.1.1 वन विभाग के समस्त प्रशासकीय एवं तकनीकी कार्यों का संचालन प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से होता है। मुख्यालय स्तर पर प्रशासकीय संरचना निम्नानुसार है:–

1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	विभागाध्यक्ष	श्री धीरेन्द्र शर्मा
2	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी संरक्षण)	विभागाध्यक्ष	श्री रामप्रकाश
3	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	1. कार्य आयोजना	डॉ. अनूप भल्ला
		2. प्रशासन–राज./समन्वय	श्री बी. एन द्विवेदी
		3. विकास/योजना	डॉ. जे. के. उपाध्याय
		4. सं.व.प्र./नीति विश्ले. इकाई	श्री प्रदीप पंत
		5. कैम्पा	श्री बी. के. सिन्हा
4	मुख्य वनसंरक्षक	1. संचालक राष्ट्रीय बांस मिशन	श्री दिवाकर मिश्रा
		2. उत्पादन	श्री. आर. के. टामटा
		3. संरक्षण	
		4. परियोजना निर्माण	श्री शिरीष चंद्र अग्रवाल
		5. वित्त/बजट	श्री के. सी. बेवर्ता
		6. मा. सं. वि. एवं सूचना प्रौद्यो.	श्री के. सी. बेवर्ता
		7. भू–प्रबंध	श्री मुदित कुमार सिंह
		8. इको टूरिज्म (वन्य प्राणी)	श्री ए. के. द्विवेदी
		9. संचालक राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर	श्री के. सी. यादव
		10. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	श्री टी. गुणाशेखरन
		11. सतर्कता/शिकायत	श्री के. सी. किस्कू
		12. अनुसंधान एवं विस्तार	श्री आर. बी. पी. सिन्हा
		13. विकास/योजना	श्री पी.सी. पांडेय
		14. वन्यप्राणी	श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव
		15. प्रशासन/अराजपत्रित	श्री के. मुरुगन
5	वन संरक्षक	1. संरक्षण	श्री [illegible]
		2. उत्पादन	श्री [illegible] अली
		3. भू–प्रबंध/जन सूचना अधिकारी	श्री अनूप विश्वास
6	उप वन संरक्षक (भा.व.से.)	1. संयुक्त संचा. वन अनु. संस्थान	श्री एस. डी. [illegible]
		2. [illegible]/समन्वय	श्री एस. एल. साव
		3. प्रशासन राजपत्रित	श्री आशुतोष मिश्रा
7	सहायक वन संरक्षक (रा.व.से.)	1. संरक्षण	श्री आर. ए. पाठक
		2. सम्पदा अधिकारी	श्री एम. डी. गुप्ता

1.1.2 क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाईयां :–

ईकाई का नाम	ईकाई की संख्या
क्षेत्रीय वन वृत्त	06
वन्यप्राणी वन वृत्त	04
कार्य आयोजना वृत्त	01
क्षेत्रीय वनमण्डल	32
कार्य आयोजना वनमण्डल	06
अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डल	03
सूचना प्रौद्योगिकी वनमण्डल	01
राष्ट्रीय उद्यान	02
टायगर रिजर्व	03
बायोस्फियर रिजर्व	01
वन्यप्राणी अभ्यारण्य	08
वनपाल विद्यालय	01
वनरक्षक विद्यालय	02
उप वनमण्डल	74
परिक्षेत्र	280
परिक्षेत्र सहायक वृत्त	879
बीट (क्षेत्रीय)	3265
बीट (वन्यप्राणी)	545

1.1.3. वर्तमान में वन विभाग में कार्यरत विभिन्न स्तर के अधिकारियों का विवरण

क्र.	पद प्रवर्ग	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5
1	भा.व.से. अधिकारी	131	126	05
2	रा.व.से. अधिकारी (वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के एक पद तथा रा.ल.व.संघ के स्वीकृत 39 पद सम्मिलित करते हुए)	182	157	25
3	लेखा अधिकारी	3	3	
4	प्रशासकीय अधिकारी	1	1	
5	स्टाफ आफिसर	1	-	
6	संचालक बजट (प्रतिनियुक्ति पर)	1	1	--
7	लेखा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर)	3	1	2
8	सहायक संचालक जन संपर्क अधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर)	1	–	1
9	आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर)	1	1	
10	सांख्यिकी सहायक (प्रतिनियुक्ति पर)	2	–	2
	योग	326	291	39

1.1.4 कार्यपालिक एवं लिपिकीय अमला :–

निरु

क्र.	पदनाम	मुख्यालयीन अमला			मैदानी अमला		
		मुख्यालय कत	मुख्यालय	मुख्यालय में रिक्त पद	मैदानी स्वीकृत पद	क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत पद	क्षेत्री [illegible]
1	2			5	6	7	8
1	वनक्षेत्रपाल	05		00	480	366	
2	उप वनक्षेत्रपाल		00	00	6	9	
	वनपाल/सर्वेयर/ सहायक वन विस्तार अधिकारी	0		00	16 [illegible]	1615	[illegible]
	वनरक्षक/वनसेवक/गोदाम कीपर/वैनमैन/मेसगार्ड/ मै[illegible]				4[illegible]	27	
	[illegible]			01	07	[illegible]	
	लेखा अधीक्षक					05	02
	मुख्य लिपिक [illegible]	26	20	06			
	[illegible]	51	29	22	501		
	[illegible]	55	48	07	681		
10	वरिष्ठ [illegible]	03	00	03	00		00
11	[illegible]	15	09	06	14		00
	[illegible]	16	15	1	45		
	मानचित्रकार	07	02	05	89		36
	प्रोग्रामर	01	01	0	0		00
	सहायक प्रोग्रामर	03	00	03	07		05
	डाटा एन्ट्री आपरेटर	34	09	25	73	19	54
	सहायक उप निरीक्षक [illegible]	00	00	00	07		
18	सांख्यिकी सहा[illegible]	02	00	02	00		
	[illegible]	00	00	00	28		
	[illegible] ग्रापाल						
21	सहाय[illegible]	01	00	01	00	00	[illegible]
22	तकनी[illegible]		03	00	00	00	[illegible]
	[illegible]						
24	सांख्यिकी सहायक संविदा			01	00	00	[illegible]
25	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (वानिकी/[illegible]ज्ञान)			06	00	00	
26	कनिष्ठ त[illegible] सहा (सामाजिक [illegible]वानिकी)						00
27	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (विस्तार एवं प्रशि[illegible]			01			

28	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (पुस्तकालय)	01	00	01	00	00	00
29	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (प्रलेखा)	01	00	01	00	00	00
30	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (लेब)	04	00	04	00	00	00
31	बुकलिफ्टर	01	00	01	00	00	00
32	हरबेरियम सहायक	01	00	01	00	00	00
33	फील्ड असिस्टेंट	03	00	03	00	00	00
34	स्टेनो टायपिस्ट	01	00	01	00	03	+03
35	हल्के वाहन चालक	28	13	15	135	124	11
36	भारी वाहन चालक	00	00	00	132	113	19
37	कोटवार	00	00	00	85	20	65
38	ट्रक एवं ट्रेक्टर क्लीनर	00	00	00	35	30	5
39	भृत्य/चौकीदार/अर्दली/ फर्राश/माली/खानसामा	35	33	02	430	420	10
40	सुपरवाईजर	02	01	01	00	00	00
41	दफ्तरी	04	04	00	00	09	+09
42	जमादार	02	02	00	00	00	00
43	स्टेनो टायपिस्ट (अंग्रेजी)	01	00	01	00	00	00
	योग :–	347	212	135	9898	8036	1862
	साख्येत्तर पद						
47	वनरक्षक	0	0	0	350	310	40
48	वन चौकीदार	0	0	0	492	425	67
49	वायरलेस आपरेटर	0	0	0	161	156	5
50	भृत्य/चौकीदार	0	0	0	1412	1192	220
योग :		0	0	0	2415	2083	332
महायोग -		347	212	135	12879	10135	2744

स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का गोश्वारा

	कुल स्वीकृत पद	कुल कार्यरत पद	कुल रिक्त पद
मुख्यालय	347	212	135
क्षेत्रीय	9898	8036	1862
योग :–	10245	8248	1997

क्षेत्रीय स्तर पर वनों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु प्रशासनिक इकाई – बीट का प्रभारी वनरक्षक रहता है। परिक्षेत्र की 4 से 6 बीटों को मिलाकर बनाये गये वृत्त का प्रभारी वनपाल/उप वनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्र का प्रभारी, वनक्षेत्रपाल, उप वनमंडल का प्रभारी, उप वनमंडलाधिकारी, वनमंडल का प्रभारी, वन मंडलाधिकारी तथा वन वृत्त का प्रभारी, वन संरक्षक होता है।

वन विभाग की इकाइयाँ

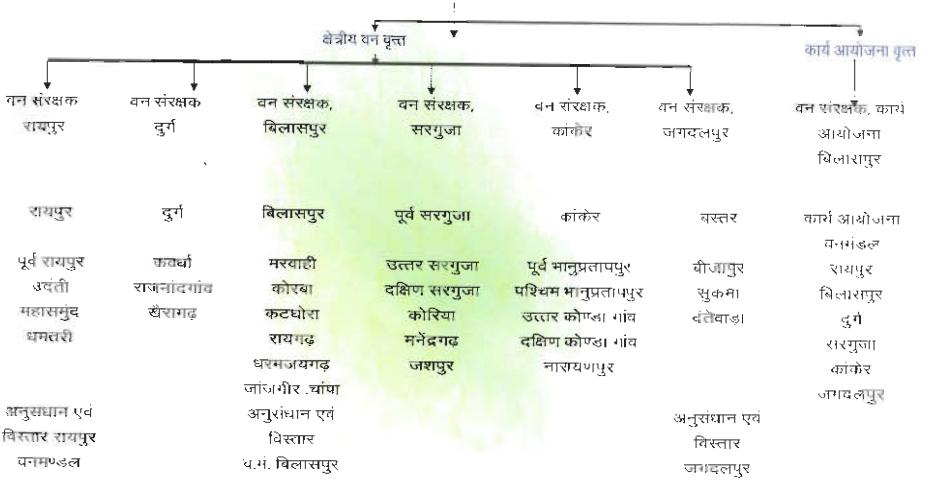

टीप : प्रदेश में 09 नये जिले बनने के फलस्वरूप वन विभाग के वन मंडलों के पुनर्गठन की कार्यवाही की जा रही है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) के अंतर्गत मुख्यालय एवं क्षेत्रीय ईकाईयां

मुख्यालय

मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी)
मुख्य वन संरक्षक (इको टूरिज्म)

क्षेत्रीय ईकाईयां

वन संरक्षक वन्यप्राणी/संचालक राष्ट्रीय उद्यान	वन्य प्राणी अभ्यारण्य
वन संरक्षक (वन्यप्राणी) रायपुर	अधीक्षक, बादलखोल अभ्यारण्य
वन संरक्षक (वन्यप्राणी) सरगुजा	अधीक्षक, गोमार्डा
वन संरक्षक (वन्यप्राणी) बिलासपुर	अधीक्षक, बारनवापारा
क्षेत्र संचालक, अचानकमार टायगर रिजर्व	अधीक्षक, तैमोरपिंगला
क्षेत्र संचालक, उदंती – सीतानदी टायगर रिजर्व	अधीक्षक, सेमरसोत
क्षेत्र संचालक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व जगदलपुर	अधीक्षक,भैरमगढ़
संचालक, गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान	अधीक्षक, पामेड़
संचालक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान	अधीक्षक, भोरमदेव
संचालक अचानकम	

राज्य लघु वनोपज संघ (विकास एवं व्यापार) सहकारी संघ मर्यादित के मुख्यालय की संरचना

पद-नाम	मुख्यालय में पद	वृत्त स्तरीय ईकाईयां	जिला यूनियन
प्रबंध संचालक	1	—	
अपर प्रबंध संचालक	1	—	—
कार्यकारी संचालक	1		—
महाप्रबंधक	2		-
उप महाप्रबंधक	1	—	
सचिव, (संयुक्त पंजीयक)	1	—	-
प्रबंधक (वित्त /उप पंजीयक)	1		—
उप संचालक, आंतरिक लेखा परीक्षण	1	—	
उप प्रबंधक (सहायक वन संरक्षक)	2	06	31
वन क्षेत्रपाल	1	—	—
स्टॉक ऑफिसर	1	-	-

राज्य वन विकास निगम की संरचना

पदनाम	पदसंख्या
प्रबंध संचालक	1
अपर प्रबंध संचालक	1
क्षेत्रीय महाप्रबंधक /वन संरक्षक	2
क्षेत्रीय प्रबंधक /उप वन संरक्षक	7

छत्तीसगढ़ राज्य वन औषधीय पादप बोर्ड

पदनाम	पद संख्या
मुख्य कार्यपालन अधिकारी	1
अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी	1

1.2 वन विभाग के दायित्व

विभाग के प्रमुख दायित्व निम्नानुसार है :–

- राज्य की समृद्ध जैव–सांस्कृतिक विविधता एवं विरासतों का संरक्षण।
- राज्य के वनों को संरक्षित एवं संवर्धित कर पर्यावरणीय स्थायित्व तथा पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करना।
- संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से राज्य के वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं समेकित विकास करना।
- वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु संरक्षित क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास।
- वनों से कार्य आयोजना के अनुसार इमारती काष्ठ, जलाऊ लकड़ी, बाँस का उत्पादन एवं निर्वर्तन ।
- अकाष्ठीय वन उत्पादों का संग्रहण, भंडारण, मूल्य संवर्धन एवं निर्वर्तन कर संग्राहकों को अधिकाधिक लाभ दिलाना।
- वनों पर आश्रित समुदायों की आवश्यकताओं की उपलब्धतानुसार निस्तार पूर्ति।
- गैर वानिकी क्षेत्रों में वानिकी का विस्तार।
- वनाश्रित समुदायों के आर्थिक उत्थान के कार्य करना।

1.3 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी, विशेषताएँ, महत्वपूर्ण सांख्यिकी एवं छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम – 2011

1.3.1 सामान्य जानकारी

छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,224 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के क्षेत्रफल का 4.1 प्रतिशत है। प्रदेश का वन क्षेत्रफल लगभग 59772 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.2 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में चौथे स्थान पर है। राज्य के वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में निम्नानुसार तीसरा स्थान है : –

1. मध्यप्रदेश	76013 वर्ग कि.मी.
2. अरुणाचल प्रदेश	67777 वर्ग कि.मी.
3. छत्तीसगढ़	55863 वर्ग कि.मी.

ीकरण	न क्षेत्र वर्ग	प्रति
अ. वैधानि स्थिति		
क्षेत		
संरक्षित	240	22
अवर्गीकृत		16.65
ग		100.
वनों के प्र		
रा		
	26018.3	
	3876.01	6
ग	59772.40	10
ो संरक्षित क्षेत्र		
य उद्यान – 2 गर रिजर्व – 3 यप्राणी अभयारण्य – 8 योस्फियर रिजर्व – 1	8210.425	1

1.3.2 छत्तीसगढ़ में वनों की प्रासंगिकता

ढ़ राज्य जिसका विस्तार 17° 46' से 24° 0

84° 5 देशांतर के मध्य है। राज्य का कुल भौ

जिसव

इसमें गो

क्षेत्र श वन

राज्य

ीय अ

पर्णपा जाति

साल (श रिय

बीजा (प्टे म) ग्रैंडिस लोकोस्ट्रा गाइ

लैटिफोलि ईरा

मध्य वित्त व क्षिति अने इ

(जेन्ड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस) आदि महत्वपूर्ण प्रजातियाँ हैं। भूतल भाग में नाना प्रकार की वनस्पतियाँ हैं जो पर्यावरणीय संतुलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही वे वन–वासियों के आजीविका का प्रमुख साधन भी है।

जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ राज्य डेकन जैव क्षेत्र में शामिल हैं, तथा मध्य भारत की प्रतिनिधि वन्यप्राणियों जैसे शेर (पेन्थरा टिगरीस), तेन्दुआ (पेन्थरा पार्डस), गौर (बॉस गौरस), सांभर (सेरवस यूनिकोलर), चीतल (एक्सेस एक्सिस), नील गाय (बोसेलाफस ट्रेगोकेमेलस) एवं जंगली सुअर (सस स्क्रोफा) से परिपूर्ण है। दुर्लभ वन्य प्राणियों जैसे वन भैंसा (बूबैलस बूबैलिस) तथा पहाड़ी मैना (ग्रेकुला इंडिका) इस राज्य की बहुमूल्य धरोहर है जिन्हें क्रमशः राज्य पशु एवं राज्य पक्षी घोषित किया गया है। साल वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया गया है।

यह राज्य, कोयला, लोहा, बॉक्साईट, चूना, कोरंडम, हीरा, स्वर्ण, टीन इत्यादि खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है, जो मुख्यतः वन क्षेत्रों में ही पाये जाते हैं।

राज्य के लगभग 50 प्रतिशत गांव वनों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर आते हैं, जहां के निवासी मुख्यतः आदिवासी हैं एवं आर्थिक रुप से पिछडे हैं जो जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः वनों पर निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में गैर आदिवासी, भूमिहीन एंव आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समुदाय भी वनों पर आश्रित हैं। वानिकी कार्यों से प्रतिवर्ष लगभग 07 करोड मानव दिवस रोजगार का सृजन होता है। वनों से ग्रामीणों को लगभग 2000 करोड़ रुपये का लघु वनोपज एवं अन्य निस्तार सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के संवहनीय एवं सर्वांगीण विकास परिदृश्य में वनों का विशिष्ट स्थान है।

1.3.3 छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3–1/2011/1/6, दिनांक 12.12.2011 द्वारा प्रवृत्त हो गया है। अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी (आवेदन, अपील तथा परिव्यय का भुगतान) नियम, 2011 बनाये गये हैं। जिसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 14 दिसम्बर, 2011 को किया गया है। उक्त नियम दिनांक 14 दिसम्बर, 2011 से प्रवृत्त हो गए हैं।

अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा दिनांक 16.12.2011 को अधिसूचना जारी कर, वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी, एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित किया गया है।

अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है।	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी	[illegible] काष्ठ का भुगतान (डिपो में काष्ठ प्राप्त होने के उपरान्त	45 कार्य दिवस	संबंधित वनमण्डलाधिकारी	संबंधित वन संरक्षक	मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
2	कार्यालय काष्ठागार अधिकारी/परिक्षेत्राधिकारी	काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना–शासकीय काष्ठागार हेतु	7 कार्य दिवस	काष्ठागार अधिकारी/परिक्षेत्र अधिकारी	संबंधित उपवनमण्डल अधिकारी	संबंधित वनमण्डल अधिकारी
3	कार्यालय परिक्षेत्राधिकारी	काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना काष्ठ के पंजीकृत व्यापारी/विनिर्माता हेतु	7 कार्य दिवस	परिक्षेत्राधिकारी	संबंधित उपवनमण्डल अधिकारी	संबंधित वनमण्डल अधिकारी
4	कार्यालय उप वन मण्डलाधिकारी	काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना भूमि स्वामी की काष्ठ हेतु	30 कार्य दिवस	उप वन मण्डलाधिकारी	संबंधित वनमण्डलाधिकारी	संबंधित वन संरक्षक
5	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी	शासकीय काष्ठ के परिवहन का भुगतान (काष्ठ के काष्ठागार पहुंचने तथा बिल जमा करने के पश्चात)	30 कार्य दिवस	संबंधित वनमण्डलाधिकारी	संबंधित वन संरक्षक	मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
6	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी	आरामिल अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण/निराकरण (पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से)	30 कार्य दिवस	संबंधित वनमण्डलाधिकारी	संबंधित वन संरक्षक	मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
7	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी	विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी के विनिर्माताओं, व्यापारियों, बढ़ई तथा उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रीकरण (पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से)	30 कार्य दिवस	संबंधित वनमण्डलाधिकारी	संबंधित वन संरक्षक	मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
8	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी	विनिर्दिष्ट वन उपज के फुटकर विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी अथवा निराकरण (पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से)	30 कार्य दिवस	संबंधित वनमण्डलाधिकारी	संबंधित वन संरक्षक	मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
9	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी	दसोड़ बही बनाने के आवेदन का निराकरण	20 कार्य दिवस	संबंधित वनमण्डलाधिकारी	संबंधित वन संरक्षक	मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है।	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
10	कार्यालय परिक्षेत्राधिकारी	वन्यप्राणी द्वारा की गई फसल/सम्पत्ति की क्षति का क्षतिपूर्ति भुगतान (बजट उपलब्ध होने एवं ट्रेजरी में बिल एक सप्ताह के अंदर पारा होने की स्थिति में)	40 कार्य दिवस	संबंधित परिक्षेत्राधिकारी	संबंधित वनमण्डलाधिकारी	संबंधित वन संरक्षक
11	कार्यालय परिक्षेत्राधिकारी	वन्यप्राणी द्वारा जनहानि/जनघायल प्रकरण में मुआवजा भुगतान (बजट उपलब्ध होने एवं ट्रेजरी में बिल एक सप्ताह के अंदर पारा होने की स्थिति में)	40 कार्य दिवस	संबंधित परिक्षेत्राधिकारी	संबंधित वनमण्डलाधिकारी	संबंधित वन संरक्षक
12	कार्यालय परिक्षेत्राधिकारी	वन्यप्राणी द्वारा पशुहानि का क्षतिपूर्ति भुगतान निराकरण (बजट उपलब्ध होने एवं ट्रेजरी में बिल एक सप्ताह के अंदर पारा होने की तिथि में)	40 कार्य दिवस	संबंधित परिक्षेत्राधिकारी	संबंधित वनमण्डलाधिकारी	संबंधित वन संरक्षक
13	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर	तेन्दूपत्ता संग्राहकों के समूह बीमा एवं जनश्री बीमा योजना अंतर्गत दावा के पूर्ण प्रकरण प्राप्त होने पर तैयार कर प्रबंध संचालक जिला यूनियन कार्यालय भेजना (पूर्ण आवेदन प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति कार्यालय में प्राप्त होने की तिथि)	30 कार्य दिवस	प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	परिक्षेत्र अधिकारी	प्रबंध संचालक जिला यूनियन
14	कार्यालय प्रबंध संचालक, जिला यूनियन	तेन्दूपत्ता संग्राहकों की समूह बीमा योजना एवं जनश्री बीमा योजना के पूर्ण प्रकरण परीक्षण कर जिला यूनियन कार्यालय से जीवन बीमा निगम रायपुर को भेजना	30 कार्य दिवस	उप प्रबंध संचालक, जिला यूनियन	वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक	कार्यकारी संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज संघ
15	कार्यालय उप प्रबंध संचालक जिला यूनियन	तेन्दूपत्ता संग्राहकों की समूह बीमा योजना एवं जनश्री बीमा वनोपज सहकारी समितियों को भुगतान (जीवन बीमा निगम से चेक जिला यूनियन कार्यालय में प्राप्त होने पर)	30 कार्य दिवस	उप प्रबंध संचालक जिला यूनियन	प्रबंध संचालक जिला यूनियन	वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक

क्र.	कार्यालय/वि	सेवा गारंटी	सेवा प्रदाय करने की समय	र करने निहित		
16	कार्यालय प्रबंधक प्राथमिक सहकारी	जिला यूनियन [illegible]	[illegible]			
17	कार्यालय प्रबंधक [illegible]	[illegible] रि [illegible] केक का [illegible] वेदन से प्राप्ति [illegible]				
	[illegible] वनोपज [illegible] ति	लघु वनोपज के प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) वितरण	30 कार्य दिवस	प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	परिक्षेत्र अधि	
	[illegible] री, पोषक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	तेन्दूपत्ता व साल बीज के संग्रहण पारिश्रमिक का भुगतान	30 कार्य दिवस	पोषक अधिकारी, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	परिक्षे	
	कार्यालय प्रबंधक, वनोपज	लघु वनोपज संग्राहक परिवार को चरण पादुका वितरण (जिला यूनियन में पूर्ण चरण पादुका प्राप्त होने पर)	15 कार्य दिवस	प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति		
	[illegible] क	आवेदन पत्रों की स्वीकृति	15 कार्य			
24						
25	प्रबंधक					

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जाती है।	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
26	कार्यालय मंडल प्रबंधक वन विकास निगम	कार्यालयीन अमानत राशि की वापसी	30 कार्य दिवस	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक	अपर प्रबंध संचालक
27	कार्यालय मंडल प्रबंधक वन विकास निगम	खुली दरों पर परिवहन आवेदन का निराकरण	15 कार्य दिवस	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक	अपर प्रबंध संचालक
28	कार्यालय मंडल प्रबंधक/क्षेत्रीय महाप्रबंधक/प्रबंधक (प्रशासन)	क्रय की गई सामग्री का भौतिक सत्यापन	7 कार्य दिवस	सहायक प्रबंधक/उप प्रबंधक	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक
29	कार्यालय मंडल प्रबंधक वन विकास निगम	किसी से वनोपज के परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करना	1 कार्य दिवस	परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी	उप मंडल प्रबंधक	मंडल प्रबंधक
30	कार्यालय मंडल प्रबंधक वन विकास निगम	वनोपज ठेकेदारों को राजस्व वापसी	30 कार्य दिवस	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक	अपर प्रबंध संचालक

1.3.4 छत्तीसगढ़ राज्य की वन नीति 2001

छत्तीसगढ़ राज्य ने जनोन्मुखी वन नीति बनाई है, जिसने वन प्रबंधन को एक नई दिशा देने में ठोस पहल की है। नीति में वन संसाधन के सतत् एवं टिकाऊ प्रबंधन से समाज के आदिवासी एवं आर्थिक रूप से पिछड़े एवं गरीब वर्ग के लोगो की सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण की परिकल्पना की गई है।

नई वन नीति के मूलभूत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के क्रियान्वयन के कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए गये हैं एवं इनका सभी स्तरों पर मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जा रहा है।

1.3.5 वन नीति–2001 के मूल उद्देश्य

- संवहनीय आधार पर राज्य के विपुल वन संसाधन को खुले दखल संसाधन (Open Access Resources) से समुदाय नियंत्रित, प्राथमिकता निर्धारित, संरक्षित एवं प्रबन्धित संसाधन के रूप में परिवर्तित करते हुये स्थानीय निवासियों के दीर्घ कल्याण हेतु उपलब्ध कराना।
- प्रमुख वनोपज (लकड़ी) से लघुवनोपज, एकल स्तर से बहुस्तरीय वन प्रबंधन तथा प्रतीकात्मक प्रजाति सवन्य प्राणियों के समस्त छोटे बड़े घटकों को समानुपातिक महत्व दिया जाना।

- जो ... मुख सांस्कृति

धार ... रक्षि ... की जैव सांस्कृ

- नदियों ... शयों

को ... । शूल ... । हो।

स्तर ... ायों में

ने

- ... वृक्ष रहित अनुत्पादक भूमि पर कृषि वा

...ध्यम से वन आवरण में वृद्धि करना।

- ... धारक क्षमता को ध्यान में रखकर ग्रामीण एवं आदिवासी ज ... जलाऊ

लों ... लकड़ी,चारा एवं लघु वनोपज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

- ... आर्थिक लाभ का स्त्रोत न मानकर, राज्य के पर्या ... एवं

... तिकीय संतुलन को सर्वोच्च प्राथमिकता देना।

- ... देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक युक्ति-युक्त नीति ... ना

सृजित ... ।

1.4 विकास योजनाएं

1.4.1 बिगड़े वनों का सुधार

इस योजना का क्रियान्वयन वनमंडलों की कार्य आयोजनाओं द्वारा निर्धारित कम घनत्व वाले विरले क्षेत्रों में किया जाता है। ये क्षेत्र अधिकांशतः आबादी से घिरे हुए हैं तथा अत्यधिक चराई, निस्तार पूर्ति हेतु जैविक दबाव की वजह से बिगड़े वन के रूप में हैं। अधिकांश क्षेत्रों में जड भण्डार की पर्याप्त मात्रा है जो कि विकृत रूप में है। योजना का मुख्य उद्देश्य भू–जल संरक्षण कार्य करते हुए जड भण्डार एवं वृक्षारोपण से क्षेत्र का पुर्नवास करना है । इस कार्य में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की पूर्ण सहभागिता रहती है. प्रथम वर्ष के कार्यों से लेकर अगले 5 वर्षों तक सुरक्षा आदि का कार्य समितियों के सहयोग से किया जाता है।

प्रथम वर्ष में सुधार कार्यों से प्राप्त वनोपज को शत प्रतिशत समितियों को प्रदाय किया जाता है तथा क्षेत्र की समितियों द्वारा सामूहिक सुरक्षा करने के एवज में उन्हें इस हेतु निर्धारित राशि प्रदाय की जाती है।

राज्य के विभिन्न वनमंडलों की कार्य योजनाओं के अनुसार बिगड़े वनों का सुधार कार्य प्रबंधन वृत्त के अंतर्गत वर्षवार निम्नानुसार कार्य संपादित किया गया है:

वित्तीय वर्ष	प्रथम वर्ष का कार्य (हे.मे)	द्वितीय वर्ष का कार्य (हे.मे)	पुराने रोपण क्षेत्रों का रखरखाव (हे में)
2008–09	47000	53200	136800
2009–10	53000	58300	156000
2010–11	46000	18000	153000
2011–12 (जनवरी 12)	40326	18232	188000

1.4.2 बांस वनों का पुनरोद्धार

बांस वन

इस योजना के अंतर्गत वनमंडलों की कार्य आयोजनाओं द्वारा निर्धारित ऐसे बिगड़े बांस वन क्षेत्रों को लिया जाता है जहां पर बांस के झिरै जीर्ण–शीर्ण हो जाते हैं या अत्यधिक गुंथ जाते हैं जिसके फलस्वरूप वे अनुत्पादक हो जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में गुंथे बांस झिरों की सफाई एवं मिट्टी चढ़ाई, बिना गुंथे हुए अविकसित झिरों में मिट्टी चढ़ाई तथा विरल क्षेत्रों में बांस वृक्षारोपण एवं रखरखाव द्वारा सुधार कार्य किया जाता है। बांस झिरों की सफाई एवं मिट्टी चढ़ाई से जहां अविकसित झिरें विकसित होते हैं तथा उसमें नये बांसों की संख्या में वृद्धि होती है तथा बांस की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। वर्षवार बिगड़े बांस वनों के सुधार कार्य का विवरण निम्नानुसार है :-

वित्तीय वर्ष	प्रथम वर्ष का आर.डी.बी.एफ. कार्य (हे. में)
2008–09	39500
2009–10	61100
2010–11	34200
2011–12 (जनवरी 12)	48900

1.4.3 पर्यावरण वानिकी

शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार हेतु यह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों के मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार की दृष्टि से वृक्षारोपण एवं पर्यावरण पार्क विकास संबंधित कार्य किये जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत पथ वृक्षारोपण एवं शहरी रोपण का कार्य भी किया जा रहा है। वर्षवार व्यय का विवरण निम्नानुसार है:–

(राशि लाख में)

वित्तीय वर्ष	कार्य	व्यय
2008–09	स्मृति वन रायपुर, संजय उद्यान अम्बिकापुर, आसना पर्यावरण वन, इंदिरा उद्यान पेंड्रा के रखरखाव, वन महोत्सव, पथ वृक्षारोपण/ तैयारी/ रखरखाव एवं पर्यटन स्थलों का रखरखाव, मैनपाट पर्वत पर स्थित पर्यटन स्थल का विकास, बाघनदी कक्ष क्र. 595 में फलदार वृक्षारोपण, बोतल्दा पर्यटन पार्क रायगढ़, भूपदेवपुर आदि के रखरखाव	874.42
2009- 10	पर्यावरण पार्कों एवं पर्यटन स्थलों का रखरखाव, पथ वृक्षारोपण एवं रखरखाव, हनुमानगढ़ी का विकास एवं सौंदर्यीकरण, कटघोरा वनमंडल, महामाया आक्सीजन सेंटर, अम्बिकापुर का निर्माण आदि	789.31
2010 -11	पर्यावरण पार्कों एवं पर्यटन स्थलों का रखरखाव, हनुमानगढ़ी का विकास एवं सौंदर्यीकरण कटघोरा, स्मृति वन रायपुर, संजय उद्यान अम्बिकापुर, आसना पर्यावरण वन, इंदिरा उद्यान पेंड्रा के रखरखाव	705.04
2011- -12 (जनवरी 11)	पर्यावरण पार्कों एवं पर्यटन स्थलों का रखरखाव, स्मृति वन रायपुर, वनवाटिका कानन पेण्डारी, खूंटाघाट उद्यान, सोनडोंगरी पहाड़ी, बिलासाताल एवं मदकूद्वीप, हनुमानगढ़ी का विकास एवं सौंदर्यीकरण कटघोरा, रामझरना ईको पार्क, अशोक वाटिका, आसना पर्यावरण वन, इंदिरा उद्यान पेंड्रा के रखरखाव, लक्ष्मी देवी वाटिका, सिद्धार्थ वन, रामटेकरी वन, वन महोत्सव, रामानुजगंज जलाशय एवं तातापानी ईको पार्क, पंचवटी केशकाल, संजय वन वाटिका, मां बम्लेश्वरी पार्क, ईशान वन आदि	284.91

1.4.4 सड़कें तथा मकान निर्माण कार्य

इस योजना में मांग संख्या 10 एवं 41 के अंतर्गत वन विभाग के विभिन्न स्तर पर कार्यालय निर्माण, विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण तथा वनमार्ग उन्नयन कार्य कराया जाता है। वर्षवार कार्य निम्नानुसार है :

(राशि लाख में)

वित्तीय वर्ष	भवनों की संख्या	बजट प्रावधान	व्यय राशि
2008–09	177 भवन निर्माण	700.00	694.87
2009- 10	255 कार्यालय एवं आवास भवन निर्माण तथा 20 कि.मी. वनमार्ग उन्नयन	950.00	939.40
2010 -11	200 कार्यालय भवन एवं आवास निर्माण तथा 20 कि.मी. वनमार्ग उन्नयन	790.00	789.84
2011- 12 (जनवरी 12)	150 आवास भवन निर्माण एवं 50 कि.मी. वनमार्ग उन्नयन	965.00	231.74

1.4.5 पौधा प्रदाय योजना

निजी भूमि में पौधा रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग ने "पौधा प्रदाय योजना" प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत किसी भी भू स्वामी को 1000 पौधे की सीमा तक 1 रुपये प्रति पौधा की रियायती दर पर, उसकी मांग अनुसार पौधे प्रदाय किये जाते है। योजना अंतर्गत वर्ष 2010 11 मे 49.85 लाख पौधे नर्सरी में ग्रामीणों को वितरण किया गया। दिसम्बर 2011 तक 32 लाख पौधे तैयार किए गए हैं तथा वर्ष 2011–12 में 31.85 लाख पौधो का वितरण किया गया है।

1.4.6 नदी तट वृक्षारोपण योजना

प्रदेश की बारहमासी नदियों के तटों पर भू क्षरण रोकने एवं नदियों में पानी के बहाव को बनाये रखने के उद्देश्य से विभाग द्वारा "नदी तट वृक्षारोपण योजना" के तहत कार्य किया जाता है। योजना अंतर्गत वर्ष 2010–11 में 9.80 लाख पौधो का रोपण किया गया है। वर्ष 2011 12 में 569 हे. क्षेत्र में नदी तट वृक्षारोपण किया गया है।

1.4.7 पथ वृक्षारोपण –

योजना अंतर्गत राज्य मार्गों, जिला मुख्य मार्गों तथा ग्रामीण मार्गों के किनारे वृक्षारोपण कार्य किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में 91 कि.मी. में पथ वृक्षारोपण किया गया है। वर्ष 2011–12 में 97 कि.मी. क्षेत्र तैयारी तथा 72 कि.मी लम्बाई में रोपण कार्य किया गया है।

1.4.8 वनमार्गों पर रपटा एवं पुलिया निर्माण –

इस योजना अंतर्गत वनक्षेत्र से गुजरने वाले 13500 कि.मी. वनमार्गों पर रपटा/पुलिया निर्माण किया जाता है जिससे आंतरिक क्षेत्रों में रहने वाले वनवासियों वनग्रामवासी के आवागमन तथा वनोपज निकासी में सुविधा हो सके। वित्तीय वर्ष 2010–11 में 232 रपटा/पुलिया का निर्माण किया गया है। वर्ष 2011–12 में 440 रपटा/पुलिया निर्माण कार्य प्रगति पर है।

1.4.9 कार्य आयोजनाओं के अनुसार कूपों में कार्य–

कार्य आयोजना में प्रावधानित बिगड़े वनों का सुधार, बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य प्रबंधन वृत्तों के अतिरिक्त अन्य प्रबंधन कार्य वृत्तों के प्रावधानित क्षेत्रों में निम्नानुसार कार्य किया गया है –

वर्ष 2009—10

कार्य वृत्त	उपलब्धि(हे. में)
भू एवं जल संरक्षण/वाटरशेड मैनेजमेंट वर्किंग सर्किल	66000
प्रोटेक्शन वर्किंग सर्किल	42300
स्पेशल साल रिहैबिलिटेशन वर्किंग सर्किल	400
तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण	1100
अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण	2400
मेन फेलिंग के कूपों में पुनरोत्पादन कार्य	81000
एस.सी.आई./आई.डब्ल्यू.सी. कूपों में छठवें वर्ष का वन वर्धनिक कार्य	19500
पुराने बांस वृक्षारोपण क्षेत्र में छठवें वर्ष का वनवर्धनिक कार्य	4255

वर्ष 2010—11

कार्य वृत्त	उपलब्धि (हे. में)
भू एवं जल संरक्षण/वाटरशेड मैनेजमेंट वर्किंग सर्किल	52087
प्रोटेक्शन वर्किंग सर्किल	46056
स्पेशल साल रिहैबिलिटेशन वर्किंग सर्किल	180
तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण	214
अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण	565
मेन फेलिंग के कूपों में पुनरोत्पादन कार्य	56533
एस.सी.आई./आई.डब्ल्यू.सी. कूपों में छठवें वर्ष का वन वर्धनिक कार्य	12970
पुराने बांस वृक्षारोपण क्षेत्र में छठवें वर्ष का वनवर्धनिक कार्य	2622

वर्ष 2011—12 में चल रहे कार्य

कार्य वृत्त	लक्ष्य (हे. में)
भू एवं जल संरक्षण/वाटरशेड मैनेजमेंट वर्किंग सर्किल	49430
प्रोटेक्शन वर्किंग सर्किल	39468
स्पेशल साल रिहैबिलिटेशन वर्किंग सर्किल	685
तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण	503
अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण	410
मेन फेलिंग के कूपों में पुनरोत्पादन कार्य	28507
एस.सी.आई./आई.डब्ल्यू.सी. कूपों में छठवें वर्ष का वन वर्धनिक कार्य	37530
पुराने बांस वृक्षारोपण क्षेत्र में छठवें वर्ष का वनवर्धनिक कार्य	4744

1.4.10 वृक्षारोपण

प्रदेश में वन क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु वन मंडलवार अनुमोदित कार्य आयोजनाओं के प्रावधानों के अनुसार रिक्त एवं बिगडे वनक्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्य कराया जाता है। विगत 3 वर्षों में

वन विभाग द्वारा वनक्षेत्रों में वनीकरण की दिशा में किये गए प्रयास निम्नानुसार हैं

वर्ष	रोपित पौधों की संख्या (लाख में)
2009-10	337.00
2010-11	424.57
2011-12	469.00

1.4.11 एकीकृत वन ग्राम विकास योजना–

प्रदेश के कुल वनग्रामों की संख्या – 425
वनग्रामों की जनसंख्या – 1,26,584

प्रदेश में वनक्षेत्रों के अधीन कुल 427 वनग्राम अधिसूचित हैं जिसमें से 02 वनग्राम दीपन/डूब में हैं। दूरदूर वनांचलों में स्थित होने तथा इन ग्रामों में विकास के कार्यों की पर्याप्त स्वीकृति न मिलने के फलस्वरूप यह वनग्राम, अन्य राजस्व ग्रामों की तुलना में अत्यंत पिछड़े हुये हैं। भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वनग्रामों के विकास हेतु वर्ष 2005–06 में एकीकृत वनग्राम विकास योजना स्वीकृत की गई थी, जिसके अंतर्गत विगत 05 वर्षों में राशि प्राप्त हुई।

- एकीकृत वनग्राम विकास के तहत् स्थानीय आवश्यकता के अनुरुप वनग्रामों में पहुंच मार्ग का विकास, कृषि विकास, पेयजल सुविधाओ का विकास, सिचाई सुविधाओं का विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, उद्यानिकी विकास, शिक्षण सुविधाओ का विकास एवं आर्थिक उन्नति के लिये रोजगार मूलक योजनाओं का क्रियान्वयन आदि कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

- योजना का क्रियान्वयन क्षेत्रीय वन संरक्षकों की अध्यक्षता में गठित वन विकास अभिकरण एवं उनके अंतर्गत संबंधित संयुक्त वन प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता

है ; योजना का अनुश्रवण प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय एवं आदिम जाति एवं अनुसूचित विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है।

योजना के क्रियान्वयन की प्रगति निम्नानुसार है :-

वनग्राम जिनकी योजना स्वीकृत	–	415 वनग्राम
कुल स्वीकृत राशि		रू. 12711.87 लाख
कुल प्राप्त राशि	–	रू. 11054.37 लाख
दिसंबर 2011 तक व्यय	–	रू. 9933.19 लाख
कुल स्वीकृत कार्य	–	9370 कार्य
कार्य पूर्ण	–	7998 कार्य
कार्य प्रगति पर	–	1372 कार्य

1.4.12 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त अनुदान–

13वें वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त अनुदान योजनांतर्गत उपलब्धि का विवरण :–

(राशि लाख में)

क्र.	कार्य का विवरण	आबंटन	व्यय (जनवरी 2012)
1	2	3	4
1	नक्सल प्रभावित क्षेत्र में वन चौकियों का निर्माण	1188.00	381.91
2	नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थित वनमंडल कार्यालयों में जनरेटर की स्थापना	155.25	131.77
3	सामुदायिक संगठन एवं क्षमता विकास/प्रशिक्षण	670.00	542.83
4	वनग्रामों में मूलभूत सुविधाओं का विकास	700.00	273.62
5	स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से एकीकृत जीविकोपार्जन परियोजनाएं का क्रियान्वयन	430.95	117.58
6	वनमार्गों का उन्नयन	1259.00	132.50
	बिगड़े वनों का सुधार		
7	अ.सर्वे, सीमांकन कार्य तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयारी	261.76	0.28
	ब.वृक्षारोपण	649.04	-
8	बांस वनों का पुनरोद्धार		
	अ.बिगड़े बांस वनों का सुधार		
	ब.बांस प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना	300.00	-
	योग :–	5614.00	1580.49

आयोजना – बजट प्रावधान एवं व्यय राशि (योजनावार)
वित्तीय वर्ष 2011–12 (जनवरी 2012 की स्थिति में)

(राशि लाख में)

क्रमांक	योजना का नाम	प्रावधान	व्यय
	10–2406–सामान्य योजना		
(2723) –	प्रशासन सुदृढ़ीकरण	75.00	13.20
(1859) –	राज्य वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना	199.26	65.26
(6025) –	वन संसाधनों का सर्वेक्षण और उपयोग	20.00	3.98
(2536) –	पर्यावरण वानिकी	400.00	178.60
(2965) –	बिगड़े वनों का सुधार	1800.00	1242.78
(5089) –	राज्य में वानिकी अनुसंधान	110.00	70.25
(6723) –	संयुक्त वन प्रबंध सुदृढ़ीकरण एवं विकास	130.00	50.30
(6827) –	भू-जल एवं जल संरक्षण कार्य	1900.00	1096.27
(1004) –	नदी तट वृक्षारोपण योजना	200.00	76.69
(1902) –	तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण बांस रोपण सहित	240.00	116.51
(2533) –	हरियाली प्रसार योजना	125.00	58.40
(2534) –	पौधा प्रदाय योजना	50.00	28.36
(6724) –	बांस वनों का पुनरोद्धार	800.00	499.43
(6828) –	पथ वृक्षारोपण	330.00	159.72
(7563) –	अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण	150.00	121.50
(5420) –	राज्य औषधि वनस्पति मंडल की स्थापना	400.00	400.00
(792) –	कर्मचारी कल्याण योजना	100.00	65.01
(6792) –	लघुवनोपज संग्राहक की सामूहिक बीमा योजना	200.00	200.00
(7292) –	छ.ग. सर्टिफिकेशन सोसायटी	15.00	15.00
(1859)	राज्य वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना	245.00	0.00
(4342) –	सड़कें तथा मकान निर्माण कार्य	140.00	15.71
(6699) –	वन विकास उपकर निधि से व्यय	1800.00	1107.57
(6725)	यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	437.64	437.64
(5538)	एकीकृत वन सुरक्षा योजना	1390.00	6.52
(7351) –	त्वरित वन क्षेत्र पुनरोद्धार/पुनरोत्पादन	1.00	0.00
	कुल योग – 10	**11257.90**	**6028.70**

	41–2406 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना		
(2536)	पर्यावरण वानिकी	400.00	106.31
(2962)	बिगड़े वनों का सुधार	4300.00	2986.93
(6516) –	ग्राम वन समितियों के माध्यम से लघुवनोपज/औषधी रोपण	580.00	423.08
(6723) –	संयुक्त वन प्रबंध सुदृढ़ीकरण एवं विकास	200.00	3.00
(6827) –	भूजल एवं जल संरक्षण कार्य	170.00	117.02
(1004) –	नदी तट वृक्षारोपण योजना	380.00	212.12
(2533)	हरियाली प्रसार योजना	100.00	76.34
(2534)	पौधा प्रदाय योजना	60.00	15.79
(4475) –	सामाजिक वानिकी	230.00	111.15
(5091) –	लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना	241.00	122.03
(6724)	बांस वनों का पुनरोद्धार	2460.00	1178.93
(6854) –	लाख विकास योजना	200.00	200.00
(7563)	अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण	150.00	76.06
(6792) –	लघुवनोपज संग्राहक की सामूहिक बीमा योजना	300.00	300.00
(1902)	तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण बांस रोपण सहित	250.00	91.83
(6992) –	वन अधिकारों की मान्यता	100.00	10.68
(4342) –	सड़कें तथा मकान निर्माण कार्य	800.00	216.04
(6886)	वनमार्गों पर रपटा तथा पुलिया निर्माण	2050.00	931.29
(792) –	कर्मचारी कल्याण योजना	100.00	20.27
(7322) –	प्रसंस्करण इकाई	250.00	3.24
(5231)	लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान	200.00	0.00
	कुल योग – 41	**13521.00**	**7201.71**
	64–2406 – 0103 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		
(2962) –	बिगड़े वनों का सुधार	1800.00	1113.49
(6723)	संयुक्त वन प्रबंध सुदृढ़ीकरण एवं विकास	100.00	0.64
(2533) –	हरियाली प्रसार योजना	80.00	50.32
(2534) –	पौधा प्रदाय योजना	40.00	5.30
(6724)	बांस वनों का पुनरोद्धार	1000.00	433.00
(6828) –	पथ वृक्षारोपण	200.00	44.27
	कुल योग 64	**3220.00**	**1646.92**
	महायोग मांग संख्या – 10 + 41 + 64	**27998.90**	**14877.35**

वित्तीय वर्ष 2011—12 में बजट प्रावधान का विवरण निम्नानुसार है :—

(राशि लाख रु. में)

मद	केन्द्रांश	राज्यांश	संचित निधि	विदेशी सहायता से प्राप्त	योग
मांग संख्या 10 (प्लान)	1361.00	9459.26		437.64	11257.91
मांग संख्या 41 (प्लान)	200.00	13321.00	-	-	13521.00
मांग संख्या 64 (प्लान)	-	3220.00	-	-	3220.00
मांग संख्या 48	5614.00	-	-	-	5614.00
योग :-	7175.00	26000.26	-	437.64	33612.90

1.4.13 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना :—

गाजमर्रा पहाड़ी वृक्षारोपण

भारत सरकार द्वारा पारित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 के प्रावधान अंतर्गत केन्द्र शासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में निवासरत समस्त ग्रामीण परिवारों के एक वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने की पात्रता दी गई है। छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना प्रारंभ की गई है। वन विभाग द्वारा इस योजनांतर्गत बिगड़े वनों का सुधार, बिगड़े बांस वनों का सुधार, पथ वृक्षारोपण, मिश्रित वृक्षारोपण, बांस वृक्षारोपण, आवागमन सुविधा हेतु पहुंच मार्ग का निर्माण/उन्नयन, जल संवर्धन एवं संरक्षण कार्य और अन्य रोजगार मूलक कार्य किए जा रहे हैं।

पर्यावरण रोपण कलकसा 2010 में मटका पद्धति से सिंचाई

इस योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:—

(राशि लाखों में)

वर्ष	योजनांतर्गत				स्वीकृत कार्यों की प्रगति		रोजगार (मानव दिवस)
	स्वीकृत कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	पूर्ण	प्रगतिरत	
1	2	3	4	5	6	7	8
2008-09	2456	25596.79	9366.09	8859.58	1830	340	3215562
2009-10	2548	12014.28	8353.63	7842.01	1267	955	8024635
2010-11	1600	8393.48	6913.11	4343.60	676	923	1349922
2011-12	1326	6565.87	4012.94	1743.40	151	1175	418665
योग	7930	52570.42	28645.77	22788.59	3924	3393	13008784

1.5 राज्य क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA)

प्रदेश में क्षतिपूर्ति वनीकरण एवं प्रत्यागत मूल्य के रूप में विभिन्न संस्थानों द्वारा जमा की गई राशि के योजनाबद्ध उपयोग हेतु राज्य क्षतिपूर्ति वनीकरण, कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA) का गठन जुलाई, 2009 में किया गया है। इस प्राधिकरण द्वारा नई दिल्ली स्थित Ad-hoc Campa से कुल ₹ 1883.68 करोड़ की राशि अब तक जमा की गई है, जिसके विरुद्ध भारत सरकार द्वारा मद से राज्य कैम्पा को ₹ 356.85करोड़ का आवंटन किया गया है। राज्य कैम्पा द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजनाओं के आधार पर इस राशि का उपयोग क्षतिपूर्ति वनीकरण, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन, वानिकी विस्तार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, वन्य जीव संरक्षण, विभागीय अधोसंरचना विकास, वन सुरक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में किया जा रहा है

- राज्य कैम्पा की निधि से कार्यों का निष्पादन वार्षिक योजना तैयार कर संचालन समिति के अनुमोदन के उपरांत कराया जाता है। वर्तमान में वर्ष 2009 - 10, 2010- 11 एवं 2011- 12 की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत है, जिसके अनुसार कार्य कराया जा रहा है।
- वर्ष 2009—10 में रुपये 123.21 करोड़ एवं वर्ष 2010—11 में रुपये 134.10 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है, जबकि वर्ष 2011—12 में रुपये 99.54 करोड़ की योजना हेतु राशि प्राप्त हुई है।
- कैम्पा की वार्षिक कार्य योजना में 04 मुख्य शीर्ष निर्धारित किए गए हैं, जिसमें क्षतिपूर्ति रोपण निधि, एन. पी. व्ही. निधि, अनुश्रवण—मूल्यांकन एवं राज्य कैम्पा का स्थापना व्यय सम्मिलित है।

1.5.1 क्षतिपूर्ति वनीकरण

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराई गई वन भूमि पर रखे वनों की क्षतिपूर्ति हेतु क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य "कैम्पा" का एक प्रमुख दायित्व है । फलस्वरूप राज्य कैम्पा निधि के ए. पी. ओ. स वर्ष 2009—10 एवं 2010—11 में क्रमशः 43/5.63 एवं 2294.526 हेक्टेयर में क्षतिपूर्ति वनीकरण का कार्य स्वीकृत किया गया, जिसके विरुद्ध वार्षिक योजना 2009- 10 में

4206.20 हेक्टेयर एवं वार्षिक योजना 2010–11 में 1663.701 हैक्टेयर में रोपण का कार्य पूर्ण किया गया है, साथ ही वर्ष 2011 12 की वार्षिक योजना में लगभग 2000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी तक 1920 हे. क्षेत्र में 2012 में रोपण के लिये क्षेत्र तैयारी का कार्य प्रगति पर है।

1.5.2 वन संवर्धन एवं वृक्षारोपण कार्यः–

(i) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जून 2009 में जारी मार्गदर्शिका के अनुसार कैम्पा निधि से नैसर्गिक वन क्षेत्रों के संवर्धन एवं वनीकरण किया जाना भी निर्धारित किया गया है। फलस्वरूप इस निधि से अब तक 3808 हेक्टेयर में आंवला रोपण, सिंचित रोपण, विशेष प्रजाति, बांस रोपण इत्यादि का कार्य कराया गया है। इसके साथ ही वर्ष 2010–11 के ए.पी.ओ. से

एन.पी.व्ही.मद से समस्त वन वृत्तों में 900 किलोमीटर लंबाई में सड़क किनारे वृक्षारोपण कार्य कराया गया है। वर्ष 2011–12 में 22195 हेक्टेयर सघन वनों में नैसर्गिक पुनरुत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु वन वर्धनिक कार्य स्वीकृत किया गया है जिस पर रुपये 15.52 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

(ii) अधोसंरचना विकास कार्यः–

- वर्ष 2009–10 के ए. पी. ओ. से विभिन्न वन वृत्तों में 35 कार्यालयीन एवं 300 आवासीय भवन स्वीकृत किये गये हैं। इसी प्रकार वर्ष 2010–11 के ए. पी. ओ. से 132 आवासीय भवन स्वीकृत किये गये है। इस प्रकार कैम्पा निधि से कुल 467 भवनों का निर्माण किया गया है। जिससे भवन संबंधी मूलभूत अधोसंरचना का विकास किया गया है।

- वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु वन मंडल स्तरीय एवं परिक्षेत्र स्तरीय स्ट्राईक फोर्स का गठन किया गया है जिसके उपयोग हेतु कुल 250 वाहन क्रय कर उपलब्ध कराया गया है।

1.5.3 व्यय की जानकारी:–

राज्य क्षेत्र के 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 की स्वीकृत वार्षिक योजनाओं एवं कार्यों पर जनवरी 2012 तक कुल रुपये 123.33 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गयी है। मदवार व्यय की गयी राशि का विवरण निम्नानुसार है:

अ.क.	मद का नाम	व्यय की गयी राशि (राशि लाख ₹ में)
1	क्षतिपूर्ति वनीकरण	2722.64
2	वनीकरण	5569.24
3	वन सुरक्षा	1126.07
4	सूचना प्रणाली का विकास	107.63
5	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	309.01
6	कर्मचारी सुविधायें एवं अधोसंरचना विकास	1610.31
7	संरक्षित क्षेत्र का विकास एवं जैव विविधता संरक्षण	1208.40
8	औषधीय पौधो का विकास	25.29
9	कैम्पा का स्थापना व्यय	55.02
	योग	12333.65

1.5.4 वर्ष 2011–12 की वार्षिक योजना

वर्ष 2011–12 की वार्षिक योजना 400.37 करोड़ रुपये की तैयार कर भारत सरकार को भेज गई। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इस योजना के विरुद्ध केवल 99.54करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। वर्ष 2011–12 की वार्षिक योजना में निम्नलिखित 03 नई योजनाओं को शामिल किया गया है:–

(i) नदी तटबंध रोपण :–

राज्य की महत्वपूर्ण नदियों के तटों का कटाव रोकने तथा नदियों में जल प्रवाह बनाए रखने हेतु नदी के किनारे उपलब्ध पड़त भूमियों पर रोपण की योजना लागू की गई है। वर्ष 2011–12 में इस योजना के अंतर्गत शिवनाथ एवं राज्य की अन्य महत्वपूर्ण नदियों के किनारे 1500 हेक्टेयर में रोपण हेतु क्षेत्र तैयारी का प्रावधान किया गया है।

(ii) ऑक्सीवन रोपण :–

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु "ऑक्सीवन योजना" लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के समीप खुले क्षेत्र में 10 हेक्ट. से अधिक उपलब्ध भूमि पर सघन वनीकरण का कार्य किया जावेगा, जिससे शहरी

क्षेत्रों के नागरिकों को एक ऐसा मानव निर्मित वन उपलब्ध हो सकेगा, जिससे ध्वनि/वायु प्रदूषण की रोकथाम हो सके। वर्ष 2011 12 में 300 हेक्टेयर क्षेत्र मे कार्य किये जाने का प्रावधान किया गया है .

(iii) वन प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना :–

राज्य मे वन कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त सुविधाए उपलब्ध नही है। प्रदेश मे क्षेत्रीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु 01 वनपाल तथा 02 वनरक्षक प्रशिक्षण शाला हैं। प्रदेश में बड़ी संख्या मे अप्रशिक्षित वनरक्षक हैं। वनरक्षकों को समय से प्राथमिक प्रशिक्षण देने एवं कार्यरत कर्मचारियों हेतु पुनर्अध्ययन कार्यक्रम संचालित करने के लिये कैम्पा अंतर्गत तीन नए वन प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना सरगुजा, दुर्ग एवं कांकेर वन वृत्त मे प्रस्तावित है।

1.6 मांग संख्या –10 आयोजनेत्तर मद अंतर्गत व्यय

वर्ष – 2010 – 11

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	विवरण	बजट प्रावधान	व्यय
2010--11	मतदेय	415.79	404.08
	भारित	20.27	13.65
	योग	**436.06**	**417.73**
2011--12	मतदेय	474.68	328.27
(जनवरी 2012 तक)	भारित	18.45	0.24
	योग	**493.13**	**328.02**

योजनावार बजट प्रावधान एवं व्यय

10 – 2406 वन आयोजनेत्तर अंतर्गत 2011 – 12 में बजट प्रावधान एवं माह जनवरी 2012 तक व्यय की जानकारी

(राशि लाख रु.मे)

मांग संख्या	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	योजना का नाम	प्राप्त बजट (प्रथम + द्वितीय अनुपूरक)	माह जनवरी 2012 तक व्यय
1	2	3	4	5	6
10	2406	3555	मुख्यालय	1165.12	789.44
10	2406		भारित	45.00	24.46

10	2406	4462	वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	195.35	110.75
10	2406	4349	सड़कों का निर्माण तथा सड़क व पुलों की मुरम्मती	420.00	286.74
10	2406	6218	भवनों की मरम्मत	595.00	469.43
10	2406	812	कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना	725.10	474.51
10	2406	813	कार्यकारी योजनाएं तथा अतिक्रमण व्यवस्थापन कार्य	323.65	167.01
10	2406	2786	प्रादेशिक संभाग (क्षेत्रीय वृत्त)	853.80	589.28
10	2406	3836	उत्पादन वनमंडल राजकीय व्यापार राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी , खैर एवं बांस	6199.01	3507.66
10	2406	3877	क्षेत्रीय वन मण्डल	24176.85	18230.23
10	2406	1093	खैर	4.00	0.00
10	2406	3531	प्राकृतिक पुनरोत्पादन का (बांस वनों सहित) संरक्षण	1300.00	374.55
10	2406	4475	सामाजिक वानिकी	843.70	694.21
10	2406	3873	वन अपराध का पता लगाने के लिए पुरस्कार	4.89	0.62
10	2406.	216	– वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए प्राप्त राशि का वैकल्पिक वृक्षारोपण निधि में अन्तरण	1.00	0.00
10	2406	3885	– वन विकास निधि में अन्तरण (भारित)	1800.00	0.00
10	2406	252	– अन्य व्यय अनुग्रह अनुदान आर्थिक सहायता	1000.00	810.00
10	2406	(203)	इमारती लकड़ी का राजकीय व्यापार –		
10	2406	535	इमारती लकड़ी	6650.00	4694.31

30	2406	[204]	बांस का राजकीय व्यापार —		
30	2406	3901	बांस	1385.00	698.13
योग			मतदेय :—	45842.36	31897.21
			भारित :—	1845.00	24.46

वन प्रबंधन समितियों हेतु बजट राशि :—

30	2406	[203]	इमारती लकड़ी का राजकीय व्यापार —		
30	2406	5641	वन प्रबंधन समितियाँ	1500.00	883.05
30	2406	[204]	बांस का राजकीय व्यापार		
30	2406	5641	वन प्रबंधन समितियाँ	125.50	46.83
			(वन प्रबंधन समिति हेतु) योग :—	1625.50	929.93
			महायोग (मतदेय) :—	47467.86	32827.1
			महायोग (भारित) :—	1845.00	24.40
			महायोग (मतदेय + भारित) :—	49312.86	32851.60

1.7 वन राजस्व का लक्ष्य एवं प्राप्तियां

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	मद	लक्ष्य	प्राप्तियाँ
2010–11	0406– राजस्व का लक्ष्य एवं प्राप्तियाँ	400.00	357.14
2011–12	—	450.00	286.55 (जनवरी 2012 तक)

1.8 संयुक्त वन प्रबंधन

1.8.1 संयुक्त वन प्रबंधन की अद्यतन स्थिति :–

प्रदेश के कुल 19720 ग्रामों में से वनक्षेत्रों की सीमा से 5 कि.मी. के भीतर लगभग 11185 ग्राम स्थित हैं। प्रदेश का 44.2 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनक्षेत्र है तथा वनवासी अपनी आजीविका अर्जन हेतु वनो पर काफी हद तक निर्भर है। प्रदेश के वनों से लगभग 07 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन होता है। छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन को प्रदेश में वन सुरक्षा एवं वन प्रबंधन का आधार बनाया गया है।

छत्तीसगढ़ में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की अद्यतन स्थिति

वन प्रबंधन समितियों की संख्या	:	7887
सं0व0प्र0 के अन्तर्गत क्षेत्रफल	:	33190 वर्ग कि.मी
कुल वन क्षेत्रफल का प्रतिशत	:	55.52 प्रतिशत
कुल समिति सदस्यों की संख्या	:	27.63 लाख
महिला	:	14.36 लाख
पुरुष	:	13.27 लाख
अनुसूचित जन जाति	:	15.21 लाख
अनुसूचित जाति	:	4.71 लाख
अन्य	:	7.71 लाख

1.7.2 संयुक्त वन प्रबंधन पर राज्य शासन का संकल्प:–

राज्य शासन द्वारा पारित संयुक्त वन प्रबंधन के संशोधित संकल्प अक्टूबर 2002 के अनुसार संयुक्त वन प्रबंधन समिति को आबंटित वन क्षेत्र में कार्य आयोजना के प्रावधान के अनुरूप **बांस या काष्ठ कूप के मुख्य पातन / वन वर्धनिक विरलन से प्राप्त होने वाले वनोत्पाद की स्थल पर कुल कीमत की 15 प्रतिशत राशि अथवा 15 प्रतिशत मूल्य तक का वनोत्पाद या दोनो समिति को प्रदाय किया जावेगा।**

उपरोक्त प्रावधान के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को वर्ष 2000–01 से 2011–12 तक काष्ठ/एवं बांस विदोहन से प्राप्त वनोपज के हिस्से के रूप में निम्नानुसार लाभांश राशि प्रदाय की गई है।

भुगतान वर्ष	समितियों की संख्या	राशि (करोड़ रु. में)	उत्पादन वर्ष
2003 04	219	3.08	2000 01
2003 -04	358	6.13	2001 02
2003 04	446	8.29	2002 03

2004—05	313	8.70	2003 04
2005—06	415	9.01	2004—05
2006—07	395	9.76	2005 06
2007—08	512	13.93	2006—07
2008 09	391	27.19	2007 08
2009—10	412	22.19	2008—09
2010—11	275	8.13	2009—10
2011—12 (जन.12 तक)	475	10.54	2010 11
	4211	126.45	

1.7.3 वन प्रबंधन समितियों में आयवृद्धि मूलक कार्य

वन प्रबंधन समिति सदस्यों की वनों पर निर्भरता कम करते हुए अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा विभिन्न आय वृद्धि मूलक कार्य कराये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

- **चक्रीय निधि का उपयोग:–**

वन प्रबंधन समितियों में उनको आवंटित वन क्षेत्र में काष्ठ/बांस विदोहन उपरांत 15 प्रतिशत लाभांश **का वितरण अत्यंत ही सीमित समितियों को हो पाता है।** राज्य में गठित कुल [illegible] समितियों में से प्रतिवर्ष औसतन मात्र 300 से 350 वन प्रबंधन समितियों को ही लाभांश राशि प्राप्त होती है एवं शेष वन प्रबंधन समितियां इस लाभांश से वंचित रहती है।

शासन द्वारा इस दिशा में पहल करते हुए वर्ष 2007 में संयुक्त वन **प्रबंधन के संकल्प में संशोधन कर समितियों को प्राप्त होने वाली 15% लाभांश राशि में से 30% राशि काटकर वन वृत्त स्तर पर चक्रीय निधि निर्मित कर उपलब्ध रखे जाने हेतु प्रावधान किया गया है।** उक्त **राशि** का उपयोग विगत 2 वर्षों से दक्षता पूर्वक कार्य कर रही ऐसी वन प्रबंधन समितियां जिनके पास विकास कार्यों हेतु राशि उपलब्ध नही है को उनकी मांग एवं प्रस्तुत परियोजना की आर्थिक समीक्षा के आधार पर आवश्यकता अनुसार आय

वर्धक गतिविधियां हेतु उपलब्ध कराई जाती है

चक्रीय निधि मे जमा राशि से वन प्रबंधन समितियों में विभिन्न आय मूलक कार्य कराये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2011–12 के अंतर्गत राज्य के 6 वन वृत्तों की वन प्रबंधन समितियों में लगभग रुपये 7.00 करोड के आयमूलक कार्य कराये जा रहे है। महिला सशक्तिकरण के तहत वन प्रबंधन समितियों में महिला स्व सहायता समूहों का निर्माण कर लघु वनोपज आधारित माहुल पत्ता की 21, बांस प्रसंस्करण की 18, स्वई रस्सी की 20, जामुन की 2, एलोविरा की 6, रैली कोसा की 6, अगरबत्ती काड़ी की 20, इमली की 8, तेल बीज प्रसंस्करण की 11, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की 750 ईकाइयां आदि स्थापित की गई है।

- **हस्त शिल्प कला (बेलमेटल आर्ट , लौह शिल्प , टेराकोटा शिल्प , काष्ठ शिल्प कला) विकासः**

राज्य के पारम्परिक शिल्पकारों को बिचौलियों द्वारा किये जा रहे शोषण से बचाने, उनके सशक्तिकरण एवं उनकी कला में नवीन तकनीकों को शामिल करने के दृष्टिकोण से विभाग द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन के अन्तर्गत वर्ष 2008 –09 से कोण्डागांव, रायगढ एवं बस्तर

वनमण्डल में बेलमेटल, टेराकोटा , एवं लौह शिल्प कला के विकास हेतु परियोजना तैयार की गई, जिसमें शिल्पकारों को आर्थिक रूप सुदृढ़ करने में सफलता मिली है। इसके अंतर्गत कोण्डागांव से बेलमेटल के 5 समूह , रॉट आयरन के 2 समूह, टेराकोटा के 1 समूह निर्माण कर कार्य प्रारम्भ किया गया है। जिसमे प्रत्येक समूह में 12 से 15 तक शिल्पकार परिवार है। हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देते हुए विभिन्न वनमण्डलों में समूह का गठन कर उत्पादन में वृद्धि किया जा रहा है। जिसके तहत छत्तीसगढ़ स्तर पर कुल 120 समूह का गठन किया गया है। जिसमें 1341 शिल्पकार परिवार कार्यरत है। वनमण्डलवार एवं शिल्पवार निर्मित समूह तथा संलग्न परिवारों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	वृत्त	वनमण्डल	निर्मित समूहो की संख्या			
			बेलमेटल	लौह शिल्प	टेराकोटा	काष्ठकला
1.	कांकेर	कोण्डागांव	24	16	03	01

2.		नारायणपुर	04	---	03	01
3.	जगदलपुर	बस्तर	14	06	03	32
4.	बिलासपुर	रायगढ़	12	--	--	--
5.	दुर्ग	दुर्ग	01		--	

राज्य में गठित समस्त समूहो द्वारा संगठित होकर कार्य को सुचारू रूप से संचालन हेतु झिटकू–मिटकी हस्त शिल्पकला सोसायटी का गठन भी किया गया है। समूहो को उचित बाजार व्यवस्था प्रदान करते हुए उत्पादित सामाग्रीयो का सही मूल्य दिलाने के उद्देश्य से रायपुर मे झिटकू मिटकी हस्त शिल्पकला एम्पोरियम स्थापित किया गया है।

- **सिंचाई विकास एवं जल संरक्षण कार्यः–**

इसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति सदस्यों को वनों पर आर्थिक निर्भरता कम करने हेतु अभी तक **कुल 31038 हे. कृषि क्षेत्र मे सिंचाई** की व्यवस्था कराई गई है। **इसके अंतर्गत 1550 स्टाप डैम**, 2500 ट्यूब वेल, **3836 कुंए एवं 160 कि.मी. केनाल का निर्माण** किया गया है। **इससे उक्त क्षेत्र में खरीफ फसल तथा रबी फसल हेतु सिंचाई व्यवस्था की गयी है।**

- **सबई रस्सी उत्पादनः–**

रायगढ़, **धरमजयगढ़ तथा खैरागढ़ वनमण्डलों में वन** प्रबंधन **समितियों में स्व सहायता समूहों के माध्यम से सबई** रस्सी का उत्पादन **माईक्रो इंटरप्राईसेस के रूप में किया जा** रहा है। इस हेतु 290 **हे. क्षेत्र में सबई रोपण कराते हुये तीन** माईक्रो इन्टरप्राईजेज की **स्थापना** की गई है।

- **स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से एकीकृत जीविकोपार्जन परियोजनाएं का क्रियान्वयनः–**

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के गांवों में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से एकीकृत जीविकोपार्जन परियोजनाएं के क्रियान्वयन का कार्य विभाग द्वारा प्रथम बार प्रारंभ किया गया है। यह प्रोजेक्ट 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त अनुदान योजना के तहत लिये गये है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में 4.30 करोड़ रुपये की लागत से इस योजना का क्रियान्वयन चार स्वयं सेवी संस्थाओं प्रदान, हरितिमा, स्पीड एवं ग्रामीण विकास ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है।

राज्य के वनों में प्रकृति पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य वन नीति, 2001 के बिन्दु कमांक 4.14.1 अंतर्गत यह प्रावधानित है कि "प्रकृति पर्यटन को वानिकी विस्तार का एक अंग मानना चाहिये। पारिस्थितिकीय पर्यटन की इन गतिविधियों को ग्रामीण समुदायों के आर्थिक विकास प्रणाली के रूप में भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिये"। इसी उद्देश्य से विभाग द्वारा "संयुक्त वन प्रबंधन सुदृढ़ीकरण एवं विकास योजना" अंतर्गत वन प्रबंधन समिति सदस्यों के वैकल्पिकक आय स्त्रोत बढ़ाने के दृष्टिकोण से "परिस्थितिकीय पर्यटन" (Eco-Tourism/Nature Tourism) का एक पायलेट प्रोजेक्ट रायपुर वनमंडल के देवपुर परिक्षेत्र के अचानकपुर ग्राम में कियान्वित किया गया है।

• सामुदायिक सहभागिता द्वारा सार्वजनिक परिवहन प्रणाली

संयुक्त वन प्रबंधन गतिविधियों के अंतर्गत नक्सल प्रभावित जिला, रायपुर में सामुदायिक सहभागिता द्वारा सार्वजनिक परिवहन प्रणाली (Public Transport System) का विकास किया गया है। बीजापुर जिले के सुदूर अंचलों में संवेदनशीलता तथा संचार व्यवस्था के लचर होने के दृष्टिगत सवारी वाहन अत्यंत ही कम चलते थे, जिसके कारण लोगों को रोजमर्रा के वस्तुओं की उपलब्धता एवं आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसके दृष्टिगत वन विभाग एवं जिला पंचायत के संयुक्त प्रयास से संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत सामुदायिक सहभागिता की परिकल्पना को मूर्तरूप प्रदान करते हुए वन विभाग की चक्रीय निधि एवं एकीकृत कार्य योजना अंतर्गत अनुदान राशि से "जन सुविधा एक्सप्रेस" योजना का प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक परिवहन हेतु 10 टाटा मैजिक, 4 ट्रैक्टर एवं 4 बोलेरो गाड़ियां चयनीत वन प्रबंधन समितियों के कुल 18 हितग्राहियों को उपलब्ध कराई गई है। योजना में कुल लागत का 5% हितग्राही द्वारा 10 से 30% राशि LWE जिलों हेतु केन्द्र की एकीकृत कार्ययोजना से

तथा अवशेष राशि वन विभाग के चकीय निधि से उपलब्ध कराई गई है। चकीय निधि से प्रदत्त राशि 4% वार्षिक सरल ब्याज के दर से हितग्राहियों द्वारा वापस किये जाने का प्रावधान है।

- **नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का विकास**

"संयुक्त वन प्रबंधन सुदृढ़ीकरण" के तहत बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी विभाग ने समस्त बाधाओं के बावजूद अगरबत्ती एवं आईसक्रीम काड़ी निर्माण हेतु 600 युवा आदिवासियों को प्रशिक्षण, 400 हितग्राही के स्व सहायता समूहों के माध्यम से लाख पालन, 150 स्व सहायता समूहों के माध्यम से कोसा पालन कराया जा रहा है। इसी तरह ईमली प्रसंस्करण के केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

- **एकीकृत जीविकोपार्जन की परियोजनाएं :–**

संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण मद के अंतर्गत वन प्रबंधन समितियों की वनों पर निर्भरता कम करते हुये उन्हें आय मूलक कार्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के चयनित 11 वनमण्डलों में 2 वर्षीय एकीकृत जीविकोपार्जन की परियोजनाएं (Intensive Integrated Livelihood Projects) स्वीकृत की गई है। उक्त परियोजनाओं के अंतर्गत जल मृदा संरक्षण, सिंचाई विकास, वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों का विकास, पशुधन प्रबंधन, उच्च घनत्व ऊर्जा रोपण एवं फार्म यांत्रिकी जैसे कार्य लिये गये हैं। उक्त गतिविधियों से वन प्रबंधन समितियों की वनों पर निर्भरता कम होगी साथ ही साथ इन्हें सतत् रूप से आय भी प्राप्त होती रहेगी।

एकीकृत जीविकोपार्जन की परियोजनाओं हेतु चयनित वनमण्डल एवं वर्ष 2011–12 हेतु आवंटित राशि का वितरण निम्नानुसार है :–

क्र.	वृत्त का नाम	वनमण्डल का नाम	आवंटित राशि (रू. लाख में)
1	रायपुर	रायपुर	35.73
2		पूरानपुर	30.14
3		उदंती	25.00
4	दुर्ग	कवर्धा	32.94

5		राजनांदगाँव	19.81
6	बिलासपुर	बिलासपुर	22.48
7		कोरबा	21.53
8		धरमजयगढ़	20.81
9	सरगुजा	उ. सरगुजा	37.47
10		कोरिया	26.18
11	जगदलपुर	बस्तर	33.57
		योग	305.66

- **ग्रामीणों की जलाऊ लकड़ी के लिये वनों पर निर्भरता कम करने के उपाय :–**

राज्य में वन क्षेत्र एवं इसकी सीमा से लगे हुए ग्रामों की आबादी अपनी जलाऊ निर्भरता हेतु मुख्यतः वनों पर निर्भर है। उक्त जलाऊ निर्भरता की पूर्ति हेतु इनके द्वारा वन क्षेत्र से लकड़ियां इकठ्ठा की जाती है जो कि वनों को नुकसान पहुचाने वाले मुख्य कारको में से एक है। वनों पर जैविक दबाव कम करने के उद्देश्य से वन प्रबंधन समिति के सदस्यों को जलाऊ लकड़ी की खपत कम करने के लिये उन्नत बायोमास चूल्हा उपलब्ध कराने एवं बायोब्रिकेट मशीन स्थापित करने का कार्य संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की राशि से कराया गया है।

1.7.4 राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम

भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वनों के सतत् विकास हेतु विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य के वन विकास अभिकरणों के संघ के रूप में State Forest Development Agency (SFDA) का गठन किया जाकर इसके तत्वाधान में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य मे राज्य वन विकास अभिकरण के अंतर्गत रामरत 32 वनमंडलों के वन विकास अभिकरण सम्मिलित है।

वित्तीय वर्ष 2011—12 के अंतर्गत राज्य वन विकास अभिकरण के माध्यम कुल ₹24.55 करोड़ की परियोजना की स्वीकृति प्राप्त की गयी है । वर्ष 2001—02 से 10वीं योजना एवं 11वीं योजना में वर्ष 2010—11 तक कुल 109506 हेक्ट. क्षेत्र के भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध 101751 हेक्ट. क्षेत्र में वनीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वन विकास अभिकरण के अंतर्गत किये गये वृक्षारोपण के तहत वर्ष 2002—03 से 2011—12 तक प्रजातिवार निम्नानुसार पौधों का रोपण किया गया है।

क्र.	वर्ष	लक्ष्य (हे.)	रोपित क्षेत्र (हे.)
1	2002—03	200	200
2	2003—04	6570	3120
3	2004—05	12079	12407
4	2005—06	11610	12512
5	2006—07	12055	12768
6	2007—08	18210	17345
7	2008—09	23675	18851
8	2009—10	15130	14706
9	2010—11	8800	8715
10	2011—12	1177	1127
योग		109506	101751

1.7.5 इंडियन फारेस्ट्स कांग्रेस

प्रथम **"इंडियन फारेस्ट्स् कांग्रेस" का आयोजन दिनांक** 22 से 23 **नवंबर**, 2011 तक नई दिल्ली में भारतीय वन **अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद**, देहरादून तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस आयोजित "इंडियन फारेस्ट्स कांग्रेस" का मुख्य थीम "Forest Changing World" था।

आयोजित "इंडियन फारेस्ट्स कांग्रेस" के मुख्य आकर्षणों में से एक "राष्ट्रीय जे.एफ.एम. कॉन्क्लेव" था, जिसमें भारत वर्ष से कुल 1000 वन प्रबंधन समिति सदस्य सम्मिलित हुए। छत्तीसगढ़ राज्य से 10 वन प्रबंधन समिति सदस्य इस कॉन्क्लेव में सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में राज्य की वन प्रबंधन समितियों के अध्यक्ष श्री मायाराम नागवंशी दुगली, श्रीमती राजकुंवर

सीतापाली, श्री रामनारायण यादव धमनी, श्री चंद्रशेखर उइके डोंगरगांव, श्री फूलचंद कमार कठुवा, श्री राजवाड़े कैलाशपुर, के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संयुक्त वन प्रबंधन गतिविधियों का प्रस्तुतीकरण किया गया। कार्यक्रम के आयोजन स्थल पर राज्य की संयुक्त वन प्रबंधन गतिविधियों को प्रदर्शित करने हेतु एक विशेष पेवेलियन "Ensuring Livelihood Through JFM" का भी निर्माण किया गया था। इसमें राज्य की संयुक्त वन प्रबंधन की "सफलता की कहानियां" /मॉडल, वन एवं हस्तशिल्प कला उत्पाद जो कि वन प्रबंधन समिति में स्व सहायता समूहों के माध्यम से तैयार किये जाते हैं, का भी प्रदर्शन किया गया। छ.ग. राज्य के स्टाल का अवलोकन देश के अनेक अति विशिष्ट एवं देश के वरिष्ठ वन अधिकारियों द्वारा किया गया एवं इसकी सराहना की गई।

1.8 कार्य आयोजना

1.8.1 राज्य के वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन वनमंडलों की स्वीकृत कार्य आयोजना के अनुसार किया जाता है। कार्य आयोजना वनमंडल के वनों के प्रबंधन, विदोहन /पालन, वृक्षारोपण, जल मृदा संरक्षण पारिस्थितिकीय विकास एवं वनसंरक्षण हेतु भारत शासन द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना होती है।

1.8.2 वनमंडल की कार्य आयोजना एक वरिष्ठ वन अधिकारी(उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी) के द्वारा बनायी जाती है। कार्य आयोजना की अवधि 10 वर्ष की होती है। कार्य आयोजना का पुनरीक्षण, कार्य आयोजना समाप्ति के 3 वर्ष पूर्व प्रारंभ कर दिया जाता है ताकि कार्य आयोजना की समयावधि समाप्त होने के साथ ही वन मंडल में नई कार्य आयोजना लागू की जा सके। वर्तमान में राज्य के 32 वनमंडलों में से 31 वनमंडलों की कार्य आयोजनाएं भारत सरकार से स्वीकृत हैं तथा प्रभावशील हैं। मरवाही वनमंडल की कार्य आयोजना का कार्य पूर्ण किया जाकर उसे भारत सरकार की स्वीकृति हेतु शीघ्र भेजा जा रहा है।

1.9 भू–प्रबंध

1.9.1 प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

सड़ वन भागो
उन्न : 84 के उन्न वीकार्ति जारी गों
जिले सार

क्र	जिले का नाम	उ किये वन भाग संख्या
	बिलासपु	26
	कोरबा	47
3	गढ़	
4	पुर	20
		13
	रिया	39
		34
	बस्तर	158
	दंतेवाड़ा	16
10	राजनांदगांव	56
	कबीरधाम	37
	दुर्ग	7
	उत्तर बस्तर कांकेर	95
	धमतरी	26
	जांजगीर चांपा	0
	जापुर	
		147

1.9.2. वन भूमि अतिक्रमण यवस्थापन

24.10
61860 ाबत तियों दिना
76 तक 197 रक्षण अधिनिय 1980 लागू
तिक्रम यर वन भूमि स्वी ी की गई
श्रेणी III के 10,00 मकों के 136
स्वीकृत किर

श्रेणी	विवरण	अतिक्रामक संख्या	क्षेत्रफल
I	दिनांक 31.12.1976 तक के राजस्व एवं वनग्रामों के अतिक्रामक	17746	19270
II	दिनांक 01.01.1977 से 06.03.1979 तक के वन भूमि के अतिक्रामक	34107	37605
	योग	51,853	56875
III	दिनांक 07.03.1979 से 24.10.1980 तक के वनभूमि के अतिक्रामक	10,007	13645
महायोग I + II + III		61860	70520

भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमित क्षेत्र के विरूद्ध वैकल्पिक वृक्षारोपण किया गया है जो कि निम्नानुसार है:-

क्र.	अधिरोपित शर्त	अधिरोपित शर्तों का पालन
1	भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 31.12.1976 के पूर्व के 39883 अतिक्रामकों को 40,851.420 हेक्टेयर क्षेत्र में पट्टा वितरित किया जा चुका है। श्रेणी I+II के कुल 56875 हेक्टेयर, इस प्रकार कुल 97766.381 हेक्टेयर क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जाना था।	उक्त शर्तों के पालन में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 97766.381 हेक्टेयर से भी अधिक कुल 97,774 हेक्टेयर क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य पूर्ण करा लिया गया। प्रकरण अंतिम स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार, नई दिल्ली के पास लंबित है।

1.9.3. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा 13.12.2005 तक के वन क्षेत्रों में कुल 1,83,675 आवेदन प्राप्त हुए है जिसमें से 1,05,051 आवेदन को मान्य किया गया है। इस अनुक्रम में 1,04,082 व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किये जा चुके है।

इस अधिनियम के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राज्य का राष्ट्र में प्रथम स्थान है। ऐसे क्षेत्रों में विकास कार्यों को शीघ्रता से प्रारंभ करने का भी प्रयास किये जा रहे हैं। जो व्यक्ति छूट गए है अथवा जिनके आवेदन निरस्त हुए या जिन्हे सूचना प्राप्त नहीं हुई उनके प्रकरणों पर विचारार्थ पुनः एक अभियान प्रारंभ किया गया है।

क्रमांक	वृत्त का नाम	वितरित मान्यता पत्र	
		व्यक्तियों की संख्या	क्षेत्रफल (हे.)
1	दुर्ग	7047	8214.217
2	जगदलपुर	13992	170065.206
3	कांकेर	24095	32423.913
4	सरगुजा	24105	19331.414
5	बिलासपुर	16033	12710.455
6	रायपुर	18810	25067.002
	योग	1,04,082	114812.207

1.9.4. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन प्रकरण

- वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वन क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन के छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :–
- राज्य निर्माण उपरांत 10 वर्ष की अल्प अवधि में कुल 263 (सिंचाई 57, खनिज 46, विद्युत 46, खनिज पूर्वेक्षण 57 एवं विविध 57) परियोजनाओं की राज्य शासन एवं भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली (GoI, MoEF) से स्वीकृति प्राप्त हुई है।

○ राज्य निर्माण के पूर्व स्वीकृत विकास परियोजनायें	–	157
○ राज्य निर्माण के उपरांत माह जनवरी 2012 तक अंतिम स्वीकृत परियोजनायें	–	263
:: कुल योग ::	–	420

- छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम–1980 के तहत जनवरी 2012 की स्थिति में कुल 371 परियोजनायें लंबित है जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

स्तर	सिंचाई	विद्युत	खनिज	विविध	पूर्वेक्षण	कुल
नई दिल्ली	2	3	7	4	0	16
क्षेत्रीय कार्यालय	1	6	3	8	0	18
राज्य शासन	0	1	1	4	0	6
आवेदक संस्थान	66	63	71	106	25	331
योग	69	73	82	122	25	371

1.9.5. वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन

छत्तीसगढ़ राज्य के कुल 425 वनग्रामों में से 420 वनग्रामों (5 वनग्राम विरान) को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव दिनांक 10.04.2007 एवं दिनांक 14.04.2007 को भारत शासन को प्रेषित किये गये है। इस संबंध में भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा धमतरी, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कवर्धा, कांकेर, दंतेवाड़ा, बस्तर एवं कोरिया जिलों का स्थल निरीक्षण का कार्य भी किया जा चुका है। भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने लेख किया है, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फरवरी, 2004 के निर्णय के अनुसार कोई भी वन भूमि निर्वनिकृत नही की जावेगी। अतः वनभूमि का वैधानिक स्थिति यथावर्तन के बाद भी वन भूमि ही रहेगी। उक्त निर्णय के अनुसार भारत शासन ने वनग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने का प्रकरण बंद कर दिया है तथा राज्य शासन को यह सलाह दी है कि यदि राज्य शासन चाहे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकता है। तद्नुसार रिट याचिका क्रमांक 337/95 में एक अभ्यावेदन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य की ओर से दिनांक 07.04.2005 को प्रस्तुत किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण परीक्षण हेतु केन्द्रीय सशक्त समिति को भेजा गया। केन्द्रीय सशक्त समिति द्वारा तथ्यों का परीक्षण करने के उपरांत अपनी अनुशंसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत की गई ।

केन्द्रीय सशक्त समिति (CEC) के उपरोक्त अनुशंसा पश्चात उपरोक्त प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.05.2006 को Rejoinder दाखिल किया गया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए दिनांक 28.11.2007 को विस्तृत निर्देश जारी किये गये तथा निर्देशों पर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।

वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तन करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ द्वारा माननीय मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रस्ताव भेजा गया है।

1.9.6. नारंगी वन क्षेत्रों के सर्वेक्षण की अद्यतन स्थिति

छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पूर्व मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 5/43/90/10–3/96 दिनांक 14/05/1996 के अनुसार ही छत्तीसगढ़ राज्य में 14 नारंगी क्षेत्र की सर्वेक्षण एवं सीमांकन इकाईयों द्वारा प्रथम चरण में कुल 1234229 हे. नारंगी क्षेत्र को प्रारंभिक सर्वेक्षण कर 772838 हे. नारंगी क्षेत्र वन प्रबंधन के अनुपयुक्त एवं 461390 हे. क्षेत्र आरक्षित वन बनाने हेतु उपयुक्त पाया गया। आज दिनांक तक 4.48 लाख हे. उपयुक्त पाये गये नारंगी क्षेत्र में से 2.50 लाख हे. नारंगी क्षेत्र को धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना प्रस्ताव प्रकाशन हेतु शासन को भेजे गए थे, जो कुछ त्रुटियों के कारण वापिस किये गए एवं संशोधित प्रस्ताव जांच पड़ताल उपरांत प्रकाशन हेतु पुनः शासन को 191741 हे. क्षेत्र के प्रस्ताव भेजे गए थे जिसे राज्य शासन के पत्र क्रमांक/5–25/ 05/10–2 दिनांक 02.09.2010 अधिसूचना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण किये गये क्षेत्र को अलग रंग से चिन्हांकित कर संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है जिसके

तारतम्य मे कार्यालयीन पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/नारंगी/421–2/1763 दिनांक 11.10.2010 के द्वारा समस्त इकाई प्रभारियों को वापस किया गया था।

इस अनुक्रम में कुछ वन मंडलों से त्रुटि सुधारोपरांत 2574 वनखण्डों का रकबा 80302.829 हे. का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुए थे जिसे कार्यालयीन पत्र क्रमांक/नारंगी/ 421 2 / 2117 दिनांक 25.10.2011 के द्वारा छत्तीसगढ शासन, वन विभाग को प्रेषित किया जा चुका है। शेष अधिसूचना प्रस्ताव प्राप्त कर शासन को भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

1.10 संरक्षण

वनों की सुरक्षा विभाग का प्राथमिक दायित्व है, विभाग द्वारा वनों की सुरक्षा के लिए सतत प्रयास किये जा रहे है। विभाग की अधोसंरचना के सुदृढीकरण, संरक्षण से जुड़े अमले की क्षमता विकास, अग्नि सुरक्षा को सुदृढ़ करना, स्थानीय ग्रामीणों को वन सुरक्षा के कार्यों से जोड़े जाने जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। विभाग की नियामक प्रणाली को मजबूत करने के साथ ही साथ संयुक्त वन प्रबंधन की रणनीति के तहत ग्रामीणों की सहभागिता प्राप्त करने के भी सफल प्रयास किये गये है। प्रदेश में 7887 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को वन सुरक्षा हेतु सहभागी बनाया गया है।

1.10.1 अवैध वन कटाई एवं अवैध शिकार के रोकथाम हेतु जांच व्यवस्था

वन क्षेत्रों में वनोपज की अवैध कटाई व निकासी को नियंत्रित करने एवं अन्य वन अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य के अन्दर वनों को बीटों में बॉटा गया है, हर बीट में सतत् निगरानी व सुरक्षा हेतु एक बीट गार्ड पदस्थ है। वनों की सुरक्षा के लिए वन मंडल स्तर पर बीट निरीक्षण रोस्टर बनाये गये है जिसमें सहायक परिक्षेत्राआधिकारी से लेकर वनमंडलाधिकारी तक को प्रतिमाह बीट निरीक्षण का लक्ष्य दिया गया है। बीट निरीक्षण में पायी जाने वाली अवैध कटाई एवं अन्य वन अपराध प्रकरणों का संज्ञान वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लेकर त्वरित कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2010 व 2011 में राज्य में वन विभाग द्वारा वन अपराध के दर्ज प्रकरणों की स्थिति इस प्रकार है :–

अनु. क्र.	वर्ष	वन अपराध के दर्ज प्रकरणों की संख्या	जप्त वनोपज का मूल्य (लाख में)	वसूल किया गया मावजा/महसूल की राशि (लाख में)	जप्त वाहन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2010	19487	667.20	55.88	133
2	2011	23650	543.67	64.28	123

अवैध निकासी पर रोकथाम हेतु राज्य में कुल 330 एवं 35 अंतर्राज्यीय वनोपज जांच नाके स्थापित किये गये हैं। इन जांच नाकों पर वाहनों की सघन जांच की जाती है तथा वनोपज लदे वाहनों से संबंधित जानकारियों को अभिलेखित भी किया जाता है। बिना परिवहन

अनुज्ञा पत्र के दुरूपयोग परिवहन करने वाले वाहनों के विरूद्ध सुसंगत अधिनियमों के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्यवाही की जाती है।

1.10.1 राज्य में आरा मशीनों की स्थिति

राज्य में विभिन्न वन वृत्तों में निम्नानुसार कुल 1420 आरा मशीनें स्थापित है :-

अ.क्र.	वृत्त का नाम	आरा मशीनों की संख्या
1	2	4
1	रायपुर	519
2	दुर्ग	394
3	कांकेर	18
4	जगदलपुर	61
5	बिलासपुर	363
6	सरगुजा	65
	योग	1420

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरा मशीनों के संबंध में दिये गये अंतरिम निर्णय के प्रकाश में, राज्य में वर्ष 1997 के पश्चात् किसी भी नई आरा मशीन की अनुज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। आरामशीनों का नियमित निरीक्षण किये जाने के लिए वन मंडल स्तर पर निरीक्षण रोस्टर बनाया जाता है तथा आरा मशीनों पर निरंतर नियंत्रण रखा जाता है। आरा मशीन में अनियमितता पाये जाने पर छत्तीसगढ़ काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के तहत आरा मशीन स्वामी के ऊपर वैधानिक कार्यवाही की जाती है।

1.10.2 एस.एल.सी. की बैठक में की गई कार्यवाही

केन्द्रीय सशक्त समिति द्वारा नई दिल्ली में दिनांक 17/12/2007 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में काष्ठ आधारित उद्योगों की मांग का आंकलन, आरामशीन के स्थल परिवर्तन एवं नामांतरण इत्यादि के विभिन्न प्रकरणों के निराकरण हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया। तदनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ रायपुर की अध्यक्षता में दिनांक 02/12/2011 को एस.एल.सी. की बैठक में तालिका में दर्शाये अनुसार प्रकरणों में निर्णय लिया गया है:-

आरामशीनों से संबंधित प्रकरणों का विवरण (5 वीं बैठक)

अनु. क्र.	प्रकरणों का प्रकार	कुल प्रस्तुत प्रकरणों की संख्या	निराकृत प्रकरणों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1	नामांतरण	45	25
2	नामांतरण/स्थल परिवर्तन	37	34
3	स्थल स्थानांतरण	14	13
4	विशेष प्रकरण	18	12
	योग	114	84

1.10.3 केन्द्र प्रवर्तित गहन वन प्रबंधन योजना

राज्य में वन सुरक्षा के लिए अधोसंरचना विकास हेतु भारत सरकार से अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रयास किये गये है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2011–12 में गहन वन प्रबंधन योजना (एकीकृत वन सुरक्षा योजना) के अन्तर्गत केन्द्रांश, राज्यांश, प्राप्त राशि एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

वित्तीय वर्ष	योजना का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)			विमुक्त राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में) (जन.12 तक)
		केन्द्रांश 75%	राज्यांश 25%	योग		
1	2	3	4	5	6	7
2011–12	एकीकृत वन सुरक्षा (अब गहन वन प्रबंध योजना)	651.01	217.03	868.14	430.41	343.62

उपरोक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2011–12 में 6 मीटर चौड़ी एवं 25177 कि.मी. लम्बी फायर लाईन जलाई का कार्य किया गया। संवेदनशील क्षेत्रों में 13 वनचौकियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस योजना के अंतर्गत वनो की अग्नि से रोकथाम के लिए 596 अग्नि सुरक्षा श्रमिक रखे गये है तथा वनसीमा के चिन्हांकन हेतु 6857 मुनारों का निर्माण किया जा रहा है। मुनारो की स्थिति जी.पी.एस. द्वारा दर्शाये अक्षांश–देशांश के परिमाप पर आधारित है।

1.10.4 वन आयोजनेत्तर मद से अग्नि सुरक्षा के कार्य

वर्ष 2011–12 में अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से वर्ग–1 के वन क्षेत्रों जिसमें विगत 05 वर्षों में विदोहित कूपों के क्षेत्र एवं 05 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृक्षारोपण क्षेत्र शामिल हैं, की 12 मीटर चौड़ी व 13571 कि.मी. लंबी सीमा लाइनों की जलाई कटाई कार्यो तथा 2000 अग्नि सुरक्षा श्रमिकों की बीटों में वनों की अग्नि से सुरक्षा हेतु तैनाती पर निम्नानुसार व्यय किया गया :-

वर्ष	योजना	आबंटन (राशि लाख में)	व्यय (राशि लाख में)
2011–12	(3877) वन आयोजनेत्तर	560.00	303.24 (जनवरी 2012 तक)

वनों की अग्नि से सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। वनों की अग्नि से सुरक्षा हेतु सभी 3265 बीटों में एक–एक अग्नि रक्षक संपूर्ण अग्नि काल (4 माह) के लिए तैनात किये गये हैं। वनों की अग्नि सुरक्षा की सतत निरीक्षण व सहायता हेतु 24 वन मंडल स्तरीय स्ट्राइक फोर्स वाहन तथा 112 परिक्षेत्र स्तरीय स्ट्राइक फोर्स वाहन (हर वाहन मे 5 सुरक्षा श्रमिकों की तैनाती के साथ) कार्यरत हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त शेष व्यय कैम्पा योजना अंतर्गत किया गया है

1.11 उत्पादन

1.11.1 विदोहन

छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न वनमंडलों के स्वीकृत कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक काष्ठ एवं बांस कूपों के विदोहन से वर्ष 2010–11 में वृत्त वार निम्नानुसार उत्पादन हुआ :

वर्ष 2010–11 में काष्ठ का उत्पादन

अनु.	वृत्त का नाम	इमारती काष्ठ (घ.मी. में)	बल्ली		डेंगरी		जलाऊ लट्ठा		कुल कोष्ठे उत्पादन (घ.मी. में)
			नग	घ.मी.	नग	घ.मी.	नग	घ.मी.	
1	रायपुर	49057	188811	4720	36389	455	94676	31559	85791
2	बिलासपुर	26083	137068	3427	4400	55	37566	12522	42087
3	दुर्ग	10716	9491	237	1140	14	21732	7244	18206
4	सरगुजा	22051	24983	625	20113	251	25512	8504	31431
5	कांकेर	17515	30884	772	1353	17	13818	4606	22910
6	जगदलपुर	17659	509	13	0	0	12192	4064	21735
योग		**143075**	**391746**	**9794**	**63395**	**792**	**205496**	**68499**	**222160**

वर्ष 2010–11 में बांस का उत्पादन

अनु.	वृत्त का नाम	बांस (मे.टन में)	
		औद्योगिक	व्यापारिक
1	रायपुर	478.193	1816.192
2	बिलासपुर	1768.553	719.183
3	दुर्ग	8964.889	3727.077
4	सरगुजा	36.393	32.389
5	कांकेर	5123.486	4391.878
6	जगदलपुर	2348.246	1939.388
योग		**18719.760**	**12626.107**

काष्ठ एवं बांस के निर्वर्तन हेतु प्रदेश के विभिन्न वनमंडलों में 25 काष्ठागार एवं 11 बांसागार स्थापित हैं। इन आगारों में काष्ठ/बांस का निर्वर्तन खोप विक्रय द्वारा किया जाता है, जबकि औद्योगिक बांस का निर्वर्तन अग्रिम निविदा आमंत्रित कर किया जाता है। विदोहन वर्ष 2011–12 में काष्ठ एवं बांस विदोहन का लक्ष्य एवं दिसंबर 2011 की स्थिति में उत्पादन वृत्तवार निम्नानुसार है :–

वर्ष 2011–12 का लक्ष्य एवं माह दिसंबर 2011 की स्थिति में उत्पादन

अनु	वृत्त का नाम	काष्ठ (घन मी. में)		जलाऊ लट्ठे (नग में)		व्यापारिक बांस (मी.टन में)		औद्योगिक बांस (मी.टन में)	
		लक्ष्य	उत्पादन	लक्ष्य	उत्पादन	लक्ष्य	उत्पादन	लक्ष्य	उत्पादन
1	रायपुर	50600	33000	98900	63000	2100	920	1000	400
2	बिलासपुर	32500	9050	41300	14700	560	255	845	920
3	दुर्ग	12600	9100	22300	15500	5600	3175	10200	5160
4	सरगुजा	25400	13950	28700	9200	70	0	60	0
5	कांकेर	18800	9250	18000	10200	4700	1400	5300	1550
6	जगदलपुर	32500	21300	18800	14100	2550	110	3150	250
	योग —	**181400**	**96550**	**224700**	**126700**	**15580**	**5860**	**20555**	**8280**

1.11.2 निस्तार व्यवस्था

प्रदेश में निस्तार नीति के अंतर्गत वन क्षेत्र की 5 कि.मी. की परिधि के अंदर स्थित ग्रामवासियों को निस्तार दर पर वनोपज उपलब्ध कराया जाता है, जबकि इस परिधि के बाहर स्थित ग्रामों को बाजार दर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इस नीति के अंतर्गत कैलेण्डर वर्ष 2011 में निस्तारियों को निस्तार सीजन में वृत्तवार निम्नानुसार वनोपज उपलब्ध कराया गया :—

क्र.	वृत्त का नाम	निस्तार डिपो की संख्या	बांस (नग में)		बल्ली (नग में)		जलाऊ लट्ठे	
			लक्ष्य	प्रदाय	लक्ष्य	प्रदाय	लक्ष्य	प्रदाय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रायपुर	90	1365100	333906	56700	44862	52200	41937
2	बिलासपुर	95	149450	42940	22895	4841	5737	2979
3	दुर्ग	88	824500	484031	16385	5769	1175	608
4	सरगुजा	180	85800	22514	37000	5842	8570	2379
5	कांकेर	149	1070000	1121996	17800	12833	1600	456
6	जगदलपुर	106	341500	220316	13150	4392	11510	6624
महायोग :—		**708**	**3836350**	**2225703**	**163930**	**78539**	**80792**	**54983**

1.11.3 बसोडों को बांस प्रदाय

शासन द्वारा बंसोडों को प्रति वर्ष 1500 नग रॉयल्टी मुक्त बांस प्रदान किये जाने का प्रावधान है। गान बरेजा परिवारों को प्रति वर्ष 1000 बांस बिना रॉयल्टी लिये डिपो से उपलब्ध कराने की नीति है। वर्ष 2011 में 5553 पंजीकृत बरोडों को कुल 2336739 नग बांस प्रदाय किया गया है जिसका वृत्तवार विवरण निम्नानुसार है —

क्र.	वृत्त का नाम	पंजीकृत बसोड़ी की संख्या	बांस (नग में)	
			लक्ष्य	प्रदाय
1	रायपुर	1947	2920500	1070782
2	बिलासपुर	828	271700	64906
3	दुर्ग	2132	3165000	1030901
4	कांकेर	377	188500	37250
5	जगदलपुर	269	229500	132900
	योग	5553	6775200	2336739

नक्सली क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों के कारण बांस का उत्पादन प्रभावित होने व फलस्वरूप इस वर्ष बसोड़ों को बांस प्रदाय प्रभावित हुआ है।

1.12 राष्ट्रीय बांस मिशन

मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वदेशी मेले मे बांस मिशन मंडप का अवलोकन – 23.12.2011

1.12.1 छत्तीसगढ़ में 44 प्रतिशत वन है तथा 45 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति एवं जनजाति के है। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 80 प्रतिशत ग्रामों में निवास करती है, जहां बांस का अपना अलग विशिष्ट स्थान एवं महत्व है। राज्य मे 6556 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मे बांस वन है, जो कि कुल वन क्षेत्र का 11 प्रतिशत है। अत्यधिक जैविक दबाव के कारण अधिकांश बांस वन बिगड़ी हालत में है, जिनका पुनरूद्धार आवश्यक है। छ.ग. के बांस वनों से प्रत्येक वर्ष औसतन 25000 नोशनल टन औद्योगिक तथा 25000 नोशनल टन व्यापारिक बांस का उत्पादन होता है, जबकि व्यापारिक बांस की मांग लगभग 60000 नोशनल टन की है। राज्य के कुल 5553 बसोड़ परिवार बांस के उत्पाद बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य में बिरहोर, पण्डो, पहाड़ी कोरवा, कमार, बैगा जाति के लोग परंपरागत रुप से बांस की छोटी – मोटी वस्तुएं बनाकर अपने परिवार का पालन –पोषण करते हैं।

बांस भिर्रा सफाई – कोरबा

प्रदेश के वनों में बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बांस रोपण एवं बिगड़े बांस वनों के पुनरोद्धार हेतु राष्ट्रीय बांस मिशन प्रारंभ किया गया है। बांस मिशन द्वारा बसोड, कमार, कंडरा, बिरहोर, पण्डो, पहाड़ी कोरवा जाति के जीवन यापन हेतु बांस शिल्पकारों हेतु विभिन्न योजनायें लागू की जा रही है।

1.12.2 मिशन का मुख्य उद्देश्य

- बांस वनों का पुनरूद्धार एवं किसानों के निजी पड़त भूमि में बांस की खेती को प्रोत्साहित करना।
- बसोड एवं बांस उद्योग से जुड़े परम्परागत समुदायों के क्षमता का उन्नयन करना।

मान. वन मंत्री जी द्वारा बैम्बू एम्पोरियम का लोकार्पण

- बांस आधारित उद्योगों को नई तकनीकी लागू करने एवं देश, विश्व में बदलते प्रतिस्पर्धात्मक बाजार व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए नई सामग्री के निर्माण एवं निर्यात हेतु प्रोत्साहित करना।
- बांस से जुड़े उद्योगों, बाजार व्यवस्था, अनुसंधान केन्द्रों, शासकीय संस्थानो एवं बांस के व्यापार से जुड़े व्यवसाईयों के बीच संवाद स्थापित करना।
- वन, कृषि उद्यानिकी एवं ग्रामोद्योग विभाग के बीच समन्वय स्थापित कर बांस क्षेत्रों में वृद्धि, बांस उद्योगों को प्रोत्साहन एवं जीवन यापन हेतु बांस पर आधारित समुदायों के क्षमता का निर्माण करना।
- कटाई तकनीक, कटाई उपरांत प्रबंधन एवं इनका वास्तविक उपयोग, हस्तशिल्प कला से जुड़े कार्यों को प्रोत्साहित करना, इत्यादि।
- राज्य स्तर पर बांस एवं बांस के नवीनतम तकनीक एवं उत्पाद को लोकप्रिय बनाने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करना।

1.12.3 प्रमुख उपलब्धियाँ

- वन विकास अभिकरणों के माध्यम से प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य में बांस मिशन वर्ष 2006 07 के अंत से प्रारंभ है एवं इसका क्रियान्वयन वन विभाग द्वारा किया जा रहा है।
- 32 वनमण्डलों में वर्ष 2010 – 11 वन विकास अभिकरणों के माध्यम से मिशन के अंतर्गत वनक्षेत्रों में 7289 हे. तथा किसानों की पड़त भूमि में 4000 हे., राजस्व भूमि में 279 हे. (कुल 11943 हेक्टेयर क्षेत्र) में बांस रोपण तथा 3044 हेक्टेयर में बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य किया गया है।
- वर्ष 2011 - 12 में 1072 हे. वन क्षेत्र, 325 हे. क्षेत्र में किसानों की पड़त भूमि पर बांस रोपण हेतु क्षेत्र तैयारी कार्य किया जा रहा है। 96 हे. में किसानो के बाड़ी, खेतों में बांस भिर्रा सुधार कार्य किया जा रहा है।
- वर्ष 2006 07 से अबतक 1672 कृषकों (राज्य के भीतर एवं राज्य के बाहर), 210 क्षेत्रीय अमलों एवं 218 शिल्पकारो को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

1.12.4 बांस प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना

छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय बांस मिशन द्वारा बांस की सामग्री बनाने वाले परिवारों को प्रशिक्षित कर बाजार उपलब्ध कराने की योजना को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में बांस प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना की जा रही है। जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम, भवन निर्माण कार्य, मशीनों का क्रय एवं स्थापना का कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

मान. श्री जयराम रमेश, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा बीजापुर अगरबत्ती काड़ी केन्द्र का निरीक्षण 11.11.2011

प्रदेश में 18 बांस प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किये गये हैं, विवरण निम्नानुसार है –

1. वनमंडल बीजापुर (बीजापुर), 2. कांकेर (चारामा), 3. पश्चिम भानुप्रतापुर (बांदे), 4. कोरबा (नोनगिरी), 5. कोरबा (अशोक वाटिका), 6. पूर्व सरगुजा (आमगांव), 7. दंतेवाड़ा (कासोली), 8. बस्तर (नागपुर), 9. नारायणपुर (नारायणपुर), 10. रायपुर (मुक्तागंज–निमोरा), 11. रायगढ (कोसमनारा), 12. राजनांदगांव (डोंगरगांव), 13. कवर्धा (लालपुर), 14. बिलासपुर (रतनपुर), 15. रायपुर (आमरुवा), 16. सुकमा (दोरनापाल), 17. कटघोरा (डोंगानाला), 18. पूर्व भानुप्रतापपुर (अंतागढ) ।

प्रदेश में 10 प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किए जा रहे है ।

1.वनमंडल दक्षिण कोंडागांव (कोंडागांव), 2. रायगढ (घरगढ), 3. कोरिया (आंनदपुर), 4. बीजापुर (बीजापुर II), 5. मरवाही (दानीकुण्डी), 6. दक्षिण सरगुजा (उदयपुर), 7. बिलासपुर (लोरमी), 8. महासमुंद (बागबहारा), 9. कटघोरा (ईरफ– गोपालपुर), 10. दुर्ग (देवकर) ।

वर्ष 2011 12 में 08 अगरबत्ती काड़ी केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं ।

अन्य बांस प्रसंस्करण केन्द्रों में बिक्री का विवरण निम्नानुसार है :–

उपरोक्त के अलावा 06 प्रसंस्करण केन्द्रो में शिल्पकारों/ हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा 04 प्रसंस्करण केन्द्रो की स्थापना का कार्य प्रगति पर है ।

बांस की सामग्री निर्माण करने वाली जनजातियों को ग्रामीण परिवेश में बांस आधारित प्रशिक्षण दिलाया जाकर बांस आधारित कुटीर उद्योगों (बांस आधारित वस्तु) चटाई, सूपा, झौआ, सोफासेट, लालटेन, कुर्सी, टेबल, ट्रे, मंदिर, गिरजाघर, मोबाईल स्टैंड, कलश, ड्रेसिंग सेट एवं अन्य सजावटी/कलात्मक वस्तुओं का निर्माण कराया जाकर उद्यमी के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है ।

1.12.5 छत्तीसगढ़ के बांस शिल्पकारों द्वारा मेलों में भागीदारी

बैम्बू एम्पोरियम – रायपुर

(1) नई दिल्ली के दिल्ली हाट 1 से 15 मार्च 2012 में ग्रीन हाट – (2) स्वदेशी मेला रायपुर 23 से 29 दिसंबर, 2011, (3) नेशनल ट्रेड एवं डेकोर फेयर, रायपुर 22 से 27 दिसम्बर, 2011, (4) केरल बैम्बू फेस्ट 08 से 11 दिसम्बर, 2011, (5) इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (नई दिल्ली) – दिनांक 14 से 27 नवम्बर, 2011, (6) छत्तीसगढ़ राज्योत्सव – दिनांक 01 से 05 नवम्बर, 2011, (7) हरिथोत्सवम् (कोच्चि) मेला, केरल – दिनांक 03 से 07

सितम्बर, 2011, (8) रायपुर राष्ट्रीय संगोष्ठी 12 से 13 जुलाई, 2011, (9) दिल्ली शीन हॉल (नई दिल्ली में) दिनांक 01 से 05 जून, 2011 में बांस शिल्पकार/स्टाफ सम्मिलित हुए।

बास मिशन एवं भास्कर फाउंडेशन द्वारा रायपुर में 12 – 13 जुलाई 2011 को " **बांस उत्पादों का क्लस्टर विकास – समावेशी विकास के लिए एक रास्ता** " विषय पर त्रिपुरा के माननीय वन मंत्री श्री जितेन्द्र चौधरी के मुख्य आतिथ्य एवं माननीय वन मंत्री छत्तीसगढ़ श्री विक्रम देव उसेंडी जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में देशभर के **बांस उद्यमी, आईआईटी** गुवाइ के प्राध्यापकों, प्रदेश के विभिन्न जिलों के बांस शिल्पकार, **अशासकीय संस्थाओं के 250 – 300** व्यक्ति उपस्थित रहें।

1.12.6 परिवहन अनुज्ञा पत्र का अधिकार ग्राम पंचायत को – कृषकों को अपनी पडत भूमि, मेड़, बाडी आदि पर बांस

अगरबत्ती कांड़ी केन्द – बीजापुर 12.11.2011

दंतेवाड़ा व.म में बांस वृक्ष रोपण का निरीक्षण 26.12.2011

रोपण को बढावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के सात जिलों – सरगुजा, जशपुर, जांजगीरचांपा, कोरबा, धमतरी, कबीरधाम और महासमुंद में छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम 2001, के तहत जिले के अंदर बांस परिवहन हेतु परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करने के अधिकार संबंधित ग्राम पंचायतों को प्रदान किये गये हैं।

1.13 अनुसंधान एवं विस्तार

1.13.1 उद्देश्य

- चयनित प्रजातियों के उत्तम कोटि के बीजों का उत्पादन, संग्रहण, भण्डारण व वितरण।
- महत्वपूर्ण प्रजातियों के उन्नत पौधों का उत्पादन एवं वितरण।
- राज्य में निजी क्षेत्र में वानिकी को बढ़ावा देने एवं प्रोत्साहन हेतु तकनीकी जानकारी तथा सुविधाएं उपलब्ध कराना।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार के अधीन प्रदेश के तीनों कृषि-जलवायु क्षेत्रों में रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में अनुसंधान एवं विस्तार वनमंडलों की स्थापना की गई है। इन वनमंडलों द्वारा वनों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु बीज उत्पादक क्षेत्रों एवं बीज उद्यानों की स्थापना की गई है।

- **बीज उत्पादन क्षेत्र (Seed Production Area) :** प्राथमिक तौर पर अंतरिम व्यवस्था के रूप में अच्छे बीज प्राप्त करने हेतु तीनों अनुसंधान एवं विस्तार वनमंडलों के अंतर्गत 66 हे0 क्षेत्र में सागौन, युकेलिप्टस, खम्हार, शीशम, साजा, धावड़ा एवं आँवला इत्यादि प्रजातियों के बीज उत्पादन (Seed Production Area) क्षेत्र का विकास।
- **बीज उद्यान (Seed Orchard) :—** अच्छी गुण श्रेणी के बीज की प्राप्ति हेतु तीनों अनुसंधान एवं विस्तार वनमंडलों के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रजातियों के बीजांकुर बीज उद्यान 193 हे क्षेत्र में एवं क्लोनल बीज उद्यान 218.9 हे. क्षेत्र में स्थापित।

  वर्ष 2011—12 में बीज उद्यानों एवं बीज उत्पादन क्षेत्रों से 160.51 क्विं सागौन बीज, बांस 4.5 क्विं., महुआ 1.60 क्विं., बहेड़ा 0.87 क्विं. तथा बीजा 0.29 क्विं. बीज का उत्पादन हुआ है, जिसे विभागीय रोपणों हेतु पौधा तैयारी में उपयोग करने के साथ--साथ तैयार पौधों को कृषकों में वितरण हेतु उपयोग में लाया जा रहा है।

1.13.2 टिशु कल्चर लैब की स्थापना :—

राज्य में टिशु कल्चर लैब की स्थापना रायपुर एवं बिलासपुर में की गई है, जिसमें बांस के उन प्रजातियों के बीज जो कि प्रायः राज्य में प्राप्त नहीं होते हैं ,जैसे बैम्बुसा टुल्डा, बैम्बुसा बाल्कोआ और बैम्बुसा बलगैरिस प्रजातियों पर कार्य चल रहा है। रायपुर स्थित टिशु कल्चर लैब से बैम्बुसा न्यूटन्स प्रजाति के पौधे तैयार होना शुरू हो गये हैं।

1.13.3 हरियाली प्रसार योजना :—

- हरियाली प्रसार योजना का मुख्य उद्देश्य पड़त भूमि का विकास, कृषि वानिकी को प्रोत्साहन, ग्राम वासियों की आर्थिक उन्नति एवं पर्यावरण में सुधार है।

- संशोधित योजना के अनुसार विभाग द्वारा प्रति कृषक न्यूनतम 50 एवं अधिकतम 5000 पौधे हेतु सहायता दी जाती है।
- वर्ष 2010–11 में उक्त योजना के तहत् 36 लाख पौधे तैयार किये गये थे जिसे वर्ष 2011–12 में 10141 हितग्राहियों के भूमि पर रोपण किया गया है। रोपण अंतर्गत सागौन, नीलगिरि, शिशु, सीरस, मुनगा, खम्हार, बांस, नीम, सरीफा, नीबू, आंवला, कटहल आदि के पौधे रोपे गये।
- इस योजना अंतर्गत प्रति पौधा 15 रुपये का व्यय हितग्राहियों को निशुल्क पौधा देने, रोपण करने, निंदाई, खाद, कीटनाशक एवं पौधों के रख–रखाव हेतु अनुदान के लिये किया जाता है।
- इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं सामान्य वर्ग के लघु कृषकों को रोपण के दो वर्षों तक प्रति जीवित पौधा 1 रू0 की दर से अंशदान की राशि देने का प्रावधान है ।

1.13.4 बांस प्रदर्शन प्रक्षेत्र की स्थापना :–

रायपुर के ग्राम मुनगी में 5 हेक्टेयर क्षेत्र में टी.एफ.आर.आई. जबलपुर से प्राप्त बैम्बुसा टुल्डा व बैम्बुसा न्यूटन्स के टिशु कल्चर बांस के प्रदर्शन प्रक्षेत्र की स्थापना वर्ष 2010 की वर्षाऋतु में स्थापित किया गया है, जिसमें बैम्बुसा न्यूटन्स के 1000 पौधे तथा बैम्बुसा टुल्डा के 1000 पौधे रोपे गये हैं ।

1.13.5 कृषि वानिकी एवं औषधीय पौधों का प्रसार :–

कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिये डाबर इंडिया लिमिटेड के सौजन्य से वर्ष 2010 की वर्षाऋतु में ग्राम पचेड़ा में नीम के क्लोनल सीड ऑर्चड, जिसमें नीम के वृक्ष 8X 8 मीटर की दूरी पर है के बीच की खाली जमीन पर 3 हेक्टेयर क्षेत्र में वृहत पंचामूल हेतु बेल, खम्हार, म्हारूख के 2010 पौधे प्रायोगिक तौर पर रोपित किये गये हैं।

1.14 छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

राज्य में वन अनुसंधान की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना विधानसभा मार्ग पर बरौंदा में 63 हेक्टेयर क्षेत्र में की जा रही है। संस्थान के भवन का निर्माण पूर्ण हो गया है। निकट भविष्य में संस्थान नव निर्मित भवन में क्रियाशील हो जायेगा। संस्थान के सेटअप में वानिकी प्रोफेशनल्स के अलावा वैज्ञानिक, तकनीकी तथा

गैर तकनीकी पदों के कुल 76 पद स्वीकृत किये गये है।

संस्थान मे निम्नानुसार प्रभागों की स्थापना की जा रही है :-

1. जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन एवं वन वर्गीय प्रभाग

(Biodiversity Climate change & Forest Taxonomy)

2. जैव प्रौद्योगिकी, वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष सुधार प्रभाग

(Biotechnology, Forest genetics & Tree Improvement Division)

3. वन वर्धन एवं वन मापिकी प्रभाग

(Sevi culture & Forest Mensuration Division)

4. गैर काष्ठीय वन उत्पाद प्रभाग

(NTFP Division)

5. वन संरक्षण प्रभाग (रोग एवं कीट)

(Forest Protection Division)

6. आजीविका प्रोत्साहन प्रभाग

(Livelihood Promotion Division)

7. मानव संसाधन विकास प्रभाग

(HRD Division)

8. कृषि वानिकी प्रभाग

(Agro-forestry Division)

इसके अतिरिक्त पृथक से एक सूचना प्रौद्योगिकी सेल (Informatics Cell) का गठन प्रस्तावित है।

1.14.1 आयोजना मद मांग संख्या 10–2406 (01)–वानिकी (003) शिक्षा एवं प्रशिक्षण–0101– राज्य आयोजना (सामान्य) (1859)– राज्य वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना–

राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान हेतु आयोजना मद मांग संख्या 10–2406 (01) – वानिकी (003) शिक्षा एवं प्रशिक्षण–0101– राज्य आयोजना (सामान्य) (1859)– राज्य वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना अंतर्गत वर्ष 2011–12 हेतु रु. 199.26 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। जिसमे मुख्यतः कर्मचारियों के वेतन भत्ते का ही प्रावधान है। इसमें रु दो लाख प्रशिक्षण एवं रु. दो लाख शिष्यवृत्ति हेतु प्रावधानित किया गया है । माह दिसम्बर 2011 की स्थिति मे रू. 73.54 लाख व्यय किया गया है।

1.14.4 संस्थान द्वारा आयोजित कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च 2011 के अवसर पर "वानिकी में अभिनव प्रयोग" विषय पर एक दिवसीय सेमीनार सह प्रशिक्षण कार्यक्रम माननीय वन मंत्री छ.ग. शासन श्री विक्रम उसेण्डी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया जिसमें मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर के 76 अधिकारी कर्मचारियों ने भाग लिया ।

2. 12 अप्रैल 2011 को भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भोपाल, म.प्र. के सहयोग से **"सतत वन प्रबंधन– काइटेरिया एवं इंडिकेटर"** विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला मे वन विभाग के 47 अधिकारीगण उपस्थित रहे ।

3. "अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2011" के अवसर पर माननीय वन मंत्री छ.ग. शासन श्री विक्रम उसेण्डी के मुख्य आतिथ्य मे एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित किया गया । इस अवसर पर एक विभागीय सेवेनेयर **"बायोडायवर्सिटी फारएवर"**, एवं पहाजी मैना के पोस्टर का विमोचन किया गया ।

4. विश्व पर्यावरण दिवस 2011 के अवसर पर मुख्यालय के सभागार में "वन **संरक्षण : मानव जाति के लिये चुनौती"** विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें रायपुर की महापौर डॉ. श्रीमती किरणमयी नायक, माननीय श्री देवजी पटेल विधायक, धरसींवा विधान सभा क्षेत्र राह अध्यक्ष, छ.ग. राज्य ब्रीवरेज कारपोरेशन, विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं वन विभाग के अधिकारियों समेत 88 लोगों ने भाग लिया।

5. दिनांक 01 दिसम्बर 2011 को मानव संसाधन विकास शाखा के साथ **"वन विभाग एवं मीडिया प्रबंधन"** पर एक संगोष्ठी का आयोजन मुख्यालय स्थित सभागार में किया गया। जिसमें भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी श्री विजय कुमार अग्रवाल ने इस महत्वपूर्ण विधा पर गहन प्रकाश डाला ।

1.14.5 संस्थान द्वारा संचालित अनुसंधान परियोजनाएँ

1. राज्य में बेल का जर्म प्लाज्म बैंक की स्थापना **(Establishment of Germ Plasm Bank of *Aegle marmelos* (*Corre*) Bel in Chhattisgarh)**

राज्य में बेल की उच्च गुणवत्ता की प्लांटिंग मैटेरियल उपलब्ध कराने हेतु यह परियोजना कैम्पा के वित्तीय सहयोग से राज्य के तीन वनमंडलों कोरबा, जांजगीर चांपा एवं बिलासपुर में वर्ष 2010 से प्रारंभ की गयी है, जिसकी अवधि 3 वर्ष है।

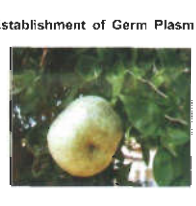

2. **राज्य के देववनों का चिन्हांकन एवं प्रलेखन (Inventorization of Sacred groves in Chhattisgarh)**

सरना आदिवासी संस्कृति का अभिन्न अंग है जो प्रकृति के साथ अस्तित्व की भावना को रेखांकित करती है। अनुमान है कि राज्य में 600 से अधिक सरनायें मौजूद हैं । राज्य के विभिन्न जिलों में प्राकृतिक रूप से विद्यमान इन **Sacred groves** का चिन्हांकन कर उनका डाटा बेस तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। इससे राज्य के समृद्ध जैव सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण एवं संवर्धन को नया आयाम मिलेगा साथ ही पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पोषित CSS. Intensification of Forest Management Scheme. के Component : Protection and Conservation of Sacred Groves योजना के क्रियान्वयन हेतु विभाग को सहायता प्राप्त हो सकेगी।

3. **राज्य के महत्वपूर्ण वानिकी प्रजातियों के फार्म फैक्टर का पुनरीक्षण**

प्रदेश के महत्वपूर्ण वन प्रजातियों जैसे सागौन, साल, बीजा, साजा, हल्दू के फार्म फैक्टर का विश्लेषण कर पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया है।

4. **राज्य में सिंचित सागौन वृक्षारोपणों की उत्पादन वृद्धि हेतु विरलन प्रक्रिया का निर्धारण (Determination of thinning regime in irrigated Teak plantation in Chhattisgarh)**

प्रदेश मे स्थापित सिंचित हाइटेक सागौन रोपणों में Thinning regime का अध्ययन कर उनके उत्पादन को बढाने की दृष्टि से यह अनुसंधान किया जा रहा है ।

5. **राज्य में प्रवासी पक्षियों का डाटा बेस निर्माण (Preparation of Data base of Migratory birds in Chhattisgarh)**

राज्य में कई स्थानों पर शरद ऋतु में प्रवासी पक्षियों का विचरण होता है । उनके आवागमन, प्रवास पैटर्न प्रवास क्षेत्रों की इकोलाजिकल विशिष्टता, हैबीटाट मैनेजमेंट पर data base तैयार करने हेतु यह परियोजना जुलाई 2011 से संचालित की जा रही है। इससे राज्य की Avian Biodiversity के संरक्षण एवं संवर्धन तथा इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा । अभी तक 9 वनमण्डलों से प्रारंभिक जानकारी (Primary Data) प्राप्त हो चुकी है।

6. ट्रापिकल फारेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जबलपुर (टी.एफ.आर.आई) के सहयोग से संस्थान परिसर में स्वाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया गया है।

1.14.6 संस्थान द्वारा शोध पत्र प्रकाशन/शोध प्रस्तुतीकरण : संस्थान द्वारा विगत 1 वर्ष में निम्नानुसार अनुसंधान संबंधी सेमीनार एवं वर्कशॉप में भाग लिया गया है।

1. यूनिवर्सिटी ऑफ सेरेक्यूज, न्यूयार्क स्टेट, संयुक्त राज्य अमेरिका में **"नीड आफ पॉलिसी इंटरवेन्सन फॉर फारेस्ट्री रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इन छत्तीसगढ़"** विषय पर दिनांक 21.07.2011 को एक पावर पाइंट प्रेजेन्टेशन दिया गया ।
2. इंदिरा गांधी नेशनल फारेस्ट एकेडमीक देहरादून में दिनांक 4.8.2011 को **MCT** अंतर्गत **"Challenges & Opportunities in NTFP Management in India"** विषय पर पावर पाइंट प्रस्तुत किया गया ।
3. **"Management of Gregarious flowering of Bamboo in Kawardha Forest Division, Chhattisgarh"** राज्य वन अनुसंधान जबलपुर में पर यह शोध पत्र दिनांक 8–9 सितम्बर 2011 को आयोजित एक राष्ट्रीय सेमीनार में प्रस्तुत किया गया।
4. नई दिल्ली में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, देहरादून के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इंडियन फॉरेस्ट कांग्रेस 2011 के अवसर पर दिनांक 24.11.2011 को "स्ट्रेटेजी फार **कन्जरवेशन ऑफ बायोकल्चरल हेरिटेज इन छत्तीसगढ़"** विषय पर एक पावर पाइंट प्रस्तुतीकरण दिया गया ।
5. दिनांक 12.12.2011 को होटल ताज महल, नई दिल्ली में में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार तथा Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH के संयुक्त तत्वाधान मे "Cities and Climate change" विषय पर आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी में **"Need for Tree Census and Periodic Satellite Mapping of Vegetative cover in Raipur City with special reference to climate change mitigation "** पर एक पावर पाइंट प्रेजेंटेशन दिया गया ।
6. संस्थान द्वारा "जैव विविधता संरक्षण में विशिष्ठ आवास स्थलों का महत्व" तथा "मैनेजमेंट ऑफ ग्रिगेरियस बम्बू फलावरिंग इन छत्तीसगढ़" नामक दो तकनीकी पुस्तकों तैयार की गयी है ।

1.15 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

वन विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे वानिकी एवं गैर वानिकी कार्यों का सतत् मूल्यांकन एवं निरीक्षण किया जाता है। मूल्यांकन पश्चात् कमियों से सुधार करने हेतु संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को समय -समय पर उचित दिशा--निर्देश दिए जाते हैं। वानिकी कार्यों के मूल्यांकन हेतु अंतरवृत्तीय अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन करने का प्रावधान है। गैर वानिकी कार्यों के मूल्यांकन हेतु मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय कार्यों का निरीक्षण किया जाता है।

रोपण जीवित प्रतिशत् गोश्वारा (वर्ष 2010–11) (वृक्षारोपण वर्ष 2010)

अनु. क्र.	वर्ष	वृत्त का नाम	वनमण्डल का नाम	जीवित प्रतिशत	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम
1	2	3	4	5	6
01	2010- 11	कांकेर	कांकेर	94 %	श्री श्रीनिवास राव, वन संरक्षक (जगदलपुर)
			नारायणपुर	62 %	
			पश्चिम भानुप्रतापपुर	84 %	
			पूर्व भानुप्रतापपुर	66 %	
			उत्तर भानुप्रतापपुर	54 %	
			दक्षिण कोण्डागांव	79%	
02		जगदलपुर	सुकमा	80 %	श्री एम.टी. नन्दी, वन संरक्षक (दुर्ग)
03		दुर्ग	कवर्धा	60 %	श्री वही रामाराव, वन संरक्षक (कांकेर)
			दुर्ग	85 %	
			राजनांदगांव	94 %	
04		सरगुजा	मनेन्द्रगढ़	91 %	श्री आई.एन. सिंह, वन संरक्षक (बिलासपुर)
05		बिलासपुर	बिलासपुर	89 %	श्री सुनील मिश्रा, वन संरक्षक (रायपुर)
06		रायपुर	रायपुर व.म.	95 %	श्री अनुप कुमार श्रीवास्तव, वन संरक्षक (सरगुजा)
			पूर्व रायपुर	90 %	

1.16 मानव संसाधन विकास

1.16.1. वनपाल एवं वनरक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम :–

राज्य में तीन वन विद्यालय जगदलपुर/महासमुंद/सक्ती) स्थापित हैं। इन प्रशिक्षण शालाओं में छः माही प्रशिक्षण कोर्स निर्धारित है। वन विद्यालय जगदलपुर में अप्रशिक्षित वनपाल/वनरक्षकों को छः माही नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। अन्य विद्यालयों में केवल वनरक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होता है। वर्ष के दौरान निम्नानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये :–

वनपाल प्रशिक्षण :–

विद्यालय का नाम	अवधि	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
वन विद्यालय, जगदलपुर	01.01.11 से 30.06.11	34
	01.07.11 से 31.12.11	36

वनरक्षक प्रशिक्षण :–

क्र.	विद्यालय का नाम	अवधि	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	वन विद्यालय, जगदलपुर	01.01.11 से 30.06.11	56
		01.07.11 से 31.12.11	58
2	वन विद्यालय, महासमुंद	01.01.11 से 30.06.11	61
		01.07.11 से 31.12.11	91
3	वन विद्यालय, सक्ती	01.01.11 से 30.06 11	59
		01.07.11 से 31.12.11	49

1.16.2. अप्रशिक्षित वनरक्षकों हेतु एक माह का विशेष आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम :–

वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अप्रशिक्षित वनरक्षकों हेतु एक माह का विशेष आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम माह जुलाई 2011 से फरवरी 2012 तक तैयार किया गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम वृत्त स्तर पर आयोजित किये जा रहे हैं। प्रदेश में ऐसे कुल 22 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें कुल 911 अप्रशिक्षित

वनरक्षकों को दिया जा सकेगा। अभी कुल 690 अप्रशिक्षित वनरक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

1.16.3. भारतीय वन सेवा अधिकारियों का प्रशिक्षण :–

छत्तीसगढ़ राज्य में पदस्थ भारतीय वन सेवा स्तर के अधिकारियों को वर्ष 2011–12 क्रमशः 15 दिवसीय, 05 दिवसीय, 03 दिवसीय, 02 दिवसीय एवं 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लेने हेतु विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण पर भेजा गया :–

प्रशिक्षण संस्थान का नाम	अधिकारियों की संख्या
I.G.N.F.A.Dehradun,J.L.&R.S.Ltd.Banglore, NIIT GIS Ltd. New Delhi, I.I.F.M.Bhopal, F.S.I. Dehradun, I.I.M. Banglore, K.F.R.I.Peechi,A.S.C.I.Hydrabad, X.I.M.Bhubaneshwar, A.P.F.A. Dulapally, G.I.M.T.R.Goa, F.T.I.Jaipur, H.P.I P.A,Shimla, GEER Foundation Gandhinagar, Zoo Society Guwahati, AS.N.R.S.D. New Delhi, I.I.M Lucknow, WII Dehradun, etc.	84

1.16.4. राज्य वन सेवा अधिकारियों एवं वनक्षेत्रपालों का प्रशिक्षण :–

वर्ष 2011–12 में सहायक वन संरक्षक/वनक्षेत्रपालों को निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया है : –

क्र	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	सहा. वन संरक्षक	वनक्षेत्रपाल
1.	राज्य वन सेवा महाविद्यालय,बनीहाट	08	04
2.	राज्य वन सेवा महाविद्यालय,कोयम्बटूर	09	02
3.	राज्य वन सेवा महाविद्यालय,देहरादून	12	–
4.	भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून	06	05
5.	वन अनुसंधान संस्थान देहरादून	–	–
6.	पूर्वी वन क्षेत्रफल महाविद्यालय कुरसियांग	–	10
8.	छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी रायपुर	10	–
	योग –	45	21

1.16.5 मानव संसाधन विकास हेतु विभाग के कार्यपालिक एवं कार्यालयीन अधिकारी कर्मचारियों हेतु वित्तिय वर्ष 2011-12 में 155 रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं, जिसमें 4090 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

1.17 सूचना प्रौद्योगिकी :–

Application Softwares Develpment/Upgradation/ Implimention से संबंधित निम्न कार्य किये गये है :–

- **वन संरक्षण निर्णय समर्थ प्रणाली** (Forest Offence Tracking Network and Management System :– वन संरक्षण संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों को अधिक कुशलता से संपादित करने के उद्देश्य से विभागीय स्तर पर **Online (Web आधारित)** सॉफ्टवेयर हिन्दी में तैयार किया गया है जिसमें परिक्षेत्र/ उप वनमंडल/ वनमंडल कार्यालय द्वारा उनसे संबंधित संरक्षण संबंधी आंकड़ों की प्रविष्टि की जाती है। वर्तमान में यह कार्य रायपुर वृत्त में सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है।

- **Web CMS** :– इस सॉफ्टवेयर के द्वारा बिना किसी तकनीकी कर्मचारी की सहायता विभागीय वेबसाईट के विषयवस्तु को व्यवस्थित किया जा सकेगा। वर्तमान में यह सॉफ्टवेयर पूर्ण रूप से तैयार है। **तथा इस सॉफ्टवेयर** को लागू किये जाने हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

- **eReccipt & Dispatch** :– **यह सॉफ्टवेयर वेब अधारित है। इस सॉफ्टवेयर** के माध्यम से कार्यालयीन पत्रों **की विभाग के विभिन्न कार्यालयों** से आदान प्रदान किया जा सकेगा। वर्तमान **में यह** सॉफ्टवेयर मानव संसाधन विकास/सूचना प्रौद्योगिकी, मुख्यालय रायपुर एवं वन **प्रबंधन सूचना प्रणाली वनमंडल, रायपुर में प्रायोगिक तौर** पर लागू किया गया है।

- **HRD MIS** :– **यह सॉफ्टवेयर वेब अधारित है, जिसमें विभागीय** अधिकारी/कर्मचारी से संबंधित जानकारियों **(व्यक्तिगत, सेवा, प्रशिक्षण इत्यादि)** की प्रविष्टियां की जाती है। पूर्व में इस सॉफ्टवेयर **में प्रविष्टियां मानव संसाधन विकास/सूचना** प्रौद्योगिकी, मुख्यालय रायपुर द्वारा की **जाती थी। इस सॉफ्टवेयर को पूर्ण रूप से अपग्रेड** कर दिया गया है तथा भविष्य में इस सॉफ्टवेयर **से संबंधित प्रविष्टियां** विभाग के विभिन्न कार्यालय स्तर पर उनके द्वारा स्वयं की जावेगी।

- **Production DSS** :– यह डेस्कटाप सॉफ्टवेयर है, जिसमें डिपो के समस्त कार्य जैसे :– कार्टिंग चालान, थप्पीकरण, लाटिंग, नीलामी,टी.पी. इत्यादि का समावेश किया गया है। वर्तमान में गारियाबंद डिपो में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। साथ ही साथ इसे अपग्रेड करने का कार्य चल रहा है।

- **Time Limit Cases** :– यह सॉफ्टवेयर वन प्रबंधन सूचना प्रणाली वनमंडल रायपुर द्वारा तैयार किया गया है, तथा वर्तमान में मुख्यालय स्तर पर लागू है।

भाग – 2

वन्यप्राणी

छत्तीसगढ़ राज्य में वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 3 टायगर रिजर्व, जिसमें 1 राष्ट्रीय उद्यान तथा 3 अभ्यारण्य सम्मिलित है, 2 राष्ट्रीय उद्यान तथा 8 अभ्यारण्य अधिसूचित है। मुंगेली एवं बिलासपुर जिले में एक बायोस्फियर रिजर्व अचानकमार–अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व गठित है। जांजगीर–चांपा जिले में कोटमीसोनार क्रोकोडायल पार्क स्थापित है। प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल 9614.464 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल वनक्षेत्र का 16.08 प्रतिशत है।

2.1 राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य/टायगर रिजर्व/बायोस्फियर रिजर्व

क्र	राष्ट्रीय उद्यान	वनमंडल	वनमंडल	जिला	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राष्ट्रीय उद्यान					
1.	कांगेर घाटी	जगदलपुर	बस्तर	बस्तर	200.000
2.	गुरूघासीदास	सरगुजा	बैकुण्ठपुर	सरगुजा/कोरिया	1440.705
अभ्यारण्य					
1.	बादलखोल	सरगुजा	जशपुर	जशपुर	104.454
2.	गोमर्डा	बिलासपुर	रायगढ़	रायगढ़	277.820
3.	बारनवापारा	रायपुर	रायपुर	रायपुर	244.660
4.	तमोरपिंगला	सरगुजा	सूरजपुर	सूरजपुर	608.527
5.	सेमरसोत	सरगुजा	बलरामपुर	बलरामपुर	430.361
6.	सैरमगढ़	जगदलपुर	बीजापुर	बीजापुर	138.950
7.	पामेड़	जगदलपुर	बीजापुर	बीजापुर	262.120
8.	भोरमदेव	दुर्ग	कवर्धा	कवर्धा	351.240
टायगर रिजर्व					
1.	इन्द्रावती	जगदलपुर	बीजापुर	बीजापुर	2799.070
2	अचानकमार	बिलासपुर	बिलासपुर/मुंगेली	बिलासपुर/मुंगेली	914.017
3	उदन्ती–सीतानदी	रायपुर	गरियाबन्द/धमतरी	गरियाबन्द/ धमतरी	1842.540
बायोस्फियर रिजर्व					
1	अचानकमार अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व	बिलासपुर	बिलासपुर/मुंगेली	बिलासपुर/मुंगेली	3835.51

2.2 टायगर रिजर्व

इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान, केन्द्र शासन की प्रोजेक्ट टायगर योजना में वर्ष 1982 से सम्मिलित है परंतु इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान एवं आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर टायगर रिजर्व का दर्जा अधिसूचना क्रमांक/एफ 8–43/ 2007/ 10 2 दिनांक 20.02.2009 द्वारा दिया गया। इसके अतिरिक्त अचानकमार, उदन्ती एवं सीतानदी अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टायगर योजना में सम्मिलित करने की स्वीकृति केन्द्र शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 05/08/2006 को दी गई है। राज्य शासन ने अधिसूचना क्रमांक/एफ 8–43/ 2007/10 -2 दिनांक 20.02.2009 द्वारा उदन्ती– सीतानदी एवं अचानकमार टायगर रिजर्व घोषित किया है।

अचानकमार टायगर रिजर्व में कैमरा ट्रैप द्वारा लिया गया फोटो

वन्यप्राणी (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2006 की धारा 38 X के तहत उदंती सीतानदी, इंद्रावती एवं अचानकमार टायगर रिजर्व के लिए टायगर कंजरवेशन फाउंडेशन का पंजीयन करा लिया गया है। उंदती–सीतानदी एवं अचानकमार टायगर कंजरवेशन फाउंडेशन के शासी निकाय एवं कार्यकारी समिति का गठन राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 8–20/2007/10–2 दिनांक 30.09.2010 द्वारा किया गया है।

राज्य शासन के आदेश क्रमांक/1–57/2009/10–1/वन दिनांक 19.11.2009 द्वारा वन संरक्षक (वन्यप्राणी), रायपुर एवं क्षेत्र संचालक उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व, वन संरक्षक (व.प्रा.) बिलासपुर एवं क्षेत्र संचालक अचानकमार टायगर रिजर्व एवं वन संरक्षक (व. प्रा.) सरगुजा एवं क्षेत्र संचालक एलीफेंट रिजर्व के तीन नये पदों का सृजन कर पदस्थिति की गई है। क्षेत्र संचालक इन्द्रावती टायगर रिजर्व को वनसंरक्षक (व.प्रा.) जगदलपुर भी बनाया गया है। वन संरक्षक (व.प्रा.) द्वारा अपने अधीनस्थ वनमंडल क्षेत्रों में वन्यप्राणी संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित गतिविधियों का पर्यवेक्षण एवं समीक्षा की जाती है। अन्य क्षेत्रों में वन संरक्षक (क्षेत्रीय) के स्तर से संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित गतिविधियों का पर्यवेक्षण एवं समीक्षा की जाती है।

2.3 जंगली हाथी

वर्ष 2000 से जंगली हाथियों के अलग-अलग समूह छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, कोरिया, रायगढ़, धरमजयगढ़, कोरबा एवं कटघोरा वनमंडलों में लगातार विचरण कर रहे हैं। प्रारंभ में जंगली हाथियों की संख्या लगभग 30 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 200 से अधिक हो गई है। जंगली हाथियों की संख्या में वृद्धि बेहतर वन्यप्राणी प्रबंध तथा जंगली हाथियों के उपयुक्त रहवास विकास के कार्यों के कारण हुई है।

जंगली हाथियों की संख्या बढ़ने से हाथी–मानव द्वंद में वृद्धि हुई है। जंगली हाथियों के द्वारा जनहानि/फसल/सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2008–09 से विभाग द्वारा हाथी रहवास क्षेत्रों के विकास एवं हाथी- मानव द्वंद को कम करने हेतु हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास नाम से एक नई योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत हाथी के विचरण क्षेत्रों में उनके रहवास विकास के कार्य किये जा रहे हैं तथा हाथी मानव द्वंद दूर करने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक करते हुये हाथी द्वारा जानमाल की नुकसानी कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हाथी प्रभावित वनमंडलों में हाथी–मानव द्वंद के समाधान हेतु क्षेत्र के ग्रामों में व्यापक रूप से प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया है। जंगली हाथियों द्वारा ग्रामवासियों की फसल एवं अन्य संपत्ति की नुकसानी तथा जनहानि होने पर सहायता /मुआवजा भुगतान यथाशीघ्र किया जाता है।

जशपुर वनमंडल में हाथियों का दल

राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक/एफ 8–6/2007/10–2 दिनांक 15.09.2011 जशपुर वनमंडल के बादलखोल अभ्यारण्य, उत्तरी सरगुजा वनमंडल के तमोर पिंगला एवं पूर्वी सरगुजा वनमंडल के सेमरसोत अभ्यारण्य को सम्मिलित कर सरगुजा–जशपुर हाथी रिजर्व का गठन किया गया है। भारत सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में हाथी मानव द्वंद को कम करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है।

राष्ट्रीय उद्यान एवं अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत मैना के घरबे जाने के अभिलेखीकरण आदि कार्य संचालित किये जा रहे हैं। साथ ही बहेलियों की पहचान, सूचना तंत्र को मजबूत करना एवं अवैध व्यापार पर रोक लगाने के प्रयास किये जा रहे हैं। बस्तर हिल मैना के संरक्षण के लिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत सरकार तथा बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी के वैज्ञानिकों से सहायता ली जा रही है।

2.5 वन भैंसों का संरक्षण

छत्तीसगढ़ के दुर्लभ एवं संकटग्रस्त वन्यजीवों में वनभैंसा प्रमुख है। वर्तमान में वनभैंसा छत्तीसगढ़ के उदन्ती अभ्यारण्य, पामेड अभ्यारण्य तथा इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान में सीमित रह गए हैं। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली वनभैंसों की नस्ल सर्वाधिक शुद्ध है। इस दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य के वनभैंसों का विशेष महत्व है।

वनभैंसों को महत्व देते हुए राज्य शासन द्वारा इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। इनके रहवारा स्थलों में बढ़ते जैविक दबाव के कारण वनभैंसों पर संकट बढ़ा है। प्रदेश में वनभैंसों को संरक्षित करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उदंती टायगर रिजर्व में एक मात्र बची मादा वनभैंसे को लगभग 26 हेक्टेयर के चैनलिंक से घिरे बाड़े में संरक्षित रखा गया है। इस मादा वनभैंसा के साथ नर वनभैंसे को समय समय पर बदल बदल कर रखा जाता है। मादा वनभैंस से अभी तक 3 नर पाड़ों का जन्म हुआ है। वनभैंसों की वंश वृद्धि के लिए यह प्रक्रिया जारी है। उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व में कार्यरत मानीटरिंग सेल के द्वारा वनभैंसों की संख्या 8 प्रतिवेदित की गई है। इन्द्रावती टायगर रिजर्व में विशेष परिस्थितियों के कारण आकलन न होने से वनभैंसों की संख्या ज्ञात नहीं हो सकी है। परन्तु उक्त क्षेत्र में वनभैंसों की उपस्थिति के साक्ष्य पाए गए हैं।

उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व में वनभैंस अपने बच्चे के साथ

वन विभाग द्वारा वाइल्ड लाईफ ट्रस्ट आफ इंण्डिया, नई दिल्ली के साथ पूर्व में किए गए समझौता पत्र की अवधि समाप्ति उपरांत पुनः उसे तीन वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, जिसके अंतर्गत यह संस्था वन भैंसों के संरक्षण में तकनीकी सहयोग दे रही है।

माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक दिनांक 16/12/2010 में इस विषय पर विचार–विमर्श हुआ, जिसके तहत वनभैंसों के संरक्षण के उपायों के अंतर्गत नर वनभैंसे के वीर्य को संरक्षित किये जाने पर बल दिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि दुर्ग जिले स्थित College of Veterinary Sciences and Animal Husbandary, Anjora Durg के विषय विशेषज्ञों एवं वहां पर उपलब्ध सभी सुविधाओं का उपयोग करते हुए विभिन्न विधियों जैसे Embryo Transfer Technology, Surrogation आदि के द्वारा वनभैंसों की संख्या वृद्धि के हर संभव प्रयास किये जायें। राष्ट्रीय डेयरी विकास संस्थान, करनाल, हरियाणा तथा सेन्टर ऑफ सेलुलर एण्ड मॉलीक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद के वैज्ञानिकों से सम्पर्क कर आगे के प्रयास किए जा रहे हैं।

2.6 मगरमच्छ परियोजना

जांजगीर चांपा वनमंडल के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2006–07 में कोटमीसोनार ग्राम के तालाब में मगरमच्छ एवं मानव द्वंद को कम करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा मगरमच्छ संरक्षण योजना के नाम से नवीन योजना प्रारंभ की गई। योजना के अंतर्गत समीप के तालाबों से मगरमच्छों को कोटमीसोनार तालाब में स्थानांतरित किया गया है। वर्तमान में लगभग 110 मगरमच्छ इस तालाब में संरक्षित हैं। इस स्थल को पर्यटन केन्द्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2011–12 (दिसम्बर तक) मगरमच्छ संरक्षण योजना के अंतर्गत ₹ 89.50 लाख की राशि आबंटित की गई है जिससे मगरमच्छों के संरक्षण का कार्य कराए जा रहे हैं।

2.7 वन्यप्राणी प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण योजनाओं हेतु बजट प्रावधान एवं व्यय

संरक्षित क्षेत्रों में विभिन्न आयोजना बजट मदों के अंतर्गत तीन वर्षों में आबंटन एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है :–

(राशि ₹ लाख में)

क्र.	योजना	वर्ष 2009–10		वर्ष 2010–11		वर्ष 2011–12	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय दिसं. 2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
आयोजना –							

1.	(6539) राष्ट्रीय उद्यान /अभयारण्य का विकास	926.07	395.36	889.96	418.89	327.212	122.62
2.	(5730) प्रोजेक्ट टाइगर	1556.38	1569.55	2115.73	2104.78	1203.085	528.86
3.	(6771) अचानकमार अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व का विकास	72.00	71.96	45.10	45.01	0.00	0.00
4.	(5502) प्रोजेक्ट एलीफेंट	121.00	118.27	75.00	73.30	150.00	20.51
5.	(3943) वन्यजीवों का संरक्षण एवं विकास	500.00	478.07	500.00	499.36	600.00	48.33
6.	(6540) चिड़ियाघरों का विकास एवं स्थापना	345.00	378.50	430.00	436.59	498.70	391.89
7.	(5090) जैव विविधता संरक्षण	500.00	481.86	500.00	489.78	550.00	162.89
8.	(6722) मगरमच्छ संरक्षण योजना	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	16.66
9	(6793) छ.ग. जैव विविधता बोर्ड स्थापना	25.00	25.00	20.00	20.00	30.00	30.00
10	(6991) हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास योजना	210.00	206.66	400.00	241.06	500.00	173.59
11.	(6993) नैसर्गिक पर्यटन का विकास योजना	100.00	99.99	100.00	99.96	150.00	0.00
12.	(7439) वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रों के प्राकृतवास का समन्वित विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
13	(4342) सतर्कता [illegible] मकान निर्माण कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
14.	(6886) वनमार्गों पर रपटा एवं पुलिया निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	8.26
	योग	**4455.45**	**3925.25**	**5175.79**	**4528.73**	**6013.70**	**1513.61**

2.8 राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य क्षेत्र के बाहर वन्यप्राणियों का संरक्षण

राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्य क्षेत्रों के बाहर कई ऐसे वनक्षेत्र हैं, जो चारो ओर से आबादी से घिरे हुए हैं परंतु इन क्षेत्रों में वन्यप्राणियों की बहुलता है। ऐसे क्षेत्रों में आसपास के ग्रामीण एवं उनके मवेशियों का भारी दबाव है जिससे वन्यप्राणियों के प्राकृतावास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वन्यप्राणियों को चारे तथा पानी के लिए ग्रामीण मवेशियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। ऐसे क्षेत्रों में वन्यप्राणियों के संरक्षण के लिए विभाग द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्ष 2006 07 में रायपुर वनमंडल के बलौदाबाजार परिक्षेत्र के सोनबरसा जंगल को चेनलिंक से घेरकर इस जंगल में पाए जाने वाले हिरन, जंगली सुअर, लकड़बग्घा एवं अन्य वन्यप्राणियों के प्राकृतावास का संरक्षण किया गया। वित्तीय वर्ष 2010–11 में रायपुर वनमंडल के बलौदाबाजार परिक्षेत्र के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 9 के 275.324 हेक्टेयर के क्षेत्र खैरदारडीह जंगल को चेनलिंक से घेरकर वन्यप्राणियों के रहवास को सुरक्षित करने का कार्य पूर्ण किया गया। इस क्षेत्र में चीतल, जंगली सुअर, लकड़बग्घा, जंगली बिल्ली, भेड़िया एवं अन्य छोटे वन्यप्राणी पाए जाते हैं। रायपुर वनमंडल के रायपुर परिक्षेत्र के मोहरेगा परिसर के कक्ष क्रमांक 7 एवं 8 के 491.209 हेक्टेयर क्षेत्र को चैनलिंक से घेरकर पाए जाने वाले वन्यप्राणी हिरन, जंगली सुअर, लकड़बग्घा आदि के रहवास स्थल को सुरक्षित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में इन सभी क्षेत्रों के रखरखाव तथा देखरेख के लिए ₹ 12.00 लाख का आबंटन दिया गया है।

2.9 राज्य में वन्यप्राणियों का आंकलन

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली एवं भारतीय वन्यप्राणी संस्थान देहरादून के संयुक्त निर्देशन में वर्ष 2006 में वन्यप्राणी आकलन हेतु आंकड़े संकलित कर भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून को प्रेषित किए गए थे। आंकलन प्रतिवेदन वर्ष 2008 में प्राप्त हुआ। जिसके अनुसार राज्य में बाघ का रहवास क्षेत्र 3600 वर्ग किमी. आंकलित किया गया है। आकलन के अनुसार 23–27 बाघों का आंकलन किया गया है।

सर्वेक्षण वर्ष 2010 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं भारतीय वन्य प्राणी संस्थान, देहरादून के दिशा–निर्देशानुसार

दिनांक 10.07.2010 से 16.07.2010 तक राज्य में बाघ प्राणी आंकलन हेतु क्षेत्रीय आकड़े एकत्रित किये जाकर इन्हें भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून सम्प्रेषित किया गया। नवीनतम पद्धति से वन्यप्राणियों के आंकलन कार्य हेतु राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। अचानकमार टायगर रिजर्व में बाघों की उपस्थिति के विभिन्न प्रमाणों एवं कैमरा ट्रैप लिये जाने का कार्य भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून द्वारा वाइल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली को सौंपा गया था।

आंकड़ों के विश्लेषण के उपरांत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं भारतीय वन्यप्राणी संस्थान, देहरादून की रिपोर्ट वर्ष 2010 के अनुसार राज्य में बाघ के रहवास क्षेत्र 3514 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में 24–27 बाघ आंकलित किए गए हैं। अचानकमार लेण्डस्केप में 12 बाघ, उदन्ती–सीतानदी (बारनवापारा लैण्डस्केप) में 8, संजय दुबरी गुरूघासीदास लेण्डस्केप में 5 तथा कान्हा भोरमदेव लैण्डस्केप में 2 बाघ आंकलित किये गये हैं। इन्द्रावती टायगर रिजर्व क्षेत्र में आंकलन का कार्य संभव न हो पाने से इसके आंकड़े सम्मिलित नहीं है। अन्य वन्य प्राणियों की उपस्थिति भी क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में आंकलित की गई हैं, जो निम्नानुसार है:–

वन्यप्राणी	उपस्थिति (Occupancy) गणना वर्ष 2008	उपस्थिति (Occupancy) गणना वर्ष 2010
बाघ	3609 वर्ग कि.मी.	3514 वर्ग कि.मी.
चीतल	18540 वर्ग कि.मी.	17787 वर्ग कि.मी.
बायसन	3369 वर्ग कि.मी.	आंकड़े नहीं दिए गए
सांभर	7604 वर्ग कि.मी.	7648 वर्ग कि.मी.
जंगली सुअर	25058 वर्ग कि.मी.	आंकड़े नहीं दिए गए
नीलगाय	9250 वर्ग कि.मी.	आंकड़े नहीं दिए गए
तेन्दुआ	14939 वर्ग कि.मी.	23188 वर्ग कि.मी.
जंगली कुत्ता	3494 वर्ग कि.मी.	7981 वर्ग कि.मी.
भालू	20951 वर्ग कि.मी.	36628 वर्ग कि.मी.

2.10 अचानकमार–अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व

अचानकमार–अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व की अधिसूचना भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 30 मार्च 2005 को जारी की गई है इसका कुल क्षेत्रफल 3835.51 वर्ग कि.मी. है। इस बायोस्फियर रिजर्व में छत्तीसगढ राज्य के बिलासपुर जिले का कुछ भाग तथा मध्यप्रदेश के डिण्डोरी एवं अनूपपुर जिले के भाग सम्मिलित हैं। यह देश का चौदहवां बायोस्फियर रिजर्व है। इस जीवमंडल (बायोस्फियर रिजर्व) में छत्तीसगढ राज्य का 2610.53 वर्ग कि.मी. सम्मिलित है, जिसमें कोर जोन 551.55 वर्ग कि.मी. है।

अचानकमार–अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व में चीतल

अचानकमार–अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में ₹ 100.00 लाख की राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है जिसके अंतर्गत जैव विविधता सरक्षण एवं स्थानीय लोगों के आर्थिक उत्थान के कार्य कराए जा रहे हैं।

2.11 नया रायपुर क्षेत्र में जंगल सफारी की स्थापना

राज्य शासन द्वारा नया रायपुर में जंगल सफारी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए नया रायपुर डेवेलपमेंट अथारिटी द्वारा 202 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। 170 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को आधिपत्य में दे दी गई है शेष 32 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जा रहा है जिसे अर्जन उपरांत वन विभाग को सौंपा जाएगा।

जंगल सफारी को स्थापित करने के लिए कैम्पा में उपलब्ध राशि से बजट उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य कैम्पा की वार्षिक योजना में वर्ष 2011–12 हेतु ₹ 3.00 करोड की राशि का प्रावधान जंगल सफारी हेतु किया गया है। जंगल सफारी के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण के अनुमोदन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाई की जा रही है। क्षेत्र में टोपोग्राफिकल सर्वे, बाउन्ड्री सर्वे का कार्य कराया जाकर बाउन्ड्री लाइन पर पत्थर लगा दिए गए हैं। बाउन्ड्रीवाल निर्मित करने के लिए प्लान एवं एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है जिसका कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाना है।

जंगल सफारी में मध्य भारत में पाए जाने वाले सभी मुख्य वन्यजीवों को रखे जाने एवं उनको प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जा रही है जिसके लिए शाकाहारी वन्यजीवों के लिए अलग से लगभग 50 हेक्टेयर का बाड़ा बनाया जाएगा जिसमें चीतल, सांभर, कोटरी, बार्किंग डियर, नीलगाय, चौसिंघा, बायसन, काला हिरन आदि शाकाहारी वन्यजीवों को रखे जाने का प्रस्ताव है। मांसाहारी वन्यजीवों में शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू, लकड़बग्घा, भेड़िया आदि वन्यजीवों को खुले में रखा जाएगा। इसके साथ ही मगरमच्छ, घड़ियाल तथा विभिन्न प्रकार के पक्षियों को भी जंगल सफारी मे स्थान दिया जाना प्रस्तावित है। जंगल सफारी में वन्यजीवों के प्रदर्शन के अतिरिक्त खान-पान, बच्चों के मनोरंजन, वन्यप्राणियों से संबंधित फिल्म प्रदर्शन, वन्यप्राणी फोरेंसिक प्रयोगशाला, पशु चिकित्सालय, वन्यप्राणी म्यूजियम आदि की व्यवस्था की जाएगी। सम्पूर्ण जंगल सफारी को इस प्रकार विकसित करने का प्रस्ताव है कि वह एक रोचक स्थल बन सके।

2.11 अचानकमार टायगर रिजर्व के ग्रामों का विस्थापन

अचानकमार टायगर रिजर्व क्षेत्र के 6 ग्रामों– जल्दा, कूबा, बहाउड़, बांकल, साम्हरधसान एवं बोकराकछार के ग्रामीणों के 249 परिवारों को वर्ष 2010 11 मे टायगर रिजर्व क्षेत्र के बाहर सफलतापूर्वक विस्थापित किया गया। प्रत्येक परिवार को 2 हेक्टेयर तैयार की गई कृषि भूमि दी गई है। सभी परिवारों के लिए अलग–अलग पक्के मकान बनाकर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त सड़क, पेयजल, बिजली, सिंचाई के साधन, शिक्षा तथा अन्य सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। प्रत्येक प्रभावित परिवार को भारत सरकार के निर्देशानुसार ₹ 50,000 प्रोत्साहन राशि प्रदान किया गया। सुचारू रूप से किए गए विस्थापन के कार्य को देखते हुए शेष 19 ग्रामों के ग्रामवासी भी टायगर रिजर्व के क्षेत्र के बाहर बसाने का निवेदन कर रहे हैं। ग्रामीणों की सहमति से समीपवर्ती उपयुक्त क्षेत्रों में उनके विस्थापन एवं पुनर्वास का कार्य विभिन्न चरणों में किया जावेगा। विस्थापित ग्रामों के शेष बचे सामुदायिक कार्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2011 12 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा ₹ 260.00 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है।

2.12 बारनवापारा अभ्यारण्य के ग्रामों का विस्थापन

बारनवापारा अभ्यारण्य के 3 वनग्रामों क्रमशः रामपुर के 135 परिवार, नवापारा के 168 परिवार एवं लाटाडादर के 98 परिवारों को विस्थापन किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के क्रमांक एफ.नं. 8-131/2006-एफ.सी. दिनांक 10 सितम्बर 2008 द्वारा 922.300 हे. वनभूमि के व्यपवर्तन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

संरक्षित क्षेत्रों में बसे गांवों की पुनर्वासात के संबंध में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार विस्थापन हेतु ₹ 10.00 लाख प्रति परिवार की पैकेज राशि दो प्रति परिवार 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि, घर तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी है।

संयुक्त निदेशक (वन्यप्राणी) भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एफ.नं. 1300012/डब्ल्यू.एल. दिनांक 01.02.2010 द्वारा रामपुर वनग्राम के 135 परिवारों के विस्थापन हेतु वन्यप्राणियों के प्राकृतवास का समन्वित विकास योजना के अंतर्गत कृषि भूमि विकास हेतु ₹ 270.00 लाख तथा भवन निर्माण हेतु ₹ 270.00 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई थी। भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा क्रिटिकल वाइल्ड लाईफ हैबिटेट घोषित न होने से ग्रामों के विस्थापन के लिए अब राशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है जिससे विस्थापन का कार्य राज्य कैम्पा से प्राप्त राशि से कराया जा रहा है। इन तीनों ग्रामों के विस्थापन में लगभग ₹ 40 करोड़ का व्यय आना संभावित है। विस्थापन का कार्य प्रगति पर है।

2.13 संरक्षित क्षेत्रों की प्रशासनिक इकाईयों का पुनर्गठन

वन्यप्राणी प्रबंधन एवं संरक्षण को गति देने एवं उसे और अधिक प्रभावकारी बनाने हेतु समस्त संरक्षित क्षेत्रों की क्षेत्रीय कार्य इकाईयों का पुनर्गठन किया गया। इस हेतु जहां पूर्व में 24 संरक्षित परिक्षेत्र, 78 संरक्षित सहायक वृत्त, एवं 427 संरक्षित बीटें थी, अब पुनर्गठन पश्चात् इनकी संख्या बढ़ाकर क्रमशः 36, 142 एवं 633 की गई है।

राज्य शासन द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण एवं प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु संरक्षित क्षेत्रों के लिये नये सेटअप में कुल 42 वनक्षेत्रपाल, 73 उपवनक्षेत्रपाल, 115 वनपाल एवं 665 वनरक्षकों के पद स्वीकृत किये गये हैं।

2.14 छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का गठन

राज्य शासन द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 22 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए दिनांक 16/02/2006 को माननीय वनमंत्री जी की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत जैव विविधता संरक्षण, उसके घटकों के संवहनीय उपयोग तथा जैव संसाधनों, ज्ञान के उपयोग से सृजित होने वाले लाभों के युक्तियुक्त बंटवारे के कार्य कराए जा रहे हैं।

2.15 मानव–वन्यप्राणी द्वंद दूर करने हेतु जनहितकारी पहल

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा हाल ही में आदेश क्रमांक एफ 7–32/2003/10–2, दिनांक 22/09/2010 द्वारा शेर, तेंदुआ, भालू, लकड़बग्घा, भेड़िया, जंगली कुत्ता, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं सियार हिंसक वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि, जनघायल एवं पशुहानि किये जाने पर मुआवजा राशि में वृद्धि की गई है। विगत वर्षों की तुलनात्मक मुआवजा राशि की दरें निम्नानुसार है–

विवरण	वर्ष 2003 से अक्टूबर 2007 तक (₹)	अक्टूबर 2007 से सितम्बर 2010 तक (₹)	सितम्बर 2010 के पश्चात् (₹)
जनहानि	1,00,000	1,50,000	2,00,000
स्थायी रूप से अपंग होने पर	20,000	50,000	75,000
जनघायल	7,500 अधिकतम	10,000 अधिकतम	20,000 अधिकतम
पशुहानि	7,000 अधिकतम	8,000 अधिकतम	15,000 अधिकतम

जंगली हाथियों के अलावा किसानों की खड़ी फसल को क्षति पहुंचाने पर मुआवजा भुगतान हेतु जंगली सुअरों, नील गायों एवं बनैला गायों को भी नवम्बर 2004 से सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2008 में गौर, वनभैंसा, चीतल एवं सांभर को भी इस सूची में सम्मिलित किया गया है।

भाग — 3

3.1 छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मर्यादित

3.1.1 निगम का गठन

मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम को विभाजित कर छत्तीसगढ़ राज्य में उनके कार्य पूर्वानुसार जारी रखने के लिए छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 5 2/वन/ 2001/ दिनांक 30 अप्रैल 2001 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का कम्पनीज एक्ट 1956 के तहत् पंजीयन दिनांक 22.05.2001 को किया गया।

3.1.2 उद्देश्य

वन विकास निगम के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है :—

i) उपयुक्त वनक्षेत्रों को सघन प्रबंधन के तहत् लेकर उनकी उत्पादकता में वृद्धि हेतु औद्योगिक एवं व्यापारिक दृष्टि से उपयुक्त तेजी से बढ़ने वाली मूल्यवान प्रजातियों का रोपण।

ii) प्राकृतिक वन संसाधनों का संरक्षण, विकास एवं सतत् प्रबंधन।

iii) पर्यावरण सुधार की दृष्टि से खदानी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में मिश्रित प्रजातियों का व्यापक रोपण।

iv) वानिकी गतिविधियों में रोजगार सृजन द्वारा वनों के सीमावर्ती आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में ग्रामीणों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार एवं उनके लिए सतत् रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

3.1.3 निगम की संरचना, सेटअप प्रबंधन

निगम के कार्य का संचालन शासन द्वारा गठित 10 सदस्यीय संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है। माननीय श्री विजयनाथ सिंह छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष हैं। श्री आर.के. शर्मा, भा.व.से. निगम के प्रबंध संचालक के पद पर कार्यरत है।

क्षेत्रीय एवं 7 मंडल कार्यालय हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों का प्रबंधन भारतीय वन सेवा के वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों द्वारा एवं परियोजना मंडलों का प्रबंधन उन वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

निगम में स्वीकृत सेटअप अनुसार दिनांक 01.01.2011 की स्थिति में कुल स्वीकृत 734 पदों के विरूद्ध कुल 581 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है।

3.1.4 निगम की अंशपूंजी

अधिकृत अंशपूंजी :– निगम की अधिकृत अंशपूंजी ₹30 करोड़ है

प्रदत्त अंशपूंजी :– निगम की प्रदत्त अंशपूंजी 26.655 करोड़ रूपये है।

निवेशक	अंशपूंजी (₹)
छत्तीसगढ़ शासन	25.731 करोड़
भारत सरकार	0.924 करोड़
योग :	26.655 करोड़

3.1.5 निगम की क्षेत्रीय इकाईयां

निगम को व्यवसायिक रोपण हेतु वन विभाग द्वारा समय–समय पर उपयुक्त वन क्षेत्र लीज पर हस्तांतरित किया गया है। वर्तमान में निगम के आधिपत्य में कुल 1,97,157 हेक्टेयर वन क्षेत्र है, जिसके प्रबंधन हेतु 2 क्षेत्रीय कार्यालय एवं 7 परियोजना मंडल निम्नानुसार गठित हैं :–

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय	परियोजना मण्डल का नाम	गठन दिनांक	वन क्षेत्रफल (हे.)
1.	रायपुर	01. बारनवापारा परियोजना मण्डल, रायपुर	30.10.1975	35,201
		02. पानाबरस परियोजना मण्डल, राजनांदगांव	17.12.1976	49,910
		03. अंतागढ़ परियोजना मण्डल, भानुप्रतापपुर	17.12.1976	42,744
		04. कवर्धा परियोजना मण्डल, कबीरधाम	11.09.2003	20,957
2.	बिलासपुर	05. कोटा परियोजना मण्डल, बिलासपुर	30.10.1975	28,063
		06. सरगुजा परियोजना मण्डल, अम्बिकापुर	11.09.2003	20,282
		07. औद्योगिक वृक्षारोपण मण्डल, कोरबा	23.08.2001	संस्थानों से रोपण हेतु तीन वर्ष के लिए क्षेत्र का अस्थायी हस्तांतरण होता है।
		योग :		1,97,157

3.1.6 निगम की योजनायें

वन विकास निगम द्वारा निम्न योजनायें संचालित की जा रही है : -

1. **सागौन व बांस का व्यवसायिक रोपण –**

कार्य आयोजना अनुसार बिगड़े वन क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रजातियों का रोपण कार्य निगम की स्वयं की राशि से किया जाता है।

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम द्वारा वनक्षेत्र में विगत् **3 वर्षों में** निम्नानुसार वृक्षारोपण किए गए है :–

रोपण वर्ष	प्रजाति						योग	
	सागौन		बांस		मिश्रित		क्षेत्रफल (आर) (हे.)	पौधा संख्या (लाख में)
	क्षेत्रफल (आर) (हे.)	पौधा संख्या (लाख में)	क्षेत्रफल (आर) (हे.)	पौधा संख्या (लाख में)	क्षेत्रफल (आर) (हे.)	पौधा संख्या (लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009	2436.00	38.29	6.00	0.025	-	-	2442.00	35.315
2010	3440.16	55.87	-	-	65.00	0.86	3505.16	56.73
2011	3236.45	51.38	-	-	120.00	1.72	3356.45	53.10

वर्ष 2012 में 2300 है. में सागौन एवं 100 हे. में मिश्रित प्रजाति का रोपण प्रस्तावित है।

2. **व्यवसायिक प्रजातियों का सिंचित रोपण –**

कैम्पा निधि से उपलब्ध राशि से व्यवसायिक प्रजातियों के सिंचित रोपण की योजना क्रियान्वयन की जा रही है। वर्ष 2010 में 68.6 हे. तथा वर्ष 2011 में 120 हे. में सागौन का सिंचित रोपण किया गया है। वर्ष 2012 में 112 हे. में रोपण किया जाना प्रस्तावित है।

3. **बिगड़े बांस वनों का सुधार**

वन विकास उपकर निधि से प्राप्त अनुदान से निगम को हस्तांतरित वनक्षेत्र में बिगड़े बांस वनों के सुधार की योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजनांतर्गत वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में निम्नानुसार कार्य कराया गया है तथा करला

सुरक्षा श्रमिकों द्वारा करवा सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य कराया गया।

वर्ष	बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य (हे.)
2009–10	2977
2010–11	1342

वर्ष 2011–12 में 1874 हे. क्षेत्र में बिगड़े बांस वनों के सुधार कार्य का लक्ष्य है।

4. औद्योगिक क्षेत्रों में रोपण –

वन विकास निगम द्वारा पर्यावरण विकास एवं संतुलन के उद्देश्य से विभिन्न औद्योगिक संस्थानों जैसे–भिलाई इस्पात संयंत्र, एन.एम.डी.सी., एम.सी.एल (उड़ीसा), एन.एस.पी.सी. एल., एस.ई.सी.एल. बिलासपुर के खदानी डम्प एवं नॉनडम्प क्षेत्र तथा एन.टी.पी.सी. कोरबा, बाल्को, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, एन. आर.डी.ए. आदि संस्थानों एवं कई नगर पालिकाओं के क्षेत्रों में मिश्रित प्रजातियों का सघन रोपण कार्य किया जाता है। यह योजना विभिन्न औद्योगिक संस्थानों से "न लाभ न हानि" के सिद्धांत पर अग्रिम राशि प्राप्त कर डिपाजिट कार्य के रूप में संचालित की जाती है। राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में निगम द्वारा 1990 से अब तक कुल 204.98 लाख पौधों का रोपण किया गया है।

वर्ष 2001 से 2010 तक वर्षवार रोपित पौधों की संख्या निम्नानुसार है

(रोपण संख्या लाख में)

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	योग
5.54	5.23	7.33	10.04	15.80	11.10	8.18	7.83	5.87	5.04	5.95	87.91

वर्षा ऋतु 2012 में विभिन्न संस्थानों के क्षेत्र में 3 लाख पौधे रोपण का लक्ष्य प्रस्तावित है।

5. सड़क किनारे वृक्षारोपण —

माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पर्यावरण सुधार की दृष्टि से निगम द्वारा विगत 3 वर्षों के दौरान 273.46 कि.मी लम्बाई में पथ वृक्षारोपण निम्नानुसार किया गया : —

वर्ष	उपलब्धि	
	रोपित मार्ग की लम्बाई (कि.मी.)	रोपित पौधों की संख्या
2009	72.40	144881
2010	65.61	129937
2011	135.45	261226
योग	**273.46**	**536044**

वर्ष 2012 में 200 किमी. लम्बाई में पथ वृक्षारोपण का कार्य किये जाने का लक्ष्य है।

6. वन औषधी रोपण —

राष्ट्रीय औषधी पादप बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा औषधीय पौधों (सर्पगंधा, सतावर, कालमेघ, बायबिडंग एवं गिलोय) के 600 हे. क्षेत्र में रोपण एवं रोपणियों की तैयारी की तीन वर्षीय योजना हेतु ₹ 179.16 लाख की स्वीकृति दिनांक 06.05.2009 को प्राप्त हुई। इसमें 50 प्रतिशत राशि ₹ 89.58 लाख राष्ट्रीय औषधी पादप बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रदाय की जावेगी।

उक्त योजना के तहत वर्षा ऋतु वर्ष 2011 तक 317.40 हेक्टेयर क्षेत्र में औषधीय पौधों का रोपण किया गया है। वर्ष 2012 में 282.60 हे. में रोपण प्रस्तावित है।

3.1.7 निगम की रोपणियाँ

निगम की 8 स्थायी रोपणियां हैं, जिनमें निगम के रोपण तथा अन्य विभागों/जनता को विक्रय हेतु पौधे तैयार किए जाते है। विगत् वर्षों में वन विकास निगम की आठ रोपणियों में उत्पादित किये गये पौधों की जानकारी निम्नानुसार है :

(पौधा संख्या लाख में)

वर्ष	परियोजना मण्डल का नाम								योग
	बारनवापारा	कोटा	पानाबरस	अंतागढ़	कवर्धा	मनेन्द्रगढ़?	सरगुजा	औ.पु. मण्डल	
2008-09	23.40	27.93	24.55	19.80	22.74	-	10.79	0.30	129.07
2009-10	15.41	20.01	17.16	22.05	21.46	-	12.75	0.15	108.99
2010-11	19.36	27.15	18.89	14.07	28.98	-	17.74	-	126.19
Total	58.17	75.09	60.60	55.92	73.18		41.28	0.45	365.25

वर्ष 2011–12 में 150 लाख तथा 2012–13 में 250 लाख पौधे तैयारी का लक्ष्य है।

3.1.8 वन ग्राम विकास कार्य

निगम को हस्तांतरित वन क्षेत्रों में 10 वनग्राम हैं। सभी वनग्राम बारनवापारा परियोजना मंडल के अन्तर्गत आते हैं। वनग्राम एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 111 विकास कार्य हेतु ₹405.89 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। दिनांक 31.12.2010 की स्थिति में कार्य की प्रगति निम्नानुसार है.

कुल स्वीकृत कार्य	111
कुल स्वीकृत राशि	₹405.89 लाख
कुल प्राप्त राशि	₹342.19 लाख
कुल व्यय	₹341.16 लाख
कुल कार्य (संख्या)	91
अपूर्ण कार्य	20

कार्यों को पूर्ण करने हेतु 63.70 लाख रूपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है जिसके लिये वन विभाग से मांग की गई है।

3.1.9 विदोहन

निगम द्वारा प्रतिवर्ष सागौन वृक्षारोपणों का विरलन कार्य, क्राप – I में सुधार कार्य के तहत् मार्किंग एवं विदोहन, बांस कूपों एवं बांस रोपणों में विदोहन का कार्य किया जाता है। विदोहन से प्राप्त वनोपज को निगम के 6 व्यवसायिक डिपो से नीलाम द्वारा निर्वर्तित किया जाता है। औद्योगिक बांस का निर्वतन अग्रिम निविदा द्वारा किया जाता है। विगत् 3 वर्षों में विभिन्न वनोपज का निम्नानुसार उत्पादन हुआ है :–

वानिकी वर्ष	काष्ठ (घ.मी.)	जलाऊ चट्टे (नग)	व्यापारिक बांस	औद्यो.बांस (नो.टन)
2008-09	25281	19823	121710	469
2009-10	27690	18964	118627	479
2010-11 (जून 2011 तक)	30727	23864	631455	1496

3.1.10 आय–व्यय

विगत तीन वर्षों में निगम की आय एवं व्यय निम्नानुसार है :–

(राशि करोड़ ₹ में.)

वित्तीय वर्ष	कुल प्राप्तियां	कुल व्यय/ भुगतान
2008-09	41.79	45.38
2009-10	50.63	40.12
2010-11	48.35	48.51

3.1.11 लेखा एवं अंकेक्षण

- निगम के वित्तीय वर्ष 2009- 10 तक के वार्षिक लेखे विधानसभा के पटल पर रखे गये हैं।
- निगम के वर्ष 2010–11 के वार्षिक लेखे पूर्ण हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से वर्ष 2009 -10 के लेखों का पूरक अंकेक्षण कार्य पूर्ण है प्रतिवेदन अपेक्षित है। अंकेक्षित लेखे शीघ्र विधिवत विधानसभा के पटल पर रखे जायेगें।

3.1.12 निगम की भावी योजनाएं

- औषधीय पौधों का व्यवसायिक रोपण।
- तेजी से बढ़ने वाली मूल्यवान प्रजातियों का सिंचित रोपण।
- निगम के वन क्षेत्र में संयुक्त वन प्रबंधन लागू करना।
- इको–टुरिज्म के कार्य।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित

प्रदेश में आदिवासी एवं गरीब लोगों के जीविकोपार्जन के लिए लघु वनोपज संग्रहण एक महत्वपूर्ण माध्यम है । इस सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ का गठन 30/10/2000 को किया गया है । वनोपज संघ द्वारा मुख्य रूप से विनिर्दिष्ट वनोपज जैसे – तेंदूपत्ता, सालबीज, हर्रा, गोंद (कुल्लू, खैर, बबूल एवं धावड़ा) का संग्रहण कार्य प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से कराया जाता है । इसके अतिरिक्त अराष्ट्रीयकृत वनोपज के संग्रहण, संरक्षण, प्रसंस्करण तथा विपणन आदि कार्य भी कराये जा रहे हैं ।

4.1 स्थापना

संघ मुख्यालय की प्रशासनिक संरचना

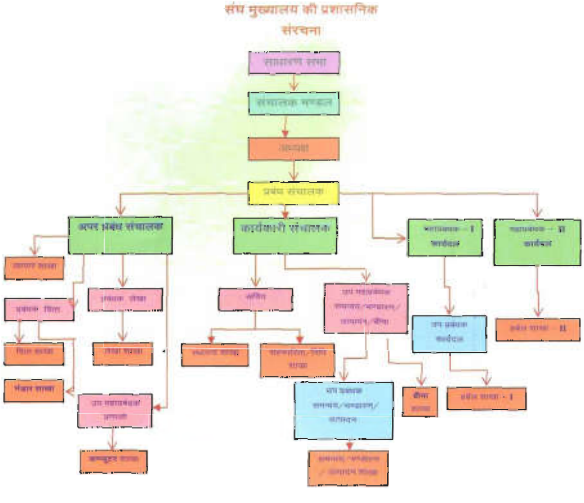

तीसगढ़ राज्य [illegible] नोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी [illegible] हेतु स्वीकृत [illegible] रचना

क्र	पदनाम	वेतनमान	संघ मुख्यालय स्वीकृत	वन संरक्षक एवं पद	यूनियन के पद	कुल	कुल का	रिमार्क
1	[illegible]	[illegible]	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible] संचालक (अ.प. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	कार्यकारी संचालक (मि.वन [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	1	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]00.39100	1	0	0	1	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	15600.39100	1	0	0	1	[illegible]	[illegible]
9	उप प्रबंधक (स.व.सं.)	15600.39100	2	6	31	39	[illegible]	[illegible]
10	वन क्षेत्रपाल	9300.34800	1	0	15	16	[illegible]	[illegible]
11	उप वन क्षेत्रपाल	5200.20200	0	0	200	200	[illegible]	[illegible]
12	उप महाप्रबंधक (प्रणाली)	15600.39100	1	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	आयुर्वेद चिकित्सक	(संविदा)	1	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	टेक्सा-नमिस्ट	संविदा पर	1	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	सहायक ग्रंथागार	9300.34800	1	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]टा ए[illegible] आपरेटर	5200.20200	7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]सार	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]
[illegible]	[illegible]	9300.348[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	5	[illegible]	[illegible]

25	लेखापाल	5200 20200	4	3	22	32	30	
26	कनिष्ठ लेखापाल	5200 20200	8	7	25	31	20	
27	सहायक वर्ग–3	5200 20200	4	8	33	48	56	12 के लेखापाल पदों के विरुद्ध स. व.–3 में नियुक्ति
28	स्वागतकर्ता सह स्व. वर्ग–3	5200 20200		0	0	1	1	
29	वाहन चालक	5200 20200	[illegible]	0	6	12	12	
30	दफ्तरी	4750 7440	[illegible]	0	0	1	1	
31	संदेशवाहक	4750 7440	12	12	49 / 37	110	104	—
32	चौकीदार	कलेक्टर दर पर	2	0	2	2	2	
	योग :–		78	36	450	564	391	

4.1.1 वनोपज सहकारी संस्थाओं का निर्वाचन

वर्ष 2008 में 896 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों तथा 32 जिला वनोपज सहकारी यूनियनों के निर्वाचन एवं संचालक मण्डल के गठन की प्रक्रिया पूर्ण कराई गई । तत्पश्चात् प्रदेश में प्रथम बार छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर के निर्वाचित संचालक मंडल का गठन हो चुका है । इस प्रकार वर्तमान में प्रदेश में लघु वनोपज से सम्बन्धित सभी सहकारी संस्थाओं में निर्वाचित संचालक मण्डल कार्यरत हैं ।

जिला वनोपज सहकारी यूनियनों के निर्वाचित संचालक सदस्यों का सहकारिता के अंतर्गत प्रशिक्षण :–

राज्य वनोपज संघ से संबंद्ध 32 जिला यूनियनों के निर्वाचित संचालक सदस्यों को सहकारिता के अंतर्गत अधिकार एवं कर्तव्य तथा दायित्व संबंधी ज्ञानार्जन हेतु विभिन्न सत्रों में 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सहकारी संघ के प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया ।

4.1.2 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के अध्यक्षों/उपाध्यक्षों का सहकारी प्रशिक्षण

300 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के अध्यक्षों को भी सहकारिता के अंतर्गत उनके अधिकार एवं कर्तव्य से संबंधित 3–3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन अक्टूबर 2011 में जगदलपुर, बिलासपुर एवं रायपुर में किया गया । इसी कम में फरवरी एवं मार्च 2012 में प्राथमिक समितियों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष मिलाकर लगभग 750 प्रशिक्षणार्थियों को बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर में 5–5 सत्रों में प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है ।

4.2 राष्ट्रीयकृत वनोपज का व्यापार

4.2.1 तेंदूपत्ता व्यापार

वर्ष 2011 में प्रदेश में 899 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से लगभग 13.76 लाख संग्राहक परिवारों से तेंदूपत्ते का संग्रहण छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा कराया गया । तेंदूपत्ते की संग्रहण दर वर्ष 2010 से 100/– रूपये की वृद्धि कर 800/ प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई । सम्पूर्ण प्रदेश में बीड़ी बनाने योग्य अच्छी गुणवत्ता का 13.57 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ते का संग्रहण किया गया तथा ₹ 108.52 करोड की राशि संग्रहण पारिश्रमिक के रूप में वितरित की गई । तेन्दूपत्ते का अग्रिम विक्रय ₹ 355.31 करोड में किया गया, जिससे लगभग ₹ 202.70 करोड़ का लाभ होने की संभावना है । इसके अतिरिक्त ₹ 88.[illegible]3 करोड़ मूल्य संवर्धित कर (VAT) के रूप में तथा ₹ 10.66 करोड़ वन विकास उपकर के रूप में राज्य शासन को आय होगी । वर्ष 2011 में तेंदूपत्ता की औसत विक्रय दर ₹ 2619/– प्रति मानक बोरा (कर अतिरिक्त) प्राप्त हुई थी ।

संग्रहण वर्ष 2011 का तेन्दूपत्ता व्यापार

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में)	संग्रहण पारिश्रमिक (₹ लाख में)	विक्रय मूल्य (₹ लाख में)	औसत विक्रय दर (₹ प्रति मानक बोरा)
1	बीजापुर	42351.264	338.81	1424.00	3362/-
2.	सुकमा	80492.596	643.94	1892.80	2352/-
3.	दंतेवाड़ा	29451.140	235.61	675.17	2293/-
4.	जगदलपुर	23109.910	184.88	477.65	2067/-
5.	दक्षिण कोंडागांव	19570.170	156.56	429.49	2195/-
6.	उत्तर कोंडागांव	27086.366	216.69	608.60	2247/-
7	नारायणपुर	21084.840	168.68	470.13	2230/-
8.	पूर्व भानुप्रतापपुर पश्चिम	95485.280	763.88	2894.25	3031/-
9.	भानुप्रतापपुर	75843.040	606.74	1790.21	2360/-
10.	कांकेर	39394.235	315.15	1124.24	2854/-
11	राजनांदगांव	78439.099	627.59	2063.57	2630/
12.	खैरागढ़	33028.015	264.22	758.14	2295/-
13.	दुर्ग	23440.190	187.52	618.43	2638/-
14.	कवर्धा	33196.440	265.57	782.08	2356/-
15	धमतरी	23836.250	190.69	658.24	2762/

16	उदन्ती	20340.215	162.72	594.00	2920/-
17	पूर्व रायपुर	42769.135	342.15	1419.42	3319/-
18	महासमुंद	84387.620	675.10	2285.80	2709/-
19	रायपुर	21258.325	170.07	567.59	2670/-
20.	बिलासपुर	20540.190	164.32	500.18	2435/-
21	मरवाही	22904.858	183.24	604.04	2637/-
22.	जांजगीर- चांपा	6124.860	49.00	111.78	1825/-
23	रायगढ़	56346.825	450.77	1438.08	2552/-
24.	धरमजयगढ़	69458.530	555.67	2070.49	2981/-
25	कोरबा	48470.129	387.76	1461.66	3016/-
26.	कटघोरा	61317.020	490.54	1853.20	3022/-
27.	जशपुर नगर	30506.920	244.06	716.79	2350/-
28.	मनेन्द्रगढ़	28074.645	224.60	745.76	2656/-
29	कोरिया	23716.490	189.73	622.81	2626/-
30	दक्षिण सरगुजा	45596.305	364.77	1118.07	2452/-
31.	पूर्व सरगुजा	44947.518	359.58	936.98	2085/-
32.	उत्तर सरगुजा	83961.135	671.69	1817.38	2165/-
	कुल योग	**1356539.555**	**10852.30**	**35531.03**	**2619/-**

प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2012 में लगभग 16.40 लाख मानक बोरे के संग्रहण का अनुमान है । पत्ते के निर्वर्तन हेतु विगत वर्ष की भांति ही दिनांक 03.01.2012, 19.01.2012 एवं 01.02.2012 तक क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय निविदा आमंत्रित की गई । प्रथम एवं द्वितीय निविदा में 16.399 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता रूपये 613.71 करोड़ में औसत ₹ 3793/-- प्रति मानक बोरा की दर पर विक्रय किया गया जो कि विगत वर्ष से 44.83 प्रतिशत अधिक है । इस वर्ष के तेंदूपत्ता की प्राप्त, विक्रय दर पिछले सभी वर्षों में प्राप्त औसत दर से अधिक है ।

4.2.2 सालबीज व्यापार

प्रदेश में वर्ष 2011 में सालबीज की संग्रहण दर ₹ 5/-- प्रति किलोग्राम तथा प्रोत्साहन राशि ₹ 2.50 प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई, जबकि वर्ष 2010 में संग्रहण दर रूपये 5.00 कि.ग्रा. थी । वर्ष 2011 में सालबीज की फसल बहुत कमजोर थी तथा 0.39 लाख क्विंटल सालबीज का संग्रहण हुआ तथा ₹ 1.96 करोड़ का संग्रहण पारिश्रमिक एवं ₹ 2.98 करोड़ का प्रोत्साहन संग्राहकों में वितरित किया गया ।

4.2.3 हर्रा व्यापार

संग्रहण वर्ष 2011--12 में प्रदेश की कुल 39 हर्रा इकाईयों में से 21 हर्रा इकाईयों में संग्रहित होने वाले हर्रा का अग्रिम निर्वर्तन ₹ 433.94 लाख में हुआ । वर्ष 2011--12 हेतु हर्रा की संग्रहण दर ₹ 1000/— प्रति क्विंटल, कचरिया की ₹ 2000/— प्रति क्विंटल एवं बाल हर्रा की ₹ 3500/-- प्रति क्विंटल निर्धारित की गयी, जबकि वर्ष 2010--11 में हर्रा संग्रहण दर ₹ 450/-- प्रति क्विंटल, कचरिया ₹ 1125/— प्रति क्विंटल एवं बाल हर्रा ₹ 3150/- प्रति क्विंटल निर्धारित थी ।

4.2.4 गोंद का व्यापार

4.2.4.1 गोंद वर्ग--1 (कुल्लू)

संग्रहण वर्ष 2011—12 में प्रदेश की कुल 5 गोंद इकाईयों में संग्रहित होने वाले अनुमानित 760 क्विंटल गोंद का अग्रिम निर्वर्तन ₹ 260.54 लाख में हुआ । वर्ष 2011—12 हेतु कुल्लू गोंद के प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी की निर्धारित संग्रहण दर क्रमशः ₹ 27,000/— प्रति क्विंटल एवं ₹ 20,000/— प्रति क्विंटल है ।

4.2.4.2 गोंद वर्ग—2 (धावड़ा, खैर/बबूल)

संग्रहण वर्ष 2011--12 में प्रदेश की कुल 21 गोंद इकाईयों में से 5 गोंद इकाईयों में संग्रहित होने वाले गोंद का अग्रिम निर्वर्तन ₹ 14.79 लाख में हुआ । शेष मात्रा के निर्वर्तन की कार्यवाही की जा रही है । वर्ष 2011—12 हेतु धावड़ा गोंद एवं खैर/बबूल गोंद की निर्धारित संग्रहण दर क्रमशः ₹ 2900/-- एवं ₹ 1740/- प्रति क्विंटल है ।

4.3. तेंदूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण

तेंदूपत्ता के व्यापार से प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की 80 प्रतिशत राशि तेंदूपत्ता संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित तेंदूपत्ता के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरित की जाती है । वर्ष 2009 के तेंदूपत्ता व्यापार से प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की 80 प्रतिशत राशि ₹ 92.39 करोड़ तेंदूपत्ता संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित तेंदूपत्ता के अनुपात में ₹ 500/– तक की राशि नगद एवं ₹ 500/– से अधिक की राशि धनादेश के माध्यम से (प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में) वितरित की जा चुकी है । प्रोत्साहन पारिश्रमिक के वितरण की जिला यूनियनवार राशि तालिका में कालम नंबर–3 में दर्शाई गई है ।

वर्ष 2010 के तेंदूपत्ता व्यापार से प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की 80 प्रतिशत राशि ₹ 133.62 करोड़ तेन्दूपत्ता संग्राहकों में ₹ 500/– तक की राशि नगद एवं ₹ 500/– से अधिक की राशि धनादेश के माध्यम से प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरण किया जाना है । प्रोत्साहन पारिश्रमिक के वितरण की जिला यूनियनवार राशि तालिका में कालम नंबर–4 में दर्शाई गई है ।

संग्रहण वर्ष 2009 एवं 2010 के तेंदूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) वितरण

(राशि ₹ लाख में)

क्र.	जिला यूनियन का नाम	संग्रहण वर्ष 2009 तेंदूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण की राशि (₹)	संग्रहण वर्ष 2010 तेंदूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक की वितरण योग्य राशि (₹)
1	2	3	4
1	उत्तर सरगुजा	325.58	609.13
2	पूर्वी सरगुजा	138.09	269.79
3	मनेन्द्रगढ़	255.17	[illegible]
4	कोरिया	194.84	393.05
5	दक्षिण सरगुजा	277.29	442.98
6	जशपुरनगर	124.35	231.74
7	धरमजयगढ़	705.63	902.36
8	रायगढ़	286.39	[illegible]
9	मरवाही	177.88	215.02
10	कटघोरा	608.55	[illegible]
11	कोरबा	442.41	626.37
12	जांजगीर चांपा	3.46	[illegible]
13	बिलासपुर	96.04	357.71
14	महासमुन्द	550.33	893.13
15	रायपुर	169.13	242.51
16	धमतरी	250.19	[illegible]
17	पूर्व रायपुर	563.73	[illegible]
18	उदन्ती	211.84	326.29
19	कांकेर	281.29	419.20
20	उत्तर कोण्डागांव	156.19	203.02
21	दक्षिण कोण्डागांव	120.66	144.88
22	नारायणपुर	99.02	169.79
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	861.84	1701.52
24	पश्चिम भानुप्रतापपुर	395.16	546.58
25	सुकमा	387.65	[illegible]
26	बीजापुर	426.29	630.54
27	जगदलपुर	123.12	[illegible]
28	दंतेवाड़ा	133.52	[illegible]
29	दुर्ग	114.58	[illegible]
30	कवर्धा	137.79	218.71
31	राजनांदगांव	495.49	715.11
32	खैरागढ़	127.93	251.55
	योग:—	9239.41	13361.59

4. 4 मूलभूत सुविधाओं का विकास

तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की 15 प्रतिशत राशि समिति क्षेत्र के ग्रामों की मूलभूत सुविधाओं के विकास में प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति द्वारा लिये निर्णय अनुसार उपयोग की जाती है । तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2007 में तेन्दूपत्ता व्यापार से हुये लाभ की 15 प्रतिशत की राशि ₹ 24.93 करोड़ जिला यूनियनों के माध्यम से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को उपलब्ध कराई जा चुकी है । वनोपज सहकारी समितियों द्वारा आवश्यकता के अनुरूप मूलभूत सुविधा संबंधी कार्य कराए जा रहे हैं ।

कार्यालय भवन निर्माण, तेन्दकोना समिति

4.5. वन एवं वनोपज का विकास

तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की 15 प्रतिशत राशि से वन एवं वनोपज के विकास के कार्य प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के क्षेत्रों में कराये जाते है । तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 1998 से 2004 तक के एवं सालबीज संग्रहण वर्ष 2007 के व्यापार से उपलब्ध राशि ₹ 55.47 करोड़ के विरूद्ध ₹ 25.51 करोड़ की राशि जिला यूनियनों को उपलब्ध कराई जा चुकी है । इस राशि से वन विभाग के द्वारा वन विहीन राजस्व भूमि एवं वन विभाग की भूमि में स्थानीय मिश्रित प्रजातियों का रोपण, बांस रोपण, लघु वनोपज जैसे हर्रा, आंवला, बहेड़ा, महुल पत्ता, ईंगली एवं अन्य प्रमुख लघु वनोपज प्रजातियों का रोपण तथा भूमि एवं जल संरक्षण कार्य कराये जाते हैं। इस हेतु विभिन्न जिला यूनियन स्तर पर उपलब्ध राशि एवं प्रदाय राशि का विवरण निम्नानुसार हैं :–

वन एवं वनोपज का विकास

क्र	जिला यूनियन का नाम	वन एवं वनोपज के विकास हेतु उपलब्ध राशि (₹ लाख में)	प्रदाय राशि (₹ लाख में)
1	2	3	4
1	उत्तर सरगुजा	190.45	54.99
2	पूर्व सरगुजा	84.25	60.21
3	मनेन्द्रगढ़	125.32	112.48
4	कोरिया	122.59	15.00
5	दक्षिण सरगुजा	81.3	30.00

6	जशपुरनगर	59.65	13.46
7	धर्मजयगढ़	329.55	189.97
8	रायगढ़	197.46	115.85
9	मरवाही	96.11	64.28
10	कटघोरा	338.20	319.60
11	कोरबा	291.64	254.15
12	जांजगीर -चांपा	4.17	1.62
13	बिलासपुर	13.27	18.23
14	महासमुन्द	319.58	248.05
15	रायपुर	147.10	95.00
16	धमतरी	194.69	172.35
17	पूर्व रायपुर	423.70	170.81
18	उदन्ती	80.70	65.11
19	कांकेर	193.15	142.45
20	उ. कोण्डागांव	135.29	73.09
21	द. कोण्डागांव	125.46	37.91
22	नारायणपुर	42.24	33.90
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	414.55	147.85
24	प. भानुप्रतापपुर	148.37	82.02
25	सुकमा	303.23	61.00
26	बीजापुर	325.62	168.93
27	जगदलपुर	88.58	78.18
28	दन्तेवाड़ा	75.63	45.60
29	दुर्ग	95.39	25.00
30	कवर्धा	76.47	52.61
31	राजनांदगांव	319.89	0.00
32	खैरागढ़	103.31	21.00
	योग	5546.92	2970.69

4.6 तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरणपादुका का वितरण

4.6.1 वर्ष 2011–12 में तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार की एक महिला सदस्य को चप्पल वितरण का कार्य समाप्ति पर है । ₹ 125 प्रति जोडी मूल्य की चप्पलें 11.45 लाख महिलाओं को प्रदाय की जा रही है । शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 में ₹ 10.00 करोड़ की राशि लघु वनोपज संघ को उपलब्ध करायी गयी ।

4.6.2 वर्ष 2012-13 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के एक पुरूष सदस्य को एक–एक जोड़ी चरणपादुका प्रदाय करने का निर्णय लिया गया है । इस हेतु राष्ट्रीय स्तर पर निविदाएँ आमंत्रित कर क्रय की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है ।

4.7 लघु वनोपज संघ की बीमा योजनायें

4.7.1 तेन्दूपत्ता संग्राहकों हेतु जनश्री बीमा योजना

प्रत्येक तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के 18 वर्ष से 59 वर्ष तक की आयु के मुखिया का 01/05/2007 से 'जनश्री' बीमा योजना के तहत बीमा कराया गया है । इस योजना के तहत संग्राहक परिवार के मुखिया की साधारण मृत्यु होने के दशा में उसके नामांकित व्यक्ति को ₹ 20,000/–, अस्थायी अपंगता की दशा में संग्राहक परिवार के मुखिया को ₹ 25,000/– तथा स्थायी अपंगता/दुर्घटना जनित मृत्यु की दशा में परिवार के मुखिया को या उसके नामांकित व्यक्ति को ₹ 50,000/– की राशि का भुगतान किया जाता है । इसके अतिरिक्त मुखिया के 9वीं से 12वीं कक्षा अथवा आई.टी.आई. में पढ़ रहे दो बच्चों को ₹ 600/– प्रति छःमाही छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराई जाती है । इस योजना हेतु 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा निधि से प्राप्त होती है तथा 37.5 प्रतिशत की राशि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एवं 12.5 प्रतिशत की राशि वनोपज संघ द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान किया जाता है ।

वित्तीय वर्ष 2010–11

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा स्वीकृत दावा प्रकरणों की संख्या – 7,390
भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा स्वीकृत दावा प्रकरणों की राशि – ₹ 15,76,70,000/

भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा छात्र–छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति की राशि का प्रदाय

छात्र–छात्राओं की संख्या – 67,926
स्वीकृत राशि ₹ 8,15,11,200/–

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा स्वीकृत दावा प्रकरणों की संख्या 5,432
भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा स्वीकृत दावा प्रकरणों की राशि ₹ 11,79,70,000/

भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा छात्र–छात्राओं के लिये छात्रवृत्तियों की राशि प्रदाय

छात्र–छात्राओं की संख्या -- 68,835
स्वीकृति राशि -- ₹ 8,76,02,000/--

4.7.2 तेन्दूपत्ता संग्राहकों हेतु समूह बीमा योजना

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के अतिरिक्त परिवार के 18 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के किसी अन्य सदस्य की मृत्यु साधारण मृत्यु की दशा में ₹ 3,500/--, आंशिक विकलांगता की दशा में ₹ 12,500/-- तथा दुर्घटना--जनित मृत्यु अथवा पूर्ण विकलांगता होने पर ₹ 25,000/-- की राशि के भुगतान का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष -- 2010–11

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा स्वीकृत दावा प्रकरणों की संख्या -- 6,430
भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा स्वीकृत दावा प्रकरणों की राशि -- ₹ 3,15,62,000/

वित्तीय वर्ष -- 2011–12 (दिनांक 31.12.2011 तक)

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा स्वीकृत दावा प्रकरणों की संख्या -- 1,272
भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा स्वीकृत प्रकरणों की राशि -- ₹ 80,26,500/

4.7.3 तेन्दूपत्ता संग्राहकों हेतु अटल छत्तीसगढ़ तेन्दूपत्ता संग्राहक समूह बीमा योजना

इस योजना का शुभारंभ वर्ष 2011–12 से किया गया है । इस योजना के अंतर्गत् तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के अतिरिक्त, परिवार के 18 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के किसी भी संग्राहक की मृत्यु होने पर उसके नामांकित व्यक्ति को ₹ 4,000/-- प्रदाय किये जावेंगें ।

4.7.4 प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति प्रबन्धकों की समूह बीमा योजना

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के समस्त अंशकालिक प्रबन्धकों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना लागू है । इस योजना में सामान्य मृत्यु पर ₹ 25,000/-- तथा दुर्घटना मृत्यु पर ₹ 50,000/-- इनके आश्रितों को प्राप्त

होने का प्रावधान है। प्रीमियम राशि का भुगतान लघु वनोपज संघ द्वारा सीधे बीमा कम्पनी को किया जाता है ।

4.8 यूरोपियन कमीशन परियोजना

छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्यों को बढ़ावा देकर, ग्रामीणों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूरोपियन कमीशन की आर्थिक सहायता से एक परियोजना स्वीकृत की गई है । इसकी कुल लागत ₹ 21.20 करोड़ है, तथा यह योजना वित्तीय वर्ष 2006-07 से प्रारंभ हुई है तथा मार्च 2013 में समाप्त होगी । योजना के क्रियान्वयन हेतु अब तक कुल राशि ₹ 2120.64 लाख प्राप्त हुई है ।

इस परियोजना के अंतर्गत लघु वनोपज संसाधन सर्वेक्षण, हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा, लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण, विपणन, सूचना प्रबंधन प्रणाली, अनुसंधान एवं विस्तार, प्रमाणीकरण तथा क्षमता विकास आदि कार्य क्रियान्वित किये जा रहे है । परियोजना की घटकवार प्रगति निम्नानुसार है ।

4.8.1 संसाधन सर्वेक्षण एवं हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा

4.8.1.1 संसाधन सर्वेक्षण

परियोजना अंतर्गत राज्य में 4912 सेम्पल प्लाट डालकर लघु वनोपज का संसाधन सर्वेक्षण कर आंकडे एकत्र किये गये है । प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण एफ.एस.आई. देहरादून के द्वारा तैयार किए डाटा एनालिसिस साफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है ।

4.8.1.2 हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा

हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 21 स्थानों का चयन कर 418 वैद्यों के साक्षात्कार से 3351 परम्परागत औषधियों का अभिलेखन किया गया । सर्वेक्षित 21 स्थानों में उपयुक्त स्थल का चयन कर 50 वनौषधालयों की स्थापना का कार्य कराया जा रहा है, जिसमें से 29 वनौषधालय स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा इन्हे स्थानीय वैद्यों द्वारा संचालित किया जा रहा है । 50 वनौषधालय स्थापना एवं संचालन हेतु अब तक कुल राशि ₹ 176.27 लाख प्रदाय किया गया है । चयनित परंपरागत वैद्यों को वनौषधालय संचालन हेतु राशि ₹ 10000 प्रति वनौषधालय चक्रीय राशि एवं राशि ₹ 100 प्रतिदिन के मान से वैद्यों को सेवा देने हेतु मानदेय प्रदाय किया जा रहा है ।

4.8.2 लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्य

इस घटक के अंतर्गत लघु वनोपज आधारित माइक्रोइन्टरप्राइजेस स्थापित किये गए हैं। प्रत्येक माइक्रोइन्टरप्राइजेस में आवश्यकतानुसार लघु वनोपज उत्पादन, संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन के कार्य, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति/वन समिति/स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है ।

क्र.	वर्ग	माइक्रो इन्टरप्राइजेस के नाम	संख्या	स्वीकृत कुल राशि (₹ लाख में)
2.1	लघु वनोपज उत्पादन	लाख पालन	16	293.88
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.2	लघु वनोपज संग्रहण	कच्चे वनोपज संग्रहण	16	94.60
2.3	लघु वनोपज प्रसंस्करण	इमली	5	81.00
		वनौषधि	7	100.00
		तैलीय बीज	3	60.00
		माहुल पत्ता	10	200.00
		चिरौंजी	3	44.63
		आंवला	3	30.00
		लाख	1	20.00
		हर्बल खाद्य	1	31.17
		काजू	1	69.20
2.4	लघु वनोपज विपणन	लघु वनोपज एवं हर्बल उत्पादों का समूहों के माध्यम से क्रय–विक्रय	19	49.00
		योग–	90	1106.48

उपरोक्त माइक्रोइंटरप्राइजेस के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों से तकनीकी परामर्श एवं रिसोर्स पर्सन की सहायता ली गई है, ताकि हितग्राही पूर्ण क्षमता से कार्य करते हुए माइक्रोइंटरप्राइजेस का लाभ ले सकें ।

4.8.3 विपणन

माइक्रोइंटरप्राइजेस द्वारा निर्मित उत्पादों के विक्रय हेतु बाजार उपलब्ध कराने के लिए इस घटक के अंतर्गत विभिन्न जिलों में "संजीवनी" के नाम से हर्बल उत्पादों के विपणन हेतु 11 प्रदर्शन सह विक्रय केन्द्र भवन निर्माण किया गया है । इसके लिये राशि ₹ 42.30 लाख उपलब्ध करायी गयी है । हर्बल उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग वनवृत्त में विकासखंड / परिक्षेत्र स्तर पर 20 संजीवनी की स्थापना की गई है, जिसके लिए प्रत्येक संजीवनी की स्थापना हेतु ₹ 1.00 लाख का आबंटन दिया गया है । हर्बल उत्पाद के विक्रय को बढ़ावा देने हेतु निर्मित उत्पादों की पैकिंग, लेबलिंग में तकनीकी सहायता के साथ–साथ उत्पाद विक्रय हेतु आवश्यक प्रशिक्षण भी स्व सहायता समूहों को दिया गया है । रायपुर NWFP मार्ट में आयुर्वेद चिकित्सक भी परामर्श हेतु सायंकाल उपलब्ध रहते हैं ।

4.8.4 मार्केट अध्ययन एवं बाजार सर्वेक्षण

अकाष्ठीय वनोपज के निर्यात की संभावना ज्ञात किए जाने हेतु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फारेन ट्रेड, नई दिल्ली तथा राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लघु वनोपज का योगदान ज्ञात किए जाने हेतु दि लाइवलीहुड स्कूल बेसिक, भोपाल से अध्ययन कराया गया है । छत्तीसगढ़ राज्य में लाख खेती एवं प्रसंस्करण का अध्ययन कर अभिलेखन तथा लाख आधारित उत्पादों पर बाजार सर्वेक्षण का कार्य IINRG रांची के माध्यम से कराया जा रहा है ।

4.8.5 अनुसंधान एवं विस्तार

डाबर तथा हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड बैंगलोर के विशेषज्ञों के माध्यम से 50 कच्चे लघु वनोपज की विन्यास विहीन विदोहन पद्धतियों का निर्धारण तथा प्राथमिक प्रसंस्करण विधि का मानकीकरण गुणवत्ता सुधार हेतु किया गया है । सी.एफ.टी.आर.आई., मैसूर से इमली एवं आंवला से कैण्डी, पल्प तथा स्क्रैड तैयार करने हेतु तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर जगदलपुर में इमली कैन्डी प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना की गयी है। सी.एफ.टी.आर. आई. मैसूर की तकनीकी सहायता से पलाश फूल, बेल एवं तिखुर से नए उत्पाद तैयार करने हेतु अनुसंधान कार्य कराया जा चुका है ।

भारत शासन के उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थान, जबलपुर से निम्नानुसार अनुसंधान कार्य कराया जा रहा है :-

1. छ.ग. राज्य में साल बीज के संग्रहण से प्राकृतिक पुनरूत्पाद पर पड़ने वाले प्रभावों का आंकलन ।
2. छत्तीसगढ़ राज्य में तेन्दूपत्ता की गुणवत्ता एवं सतत् उत्पादन को बढ़ाने के लिए तकनीकी का मानकीकरण ।
3. अर्जुन छाल की सतत् विदोहन पद्धति का मानकीकरण ।
4. भुई–आंवला, सालपर्णी एवं बैचांदी हेतु सतत् विदोहन पद्धति का मानकीकरण ।
5. बेल फल के लिए प्रसंस्करण तकनीक का विकास ।
6. माहुलपत्ता के पुर्नउत्पादन हेतु उपयुक्त तकनीक का विकास ।

4.8.6 सूचना प्रबंधन प्रणाली

इस घटक के अंतर्गत संघ मुख्यालय को 6 वृत्त, 32 जिला यूनियनों, 6 NWFP माट तथा 4 शहद प्रसंस्करण केन्द्र के साथ कम्प्यूटर, इन्टरनेट तथा टैली सॉफ्टवेयर के माध्यम से जोड़कर जानकारी का आदान–प्रदान किया जा रहा है, ताकि जानकारियों के संग्रहण, संकलन एवं विश्लेषण तथा लेखा तैयार करने में समय की बचत हो एवं मानव श्रम का सही उपयोग हो । इससे उत्पाद क्रय–विक्रय संबंधी संकलन आसानी से किया जाता है ।

4.8.7 प्रमाणीकरण

इस घटक के अंतर्गत संग्रहित लघु वनोपज की गुणवत्ता पर नियंत्रण हेतु सीजीसर्ट (छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण सोसाइटी),रायपुर के माध्यम से जैविक प्रमाणीकरण का कार्य किया जा रहा है । इस हेतु आवश्यकतानुसार अधोसंरचना विकास एवं प्रमाणीकरण के बारे में प्रचार–प्रसार भी इस घटक के तहत किये जा रहे हैं । वन क्षेत्रों के उत्पादों के जैविक प्रमाणीकरण हेतु 17 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को चयनित किया गया है

4.8.8 क्षमता विकास

यूरोपियन कमीशन परियोजना अंतर्गत अकाष्ठीय वनोपज आधारित विकास में दूरगामी परिणाम लाने हेतु स्व सहायता समूहो का क्षमता विकास किया गया है । इस हेतु प्रशिक्षण, क्षेत्र भ्रमण तथा कार्य शाला आदि आयोजित किये गये हैं । हितग्राहियों को माहुल पत्ता प्रसंस्करण,

इमली प्रसंस्करण, वनौषधि प्रसंस्करण, कच्चे लघु वनोपज संग्रहण, लाख पालन, शहद संग्रहण तथा स्व–सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है प्रशिक्षण हेतु क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान, बिलासपुर के सहयोग से प्रशिक्षण मार्गदर्शिका तैयार की गयी है । Livelihood Basic School, Bhopal तथा IIFM भोपाल से मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कराया जाकर उक्त मास्टर ट्रेनर के माध्यम से स्व सहायता समूहों का प्रशिक्षण कराया गया है । परियोजना अंतर्गत कुल 8 सेमिनार / कार्यशाला विषय – प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, हर्बल हेल्थ केयर स्ट्रेटेजी, कच्चे लघु वनोपज का विनाश विहीन विदोहन द्वारा संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन पर कार्य शाला, एकाउंटिंग प्रोसेस एवं एम.आई.एस., क्षमता विकास, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस एवं मार्केटिंग ऑफ एन.टी.एफ.पी. पर आयोजित की गई है, जिसमें कुल 458 स्टॉफ एवं अन्य द्वारा भाग लिया गया है । परियोजना अंतर्गत कुल 12837 हितग्राहियों एवं 4180 स्टॉफ को प्रशिक्षण दिया गया ।

यूरोपियन कमीशन परियोजना की वित्तीय प्रगति (दिसंबर 2011 तक)

क्र	घटक	प्राप्त राशि (रू लाख में)	व्यय राशि(रू लाख में)
1	संसाधन सर्वेक्षण एवं हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा	279.20	188.54
2	लघु वनोपज आधारित जीविकोपार्जन कार्य	1225.54	788.18
3	विपणन	235.70	164.87
4	अनुसंधान एवं विस्तार	94.20	60.94
5	सूचना प्रबंधन प्रणाली (एम.आई.एस.)	117.80	99.51
6	प्रमाणीकरण	50.40	14.07
7	क्षमता विकास	117.80	71.01
	योग	2120.64	1387.13

4.9 इमली क्रय एवं प्रसंस्करण

वर्ष 2012 में बस्तर संभाग विशेषकर दंतेवाडा जिले में इमली क्रय किया जाना प्रस्तावित है । आटी इमली के क्रय का कुल लक्ष्य 62000 क्विंटल है । आटी इमली से फूल इमली भी तैयार की जायेगी ।

4.10 लाख विकास

संघ द्वारा किये गये लाख विकास कार्यो के फलस्वरूप भारत सरकार के अनुसन्धान संस्थान आई.आई.एन.आर.जी.,रांची द्वारा किये गये सर्वेक्षण अनुसार वर्ष 2010–11 में राज्य में कुल लाख उत्पादन लगभग 2000 मि.टन हुआ, जो कि देश के कुल उत्पादन का 22 प्रतिशत है । उपरोक्त उत्पादन का बाजार मूल्य लगभग ₹ 60.00 करोड़ (₹ 300 प्रति किलोग्राम की दर से) है ।

संघ द्वारा लाख को बढ़ावा देने हेतु लाख पालन/प्रसंस्करण आधारित फिल्म का निर्माण किया गया है ।

वन वृत्त स्तर पर स्थापित लाख फेसिलिटेशन केन्द्रों द्वारा अब तक 1264 ग्रामीणों को लाख पालन एवं प्रसंस्करण के संबंध में निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा चुका है ।

लाख विकास योजना अंतर्गत जिला यूनियन कांकेर में एक लाख प्रशिक्षण एवं विस्तार केंद्र की स्थापना की जा रही है, जिसके भवन निर्माण का कार्य पूर्णता की ओर है ।

105 प्राथमिक वनोपज समितियों के प्रबंधकों को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान, (IINRG) रांची द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था जिनके द्वारा द्वितीय चरण में प्रत्येक प्रबंधक के द्वारा अपने अधीन आने वाले वन समितियों के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यों समेत 20 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है । अब तक कुल 150 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है । वर्ष 2011–12 में जिला यूनियनों के संचालक मण्डल के सदस्यों को भी भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान, रॉची में प्रशिक्षण हेतु भेजा जा रहा है ।

संघ के माध्यम से लाख विकास योजना, यूरोपियन कमीशन परियोजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एवं ट्रायफेड योजना अंर्तगत वर्ष 2008 से 2011 तक कुल 70 लाख पालन परियोजनाओं एवं 1 लाख प्रसंस्करण परियोजना को

स्वीकृत किया गया है । परियोजनाओं में कुल 33598 हितग्राहियों व 101702 कुसुम, 709504 पलाश एवं 25322 अन्य पोषक वृक्षों समेत कुल 823278 वृक्षों को सम्मिलित किया गया है ।

4.11 लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना

छत्तीसगढ़ राज्य में वन समितियों के सहयोग से अकाष्ठीय वनोपज एवं औषधीय पौधों के उत्पादन में वृद्धि तथा लघु वनोपज के प्रसंस्करण से स्थानीय जनता की आय में वृद्धि हेतु "लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना" की जाती है । राज्य शासन के आदिवासी उपयोजना मद से प्राप्त अनुदान की सहायता से 2000 हेक्टेयर में 2 लोक संरक्षित क्षेत्र एवं संघ मद से 14000 हेक्टेयर में 14 लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना वर्ष 2011–12 में की जा रही है । इसके अतिरिक्त राज्य मद से 18,896 हेक्टेयर एवं आदिवासी उपयोजना मद से 14,815 कुल 33,711 हेक्टे. क्षेत्रफल में रख–रखाव के कार्य भी वर्ष 2011–12 में किये जा रहे हैं । वर्ष 2012–13 में इसी प्रकार कार्य सम्पन्न किये जावेंगे ।

4.12 प्राकृतिक संसाधनों के समुदाय आधारित प्रबंधन से जैव विविधता संरक्षण

राज्य के कटघोरा वनमण्डल में 6107.294 हेक्टेयर जगदलपुर वनमण्डल में 6058.924 हेक्टेयर एवं उत्तर कोण्डगांव वनमण्डल में 6895.066 हेक्टेयर के मान से कुल 19241.284 हेक्टेयर जैव विविधता बहुलता वाले क्षेत्र में स्थानीय समुदायों की सहभागिता से जैव विविधता संवर्धन व संरक्षण पर आधारित रोजगार सृजन करने हेतु ₹ 250 लाख की लागत से एक परियोजना यू.एन.डी.पी. द्वारा स्वीकृत की गयी है, जो कि भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से क्रियान्वित की जा रही है ।

वर्ष 2008–09, 2009–10 एवं वर्ष 2010–11 में राशि ₹ 241.53 लाख की राशि प्राप्त हुई है, जिसके विरूद्ध अब तक कुल ₹ 212.05 लाख की राशि व्यय करते हुये संसाधन सर्वेक्षण, अंतःस्थलीय संरक्षण, बाह्य स्थलीय संवर्धन, वनौषधालय स्थापना, गैरवानिकी जैव विविधता विकास, अनुसंधान एवं विस्तार, जैविक प्रमाणीकरण, लघुवनोपज आधारित गतिविधियों के अंतर्गत लाख पालन, इमली चिरौंजी व महुआ पत्ता का संग्रहण व प्रसंस्करण, कोसा पालन एवं स्व–सहायता समूहों एवं वन प्रबंधन समितियों के क्षमता विकास के कार्य किये गये है । वर्ष 2012–13 में भी उपरोक्त कार्य संपन्न किये जावेंगे ।

4.13 शिक्षा प्रोत्साहन योजना

लेन्दूपात्ता सहायक परिवार के बच्चों हेतु शिक्षा प्रोत्साहन योजना वर्ष 2011–12 से लागू की गई है। जिसके अंतर्गत निम्न गतिविधियां संचालित है :–

4.13.1 मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार

प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र के अंतर्गत् कक्षा 8वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को रूपये 2000/–, कक्षा 10वी में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को रूपये 2500/ तथा कक्षा 12वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को रूपये 3000/– का पुरस्कार दिया जाता है । माह जनवरी 2012 तक कुल 3588 छात्र/छात्राओ को कुल राशि रूपये 86.99 लाख का भुगतान किया जा चुका है ।

4.13.2 व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति

प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में प्रत्येक वर्ष एक विद्यार्थी जिसने किसी भी व्यवसायिक कोर्स जैसे – इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, एम.बी.ए. तथा नर्सिंग में प्रवेश लिया हो तथा जिस कोर्स मे प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वी हो का चयन इस छात्रवृत्ति हेतु किया जाता है, को प्रथम वर्ष में रूपये 10,000/– एवं द्वितीय वर्ष तथा पश्चातवर्ती वर्षो में रूपये 5,000/– प्रतिवर्ष अधिकतम कुल 4 वर्षो तक राशि उपलब्ध करायी जाती है ।

भाग – 5

5.1 छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधीय पादप बोर्ड

शासन द्वारा राज्य में औषधीय पादपों के संरक्षण, संवर्धन, विनाश विहीन विदोहन, प्रसंस्करण तथा विपणन से संबंधित नीति बनाने एवं विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिये दिनांक 28 जुलाई, 2004 को "छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड" की स्थापना की गई है।

5.1.1 छ.ग. राज्य औषधीय पादप बोर्ड का दायित्व निम्नानुसार है

- औषधीय पादपों के विकास हेतु शोध एवं अनुसंधान कराना ।
- केन्द्रीय औषधीय पादप बोर्ड, राज्य शासन द्वारा वित्त पोषित तथा राज्य के विभिन्न विभागों/संगठनों द्वारा क्रियान्वित औषधि पौधों के विकास योजनाओं का अनुश्रवण करना ।
- औषधीय वनस्पतियों के संरक्षण, **संवर्धन एवं** विनाश–विहीन **विदोहन हेतु नीतियाँ** तथा योजनाएं बनाना ।
- औषधीय **पौधों की पहचान एवं संसाधनों का सर्वेक्षण** ।
- औषधीय **वनस्पतियों के प्ररांस्करण, कुटीर उद्योग एवं** लघु उद्योगों की स्थापना तथा वनौषधियों **के निर्माण तथा उत्पादों के निर्यात एवं विपणन** की योजनाएँ बनाना ।
- औषधीय पौधों की **मांग एवं आपूर्ति का आकलन** करना ।
- औषधीय पौधों के **विकास के लिये राष्ट्रीय एवं** अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना ।
- पारंपरिक चिकित्सकों की पहचान तथा मान्यता दिलाने के कार्य का समन्वय करना ।
- **पारंपरिक** चिकित्सकों तथा समुदाय के औषधि पौधों के ज्ञान एवं उपयोग को **पेटेन्ट** कराना ।
- **औषधीय पादपों** से संबंधित अन्य अनुषांगिक कार्य ।

5.1.2. विगत 3 वर्षों में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ एवं भविष्य की योजनाएं

5.1.2.1. राज्य वनस्पति मंडल योजना अंतर्गत किये गये कार्य

- 100 हेक्टेयर क्षेत्र पर दशमूल प्रजातियों (बेल, अग्निमंथ, श्योनाक, गंभारी, पाटला, सालपर्णी, पृष्णपर्णी, बृहति, कंटकारी, गोच्छुर) का रोपण ।

- राज्य के 7 वनमंडल अंतर्गत 523 हेक्टे. क्षेत्र पर त्रिफला (आवला, हर्रा, बहेड़ा) प्रजातियों का रोपण।
- राज्य के 8 वनमंडलों में 327 हेक्टेयर क्षेत्र पर अश्वगंधा, गिलोय, कालमेघ, केवाच, तुलसी, लेमन, ग्रास आदि औषधीय प्रजातियों का अतःस्थलीय रोपण ।
- राज्य के 7 वनमंडलों के अंतर्गत 80 हेक्टेयर क्षेत्र पर 8 औषधीय उद्यान की स्थापना।
- हर्बल उत्पादों के विक्रय को प्रोत्साहित करने रेल्वे स्टेशन, रायपुर एवं माना विमानतल, रायपुर मे रिटेल आउटलेट की स्थापना।
- राज्य के 14 प्रमुख केन्द्रों पर परंपरागत चिकित्सकों का सम्मेलन आयोजित कर 2000 परंपरागत चिकित्सकों की पहचान कर उनका डाटाबेस तैयार करना।
- औषधीय पादपों के पहचान सुनिश्चित करने राज्य की 200 औषधीय प्रजातियों का रॉ ड्रग रिपाजिटरी की स्थापना ।
- औषधीय साहित्य उपलब्ध कराने ई- लाइब्रेरी एवं हर्बल लाईब्रेरी की स्थापना ।

5.1.2.2 आंवला कैम्पेन योजनांतर्गत संचालित कार्य

- राज्य के 6 जिलों के 7 विकासखंडो में 12 लाख आंवला पौधों का वितरण ।
- राज्य के 6 जिलों के 7 विकासखंडों में 127 हेक्टेयर क्षेत्र पर " ऑवला प्रदर्शन प्रक्षेत्र " की स्थापना ।
- वनमंडलाधिकारी, धमतरी द्वारा ऑवला उत्पाद के प्रसंस्करण ईकाई की स्थापना।

5.1.2.3 यू.एन.डी.पी. योजनांतर्गत संचालित कार्य

- राज्य के 7 वनमंडलों में प्रत्येक वनमंडल अंतर्गत 200 हेक्टेयर क्षेत्र पर 150 से 200 प्रजातियों का अंतःस्थलीय संरक्षण ।
- औषधीय पादपों की पहचान हेतु ग्रामीण वनस्पति विशेषज्ञ अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण जा रहा है ।
- परंपरागत ज्ञान के अभिलेखीकरण हेतु पारंपरिक चिकित्सकों के ज्ञान का संकलन किया जा रहा है ।

5.1.2.4 औषधीय पौधों के राष्ट्रीय मिशन योजनांतर्गत संचालित कार्य

- अशासकीय क्षेत्र में 13 तथा शासकीय क्षेत्र में 14 औषधीय रोपणियों की स्थापना ।
- 364 हेक्टेयर क्षेत्र पर 19 चयनित औषधीय प्रजातियों का कृषिकरण ।
- इस कृषिकरण हेतु कृषकों के रू. 15.83 लाख की अनुदान राशि वितरित ।